एआई एयरपोर्ट सर्विसेज़

AI AIRPORT SERVICES

ANNUAL REPORT

2024-2025

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	निगमित सूचना	4
2.	अध्यक्ष का संबोधन	6
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	10
4.	प्रबंधन विचारविमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट	25
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	69
6.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	70
7.	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र	93
8.	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि विवरण	95
9.	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण	96
10.	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	98
11.	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां	101

दृष्टिकोण:

भारत के सभी हवाई अड्डों पर विश्व–स्तरीय ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान करने में अग्रणी बनना तथा वैश्विक स्तर पर विस्तार करना।

मिशन:

– ग्राहक केंद्रित

- सुरक्षित, विश्वसनीय एवं समयबद्ध सेवाएँ प्रदान करना।
- भारत के सभी हवाई अड्डों पर सर्वोच्च गुणवत्ता की सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- अत्याधुनिक रैम्प उपकरण उपलब्ध कराना।
- भारतीय आतिथ्य की सर्वोत्तम मिसाल बनना।

– प्रक्रियाएँ

- सुरक्षा एवं दक्षता के मानकों में निरंतर सुधार करना।
- रैम्प उपकरणों का निरंतर उन्नयन एवं आधुनिकीकरण करना।

– मानव संसाधन

- ऊर्जावान, योग्य एवं अत्यधिक प्रेरित पेशेवर टीम का निर्माण एवं संरक्षण करना।ऊर्जावान, योग्य एवं अत्यधिक प्रेरित पेशेवर टीम का निर्माण एवं संरक्षण करना।
- उच्च स्तर की कार्य नैतिकता बनाए रखना।

निगमित सूचना

निदेशक मंडल (दिनांक 24 फरवरी 2026 को)

श्री अमित कुमार	अध्यक्ष
श्री पदम लाल नेगी	
श्री शोभित गुप्ता	
श्री मनोज कुमार	
श्रीमती नयोनिका दत्ता	

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री रामबाबू सीएच.

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री संदीप मल्होत्रा

कंपनी सचिव

श्रीमती कुसुम वर्मा

लेखापरीक्षक

मेसर्स बंसल एंड कंपनी एलएलपी.,
चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिल्ली

बैंकर

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक और एसबीआई बैंक

पंजीकृत कार्यालय

दूसरी मंजिल, जीएसडी बिल्डिंग,
एअर इंडिया कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल–2, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली– 110037

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी–101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली वेस्ट, मुंबई 400083.

निदेशक मंडल

श्री अमित कुमार
अध्यक्ष और नामित निदेशक

श्री मनोज कुमार
नामित निदेशक

श्री पदम लाल नेगी
नामित निदेशक

श्री शोभित गुप्ता
नामित निदेशक

श्रीमती नयोनिका दत्ता
नामित निदेशक

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी की 22वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है । एआई एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड ("कंपनी") (एआईएएसएल) एक अग्रणी ग्राउंड–हैंडलिंग सेवा प्रदाता है और पूरे भारत में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2024–25, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) के लिए स्थिर प्रगति और परिचालनिक –ढ़ता का एक और वर्ष रहा। इस अवधि के दौरान कंपनी ने भारत के तेजी से विस्तार कर रहे विमानन पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। एआईएएसएल देश भर में सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल हवाई अड्डा संचालन को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में सुदृढ़ स्थिति में बनी रही। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कंपनी ने इस सकारात्मक गति को बनाए रखा और ₹29.38 मिलियन का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जिससे एक वित्तीय रूप से स्थिर और परिचालन रूप से विश्वसनीय संगठन के रूप में उसकी स्थिति और मजबूत हुई।

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) आज भारत के लगभग 150 हवाई अड्डों पर कार्यरत है (इनमें से 85 हवाई अड्डों पर एआईएएसएल पूर्ण रूप से संचालित है, तथा अन्य हवाई अड्डों पर एनएसओपी उड़ानों के संचालन हेतु हैंडलिंग सेवाएँ उपलब्ध हैं), जिससे यह देश के सबसे व्यापक रूप से उपस्थित ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाताओं में से एक बन गया है।कंपनी की उपस्थिति भारत के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण हवाई अड्डा परिवेशों तक विस्तृत है, जिनमें लेह और थोइस जैसे उच्च–ऊँचाई एवं हिमाच्छादित स्टेशन, जैसलमेर जैसे मरुस्थलीय हवाई क्षेत्र, अगत्ती और पोर्ट ब्लेयर जैसे द्वीपीय हवाई अड्डे तथा कोझिकोड और कन्नूर जैसे टेबल–टॉप हवाई अड्डे शामिल हैं।

आगामी समय को देखते हुए, भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र की संभावनाएँ मजबूत बनी हुई हैं, जिसे हवाई अड्डा अवसंरचना के निरंतर विकास, एयरलाइनों के बेड़े के विस्तार तथा यात्री यातायात में सतत वृद्धि का समर्थन प्राप्त है। एआईएएसएल आगामी वित्तीय वर्ष में उत्पादकता बढ़ाने, उपकरणों के आधुनिकीकरण, सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा लागत में कमी लाने पर स्पष्ट रणनीतिक ध्यान के साथ प्रवेश कर रहा है। कंपनी विवेकपूर्ण ढंग से विकास के अवसरों का अनुसरण करती रहेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि परिचालन उत्कृष्टता और वित्तीय अनुशासन उसकी व्यावसायिक रणनीति के केंद्र में बने रहें।

अवलोकन–नागरिक विमानन उद्योग

भारतीय नागरिक विमानन उद्योग निरंतर प्रभावशाली विकास पथ पर अग्रसर है और स्वयं को विश्व के सबसे तेज़ी से बढ़ते विमानन बाज़ारों में सुदृढ़ रूप से स्थापित कर चुका है। देश के सबसे बड़े घरेलू विमानन बाज़ारों में से एक के रूप में उभरने से लेकर आगामी दशक में विश्व के अग्रणी हवाई यात्री बाज़ारों में शामिल होने की दिशा में निरंतर प्रगति तक, यह क्षेत्र भारत की आर्थिक बुनियाद की मजबूती, अनुकूल जनसांख्यिकीय संरचना तथा बढ़ते मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। आज विमानन राष्ट्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण सक्षमकर्ता बन चुका है, जो रोजगार सृजन, अवसंरचना निर्माण तथा घरेलू एवं वैश्विक संपर्क में वृद्धि के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद में सार्थक योगदान दे रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, इस क्षेत्र ने अपनी मजबूत गति बनाए रखी, जिसे सशक्त यात्री मांग, घरेलू एयरलाइनों द्वारा क्षमता विस्तार तथा नेटवर्क के निरंतर सुदृढ़ीकरण का समर्थन प्राप्त हुआ। अनुमान है कि घरेलू यात्री यातायात लगभग 340-360 मिलियन तक पहुँच गया, जिसमें वर्ष–दर–वर्ष लगभग 10-15% की स्वस्थ वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात लगभग 80 मिलियन को पार कर गया और इसमें लगभग 15-20% की वृद्धि हुई। ये आँकड़े उद्योग की सुदृढ़ता और बढ़ती यात्रा मांग के अनुरूप परिचालन का विस्तार करने की इसकी क्षमता को रेखांकित करते हैं, भले ही परिचालन वातावरण गतिशील बना हुआ हो।

इस विकास का एक प्रमुख आधार महानगरीय केंद्रों के साथ–साथ टियर– II और टियर– III शहरों में हवाई अड्डा अवसंरचना का निरंतर विस्तार और आधुनिकीकरण रहा है।

जैसे–जैसे यह क्षेत्र उच्च परिचालन तीव्रता और वैश्विक महत्व की ओर अग्रसर हो रहा है, यह आर्थिक विकास, राष्ट्रीय एकीकरण तथा वैश्विक विमानन में भारत की बढ़ती उपस्थिति के लिए एक सशक्त उत्प्रेरक की भूमिका निभाता रहेगा।

अवलोकन–ग्राउंड हैंडलिंग

वित्तीय वर्ष 2025 भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए सुदृढ़ विकास का वर्ष रहा, जिसमें घरेलू यात्री यातायात 165.7 मिलियन तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.8% की वृद्धि दर्शाता है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एयरलाइनों द्वारा क्षमता का विस्तार किया, और बैगेज प्रबंधन, रैम्प सेवाएँ, विमान टर्नअराउंड तथा कार्गो लॉजिस्टिक्स सहित ग्राउंड हैंडलिंग परिचालनों ने देशभर के हवाई अड्डों पर दक्षता, समयपालन और यात्री संतुष्टि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत का ग्राउंड हैंडलिंग बाज़ार, जिसका अनुमानित मूल्य 2025 में लगभग 1.95 अरब अमेरिकी डॉलर है, के 2031 तक 6-7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है। इस वृद्धि को हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण, डिजिटल अपनाने तथा विदेशी निवेश का समर्थन प्राप्त है। वर्ष के दौरान हुए रणनीतिक विकास, जिनमें विनियामक परिवर्तनों का समावेश है, ने इस क्षेत्र की परिचालन और अनुपालन संबंधी चुनौतियों को रेखांकित किया, साथ ही सेवा उत्कृष्टता और परिचालन सुदृढ़ता में नेतृत्व के अवसरों को भी उजागर किया। कार्गो हैंडलिंग में भी निरंतर गति बनी रही, जहाँ क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई और प्रमुख केंद्रों ने अपनी स्थिति को और सुदृढ़ किया, जिससे व्यापार सुविधा में इस क्षेत्र की भूमिका और मजबूत हुई।

क्षेत्रीय संपर्क एंव उड़ान

- उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय संपर्क का निरंतर विस्तार हो रहा है (600 से अधिक आरसीएस मार्ग परिचालन में), जिससे छोटे शहरों और उन क्षेत्रों में यातायात को समर्थन मिल रहा है जो एआईएएसएल के लिए महत्वपूर्ण हैं। देशभर में कम उपयोग में आने वाले हवाई पट्टियों के पुनरुद्धार और हवाई अड्डा उपयोग से संबंधित पहलें जारी हैं।
- हालांकि, एयरलाइनों की आर्थिक व्यवहार्यता और मांग में उतार–चढ़ाव के कारण इन क्षेत्रीय सेवाओं को बनाए रखना एक चुनौती बना हुआ है, जिसका प्रभाव एआईएएसएल जैसे ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाताओं पर भी पड़ता है।

उद्योग संरचना (जीएचए एवं एनएसओपी)

- एयरलाइंस एवं बेड़ाः भारत में अनुसूचित सेवाओं के अंतर्गत लगभग 15 यात्री एयरलाइंस तथा लगभग 4 कार्गो एयरलाइंस परिचालन कर रही हैं। एयरलाइनों के बेड़े में मुख्य रूप से नैरो–बॉडी विमानों का वर्चस्व बना हुआ है, जबकि अंतरराष्ट्रीय विस्तार के लिए वाइड–बॉडी क्षमता में निरंतर वृद्धि हो रही है।
- गैर–अनुसूचित परिचालक (एनएसओपी): लगभग 116 एनएसओपी लगभग 400 से अधिक विमानों का संचालन कर रहे हैं। चार्टर खंड में विभिन्न व्यावसायिक जेट, टर्बोप्रॉप तथा हेलीकॉप्टर सक्रिय हैं, जो उभरते व्यावसायिक अवसरों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- ग्राउंड हैंडलरः उदारीकृत हैंडलिंग नीतियों के अंतर्गत लगभग 25 से अधिक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियाँ हवाई अड्डा सेवाओं का संचालन कर रही हैं।

एआईएएसएल के लिए प्रमुख निष्कर्ष

विकास के प्रमुख कारक

- वित्तीय वर्ष 2025 में घरेलू यातायात में वर्ष–दर–वर्ष सतत वृद्धि (लगभग 7.6-7.8%)।
- अंतरराष्ट्रीय यातायात में सशक्त पुनरुद्धार (लगभग 14% वार्षिक वृद्धि)।
- हवाई अड्डों के विस्तार तथा संपर्क योजनाओं (उड़ान, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे) के माध्यम से व्यापक यातायात को समर्थन।

चुनौतियां एंव विचारणीय पहलू

- महामारी–पश्चात उच्च पुनरुद्धार वर्षों की तुलना में विकास दर में कुछ हद तक संतुलन।
- परिचालन व्यवधान तथा एयरलाइनों पर लागत संबंधी दबाव (जैसे वर्ष 2025 में उजागर हुई स्टाफिंग संबंधी चुनौतियाँ)।
- ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाताओं के लिए क्षेत्रीय संपर्क की दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखना एक महत्वपूर्ण पहलू।

कंपनी का प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी का कुल राजस्व ₹10,037.05 मिलियन रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल राजस्व ₹8,759.78 मिलियन था। कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹9,996.12 मिलियन रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2023–24 में यह ₹7,988.73 मिलियन था। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कर–पूर्व अर्जित लाभ ₹40.93 मिलियन रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2023–24 में कर–पूर्व लाभ ₹771.05 मिलियन था। इस अवधि के दौरान कर–पश्चात शुद्ध लाभ रु. 29.38 मिलियन रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2023–24 में कर–पश्चात शुद्ध लाभ ₹404.26 मिलियन था।

परिचालन संबंधी प्रमुख उपलब्धियां

- एआईएएसएल ने पूरे भारत में अब तक की सबसे अधिक और रिकॉर्ड संख्या में हवाई अड्डों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वर्तमान में यह भारत के लगभग 150 हवाई अड्डों पर कार्यरत है (इनमें से 85 हवाई अड्डों पर एआईएएसएल पूर्ण रूप से संचालित है, तथा अन्य हवाई अड्डों पर एनएसओपी उड़ानों की हैंडलिंग के लिए सेवाएँ उपलब्ध हैं)।
- एआईएएसएल के पास उपलब्ध ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट का उपयोग सर्वाधिक (इष्टतम से भी अधिक) स्तर पर किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 में एआईएएसएल के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक संख्या में उड़ानों का संचालन किया गया है:

एयर इंडिया समूह	एलायंस एयर	तृतीय–पक्ष उड़ानें	गैर–अनुसूचित उड़ानें	हज उड़ानें	कुल
1,29,613	20,569	43,025	23,153	163	216,523

अन्य उपलब्धियाँ अप्रैल 2024–मार्च 2025

- एआईएएसएल को अपनी स्थापना के इतिहास में पहली बार चेन्नई हवाई अड्डे के एनएस–10 अंतरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल पर विनियमित एजेंट (रेगुलेटेड एजेंट) के रूप में कार्य करने हेतु बीसीएएस से स्वीकृति प्राप्त हुई।
- एआईएएसएल को एसएफ एयरलाइंस द्वारा चेन्नई हवाई अड्डे पर उत्कृष्ट ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के रूप में सम्मानित किया गया तथा चेन्नई हवाई अड्डे पर आयोजित एक समारोह में "द बेस्ट ग्राउंड हैंडलर" पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- एआईएएसएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को मुंबई में आयोजित वर्ल्ड एचआरडी कॉन्फ्रेंस में "एचआर उन्मुख सीईओ" पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- एआईएएसएल ने पहली बार फरवरी 2025 में बेंगलुरु के येलहंका हवाई अड्डे पर आयोजित एयरो इंडिया 2025 (रक्षा विमान प्रदर्शनी शो) एशिया का सबसे बड़ा रक्षा एयर शो का संचालन संभाला, जिसे रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा आयोजित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कॉरपोरेट दायित्व (सीएसआर)

- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा सीएसआर समिति का गठन किया गया है तथा समाज में सकारात्मक योगदान देने के उद्देश्य से सीएसआर नीति (परिशिष्ट–IV में संलग्न) निर्धारित की गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित सीएसआर प्रावधानों के अनुसार, एआईएएसएल ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में ₹1,09,71,739.71/– का सीएसआर व्यय योगदान दिया है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड ने वर्ष के दौरान जहाँ भी लागू हो, सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। स्व–मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए डीपीई कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन में 'उत्कृष्ट' श्रेणी में आती है। डीपीई द्वारा एआईएएसएल को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भी 'उत्कृष्ट' ग्रेडिंग प्रदान की गई थी तथा वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के लिए डीपीई की ग्रेडिंग की प्रतीक्षित है।

आभार

मैं इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय तथा हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण को उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी राज्य सरकार के प्राधिकरणों तथा अन्य हितधारकों, जिनमें भारत के सभी निजी हवाई अड्डा संचालक (जीएमआर, अडानी एयरपोर्ट्स, सीआईएएल, एमआईएएल आदि), बैंक तथा नियामक एजेंसियाँ शामिल हैं, द्वारा प्रदान किए गए सहयोग की भी सराहना करता हूँ और उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि हम एआईएएसएल को और अधिक ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। मैं निदेशक मंडल के अपने सहकर्मियों को उनके मूल्यवान योगदान और मार्गदर्शन के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मैं इस अवसर पर एआईएएसएल के सभी कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रयासों और व्यक्तिगत योगदान से कंपनी के प्रदर्शन को सुनिश्चित किया है।

हस्ता/–

अमित कुमार

अध्यक्ष

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

निर्देशक मंडल, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित, लेखा–परीक्षित खातों के साथ कंपनी की बाईसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं।

वित्तीय निष्पादन

(राशि मिलियन रुपये में)

विवरण	2024–25	2023–24
कुल राजस्व	10,037.05	8,759.78
कुल व्यय	9,996.12	7,988.73
असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ / (हानि)	**40.93**	**771.05**
कर से पूर्व लाभ / (हानि)	**40.93**	**771.05**
वर्तमान कर	19.64	187.09
कर का अल्प प्रावधान	0	0
(आस्थगित कर परिसंपत्ति) / आस्थगित कर दायित्व	(8.09)	179.70
कर पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि)	**29.38**	**404.26**

अन्य वित्तीय जानकारी

शेयर पूंजी:

वर्ष के दौरान कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹1,000,00,00,000 / – (रुपये एक हज़ार करोड़) रही।

वर्ष के दौरान कंपनी की चुकता शेयर पूंजी ₹138,42,42,000 / – रही (₹10 / – अंकित मूल्य के 13,84,24,200 इक्विटी शेयर)।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तथा संपूर्ण शेयरधारिता एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) एवं उसके नामित व्यक्तियों के पास ही निहित है।

यदि कोई हो, तो शेयर पूंजी में परिवर्तन

कंपनी की अधिकृत एवं चुकता शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

वित्तीय विवरणों अथवा बोर्ड की रिपोर्ट के संशोधन का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131(1) में उल्लिखित अनुसार, कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अपने वित्तीय विवरणों अथवा बोर्ड की रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं किया है।

लाभांश

निदेशकगण वर्ष के लिए किसी भी लाभांश की संस्तुति नहीं कर रहे हैं।

अदावा लाभांश का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरण

पूर्ववर्ती वर्षों में कोई भी अवैतनिक/अदावा लाभांश न होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

आरक्षित निधि में स्थानांतरित राशि

कंपनी के बोर्ड ने अपनी आरक्षित निधि में शून्य राशि स्थानांतरित करने का निर्णय/प्रस्ताव किया है।

जमा राशियां

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई भी जमा राशियां स्वीकार नहीं की है।

कर्मचारी संख्या

भारत के विभिन्न हवाई अड्डों पर एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एलायंस एयर एविएशन तथा अन्य ग्राहक एयरलाइनों की उड़ानों, जिनमें गैर–अनुसूचित परिचालकों की उड़ानें भी शामिल हैं, के संचालन संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर 31 मार्च 2025 को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है:

विवरण	संख्याएँ
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	1
मुख्य कार्यकारी अधिकारी–जीएच	5
कंपनी सचिव	1
प्रबंधकीय महाप्रबंधक	6
मुख्य वित्तीय अधिकारी	1
मुख्य सुरक्षा अधिकारी	1
मुख्य प्रबंधकीय निदेशक	1
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वार्षिक महाप्रबंधक (कार्यवाहक)–वित्त	1
वरिष्ठ वार्षिक महाप्रबंधक/वार्षिक महाप्रबंधक	18
उप मुख्य सूचना अधिकारी/कार्यवाहक प्रबंधक, कंपनी सचिव	2
वरिष्ठ प्रबंधक/प्रबंधक/उप प्रबंधक	16
प्रबंधक सेवा अभियंता, वरिष्ठ अधीक्षक सेवा अभियंता, वरिष्ठ सेवा अभियंता, अधीक्षक सेवा अभियंता/उप सेवा अभियंता, कनिष्ठ सेवा अभियंता	56

टर्मिनल प्रबंधक / उप टर्मिनल प्रबंधक / वरिष्ठ कार्यकारी – ग्राउंड हैंडलिंग / वरिष्ठ कार्यकारी – बीओएम टर्मिनल / कार्यकारी – वाणिज्यिक / कार्यकारी – कार्गो / कार्यकारी–सिविल / कार्यकारी–कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस / कार्यकारी–उपकरण अनुरक्षण / कार्यकारी–औद्योगिक संबंध / कार्यकारी–एमएमडी / कार्यकारी–रैम्प / कार्यकारी–हवाई अड्डा एवं कार्गो परिचालन / कार्यकारी–समन्वयक / कार्यकारी–एचएएल–एआईएएसएल–जेडब्ल्यूजी / कार्यकारी–गुणवत्ता अनुपालन एवं प्रशिक्षण / कार्यकारी–सुरक्षा / कार्यकारी–सेवा वितरण / कार्यकारी–समय कार्यालय उपस्थिति प्रबंधन / कार्यकारी–वाणिज्यिक कार्य / प्रशिक्षण / हज उड़ानें / वीवीआईपी उड़ानें / कार्यकारी–कार्गो परिचालन / कार्यकारी–औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन एवं कार्मिक / कार्यकारी–एमएमडी / कार्यकारी–रैम्प एवं अनुरक्षण / कार्यकारी–सुरक्षा / कार्यकारी–एसईएसएफ एवं हज चार्टर / सहायक कार्यकारी–सुरक्षा / सहायक कार्यकारी–वित्त / सहायक कार्यकारी–सतर्कता / सहायक कार्यकारी–वाणिज्यिक / सहायक कार्यकारी–मानव संसाधन / सहायक कार्यकारी–कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस / वरिष्ठ मुख्य ऑपरेटर / वरिष्ठ ऑपरेटर / रैम्प ऑपरेटर / क्षेत्रीय सुरक्षा समन्वयक / कार्यवाहक क्षेत्रीय सुरक्षा समन्वयक / सहायक क्षेत्रीय सुरक्षा समन्वयक / आरए मुख्य सुरक्षा अधिकारी / प्रबंधक–रैम्प / अनुरक्षण / उप प्रबंधक–रैम्प अनुरक्षण / ड्यूटी प्रबंधक / ड्यूटी अधिकारी / कार्यवाहक ड्यूटी प्रबंधक / कार्यवाहक ड्यूटी अधिकारी	286
सीनियर चीफ एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट ऑपरेटर, चीफ एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट ऑपरेटर, सीनियर एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट ऑपरेटर, जूनियर एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट ऑपरेटर	97
सीनियर ड्राइवर, एप्रन सुपरवाइजर, सीनियर चीफ असिस्टेंट, सीनियर लीड असिस्टेंट, लीड असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट, चीफ असिस्टेंट, असिस्टेंट I असिस्टेंट II	351
ऑफिसर एचआर / ऑफिसर अकाउंट्स / ऑफिसर–एचआर / आईआर / ऑफिसर –आईटी / ऑफिसर–क्यूएमएस / ऑफिसर –एसएमएस / ऑफिसर सिक्योरिटी / ऑफिसर ऑफ फाइनेंस	101
वरिष्ठ वित्तीय विश्लेषक, वित्त प्रबंधक / कार्यवाहक वित्त प्रबंधक / मानव संसाधन प्रबंधक / कार्यवाहक आईटी प्रबंधक / क्यूएमएस प्रबंधक / एसएमएस प्रबंधक / सेवा आश्वासन प्रबंधक / तकनीकी प्रबंधक / उप प्रबंधक – खरीद एवं भंडार / सहायक प्रबंधक – एमएमडी	20
सहायक प्रबंधक–तकनीकी / जूनियर अधिकारी–तकनीकी / उप प्रबंधक तकनीकी,	232
वरिष्ठ पर्यवेक्षक रैंप / रखरखाव / रैंप रखरखाव पर्यवेक्षक / कनिष्ठ पर्यवेक्षक रैंप रखरखाव / कनिष्ठ कार्यकारी रैंप / कनिष्ठ कार्यकारी यात्री प्रबंधन / कनिष्ठ आईटी पर्यवेक्षक / कनिष्ठ मानव संसाधन अधिकारी / कनिष्ठ सुरक्षा अधिकारी / कनिष्ठ ग्राहक सेवा अधिकारी / कनिष्ठ मालवाहक अधिकारी / कनिष्ठ केबिन सेवा अधिकारी / कनिष्ठ लेखा अधिकारी	761
ग्राहक सेवा एजेंट / पैरामेडिकल एजेंट सह केबिन सेवा एजेंट / सहायक लेखा अधिकारी / सहायक मानव संसाधन / सुरक्षा कार्यकारी	4568
जूनियर कस्टमर एजेंट / जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स	1430
सीनियर कस्टमर एजेंट / सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स / सीनियर असिस्टेंट एचआर	744
आरएसए / आरएसए – / आरएसए(एलजी)	391
सीनियर आरएसए / सीनियर आरएसए –	161

सिक्योरिटी एजेंट	6
यूटिलिटी एजेंट	401
यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर	1884
हैंडी मैन/सफाई कामगार/सेमी स्किल्ड	11225
यूटिलिटी सर्विस एजेंट	16
कुल	**22783**

आरक्षण नीति का कार्यान्वयनः

आरक्षण नीति का कार्यान्वयन वर्ष 1975 में जारी राष्ट्रपति निर्देशों के साथ–साथ वर्ष 1991 एवं 1996 से प्रभावी संशोधित निर्देशों के अनुसार किया गया है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग–31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या

कुल कर्मचारियों की संख्या	एससी कर्मचारियों की कुल संख्या	एससी कर्मचारियों का प्रतिशत	एसटी कर्मचारियों की कुल संख्या	एसटी कर्मचारियों का प्रतिशत	ओबीसी कर्मचारियों की कुल संख्या	ओबीसी कर्मचारियों का प्रतिशत
22783	5466	23.99	1299	5.07	5794	25.43

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड की गतिविधियां

एआईएएसएल भारत के विभिन्न हवाई अड्डों पर एआई समूह (एयर इंडिया एवं एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड), एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (समूह कंपनी), तथा अनेक घरेलू एवं विदेशी एयरलाइनों, कार्गो चार्टर परिचालकों और गैर–अनुसूचित परिचालकों को व्यापक ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान करती है। एआईएएसएल मुंबई (बीओएम) एवं चेन्नई (एमएए) में एक–एक कार्गो वेयरहाउस का संचालन भी करती है।

एआईएएसएल भारत की अग्रणी ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाताओं में से एक है और देश में लगभग 150 से अधिक हवाई अड्डों (सिविल हवाई अड्डों एवं सिविल एन्क्लेव सहित) पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान करती है। वर्तमान में एआईएएसएल की 85 हवाई अड्डों पर प्रत्यक्ष उपस्थिति है तथा शेष हवाई अड्डों पर अनुरोध के आधार पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं की व्यवस्था करती है। इसके अतिरिक्त, एआईएएसएल सभी रक्षा विमानों के लिए रक्षा एन्क्लेव (हवाई अड्डों) पर भी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान करती है।

सेवाओं की प्रमुख पहचान निम्नानुसार की जा सकती हैः

- यात्री हैंडलिंग / रैम्प हैंडलिंग / कार्गो हैंडलिंग / केबिन सेवाएँ / स्टेशन प्रबंधन
- वर्तमान में मुंबई (बीओएम) एवं चेन्नई (एमएए) में कार्गो वेयरहाउस हैंडलिंग तथा भविष्य में अन्य हवाई अड्डों पर भी।
- सहायक कंपनियों – एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड एवं एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड को ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ।
- घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय निजी चार्टर उड़ानों (गैर–अनुसूचित उड़ानें) की अखिल भारतीय स्तर पर हैंडलिंग।
- भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की विशेष अतिरिक्त अनुभाग उड़ानें (एसईएसएफ)–घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय।

  सरकारी एजेंसियों (भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, सीमा सुरक्षा बल, एनएसजी चार्टर आदि) की गैर–एसईएसएफ घरेलू उड़ानों की हैंडलिंग।

- आईजीआई टी3 टर्मिनल पर एयरोफ्लोट, महान एयर एवं बेलाविया एयरलाइंस को ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ।
- चेन्नई एवं मुंबई कार्गो वेयरहाउस तथा आईजीआई टी3 टर्मिनल पर एयरोफ्लोट के लिए सुरक्षा सेवाएँ।
- बेंगलुरु स्थित एचएएल हवाई अड्डे पर एचएएल–एआईएएसएल संयुक्त कार्य समूह।
- वर्तमान में एआईएएसएल में मानव संसाधन का कोई भी आउटसोर्सिंग नहीं है (एनआईएल आउटसोर्सिंग)।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) के निर्देशों के अनुसार, एआईएएसएल ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली के टर्मिनल–3 पर एयरोफ्लोट, महान एयर तथा बेलाविया एयरलाइंस के लिए व्यापक ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान कीं। इसके अतिरिक्त, उसी टर्मिनल पर एयरोफ्लोट के लिए विशेष रूप से सुरक्षा सेवाएँ भी प्रदान की गईं, जिससे निर्बाध परिचालन सुनिश्चित हुआ तथा सर्वोच्च मानकों का अनुपालन किया गया।

राजभाषा का कार्यान्वयन

कंपनी राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठा रही है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कंपनी में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू किया गया है तथा समय–समय पर प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके।

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी में दर्ज यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

- वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की संख्या – 5
- वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या – 5
- नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या – शून्य
- यौन उत्पीड़न के संबंध में आयोजित कार्यशालाओं अथवा जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या – एनएएचआरडी द्वारा आयोजित पीओएसएच (PoSH) प्रशिक्षण चरणबद्ध रूप से विभिन्न स्टेशनों पर तैनात अधिकांश वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अखिल भारतीय स्तर पर एक एचआर कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें प्रशासन एवं मानव संसाधन से संबंधित प्रोफाइल में कार्यरत सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया तथा "पीओएसएच जागरूकता" विषय कॉन्क्लेव का एक अभिन्न हिस्सा रहा। साथ ही, आंतरिक परिपत्रों के माध्यम से सामान्य जागरूकता कार्यक्रम भी एआईएएसएल के सभी कार्यालयों में लागू किए जा रहे हैं।
- कंपनी द्वारा किए गए सुधारात्मक उपाय – कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है तथा समय–समय पर परामर्श (काउंसलिंग) प्रदान की जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन

एआईएएसएल ने नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का सफलतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया है।

एआईएएसएल ने 18 फरवरी 2014 से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों/अपीलों के निपटान हेतु अपनी संरचना का विकेंद्रीकरण किया है। त्वरित निस्तारण के लिए 05 लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ), 05 सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ), 01 नोडल अधिकारी तथा एक अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 60 आरटीआई आवेदन तथा 34 अपीलें प्राप्त हुईं और सभी का निस्तारण किया गया।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

एमएसई अनुपालन

एआईएएसएल का यह निरंतर प्रयास रहा है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) तथा स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को समर्थन प्रदान किया जाए। एआईएएसएल ने भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति को लागू करने सहित अनेक कदम उठाए हैं, जिसके अंतर्गत निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद एमएसई से की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान एमएसई से की गई वास्तविक खरीद ₹1,269.67 मिलियन रही।

सहायक / संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनियों के संबंध में जानकारी

कंपनी की कोई भी सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी कंपनी नहीं है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ

दिनांक 31 मार्च 2025 और बोर्ड की रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

प्रबंधन

निदेशक

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	कार्यमुक्ति की तिथि	कार्यमुक्ति का माध्यम	समाप्ति का प्रकार
1	श्री पदम लाल नेगी	निदेशक	18–01–2023	–	–
2	श्री राहुल जैन*	निदेशक	12–12–2023	14–05–2024	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामांकन वापस लिया गया
3	श्री असंगबा चुबा आओ***	निदेशक (01–01–2024 से अध्यक्ष)	01–01–2024	11–03–2025	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामांकन वापस लिया गया
4	श्रीमती नयोनिका दत्ता	महिला निदेशक	12–02–2024	–	–
5	डॉ. आलोक पांडे*	निदेशक	16–05–2024	25–02–2025	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामांकन वापस लिया गया
6	श्री शोभित गुप्ता*	निदेशक	25–05–2024	–	–
7	श्री मनोज कुमार**	निदेशक	28–02–2025	–	–
8	श्री अमित कुमार***	अध्यक्ष एवं नामित निदेशक	13–03–2025	–	–

* नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा फ़ाइल संख्या 17046/56/2019–AI दिनांक 14–05–2024 के अंतर्गत

जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम), जिसे दिनांक 08–02–2024 के ओएम तथा एमओसीए द्वारा जारी आदेश दिनांक 26–02–2024 के साथ पढ़ा जाए, के अनुपालन में एआईएएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

श्री राहुल जैन एआईएएसएल के बोर्ड से नामित निदेशक के रूप में 14–05–2024 से पदमुक्त हो गए। इसके पश्चात, एआईएएसएल के बोर्ड ने परिपत्र द्वारा पारित अपने संकल्प, संदर्भ संख्या APP-61 दिनांक 30–05–2024, के माध्यम से श्री शोभित गुप्ता को 25–05–2024 से तथा डॉ. आलोक पांडे को 16–05–2024 से एआईएएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया (अर्थात् उन तिथियों से जब उन्होंने अपना–अपना निदेशक पहचान संख्या प्राप्त की) तथा आवश्यक संकल्प दिनांक 30–05–2024 को पारित किया। इसके अतिरिक्त, श्री असंगबा चुबा आओ, जो दिनांक 14–05–2024 के ओएम को दिनांक 26–02–2024 के ओएम के साथ पढ़ने पर सीएमडी–एआईएएचएल हैं, 14–05–2024 से एआईएएसएल के बोर्ड में केवल एक पद पर नामित निदेशक के रूप में बने रहे तथा एमओसीए/एआईएएचएल से किसी भी आगामी संप्रेषण तक, अपनी पदेन (एक्स–ऑफिसियो) क्षमता में, कंपनी के बोर्ड एवं सामान्य बैठकों में अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे।

** इसके अतिरिक्त, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा फ़ाइल संख्या AV.17046/56/2019–AI दिनांक 25–02–2025 के अंतर्गत जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम), जिसे दिनांक 08–02–2024 के ओएम के साथ पढ़ा जाए, के अनुपालन में एआईएएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

डॉ. आलोक पांडे एआईएएसएल के बोर्ड से नामित निदेशक के रूप में 25–02–2025 से पदमुक्त हो गए। इसके पश्चात, एआईएएसएल के बोर्ड ने परिपत्र द्वारा पारित अपने संकल्प, संदर्भ संख्या APP-62 दिनांक 04–03–2025, के माध्यम से श्री मनोज कुमार को 28–02–2025 से (अर्थात् जिस तिथि को उन्होंने अपनी निदेशक पहचान संख्या प्राप्त की) एआईएएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया तथा आवश्यक संकल्प दिनांक 04–03–2025 को पारित किया।

*** इसके अतिरिक्त, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा फ़ाइल संख्या A.V. 17015/02/2015–AI दिनांक 11 मार्च 2025 के अंतर्गत जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसार,श्री अमित कुमार को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकके रूप में उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनके सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात 30–06–2027 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है। इसके परिणामस्वरूप एआईएएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

श्री असांगबा चुबा आओ कंपनी के बोर्ड से 11–03–2025 से पदमुक्त हो गए। इसके पश्चात, एआईएएसएल के बोर्ड ने परिपत्र द्वारा पारित अपने संकल्प, संदर्भ संख्या APP-63 दिनांक 18–03–2025, के माध्यम से श्री अमित कुमार, सीएमडी–एआईएएचएल, को उनकी पदेन (एक्स–ऑफिसियो) क्षमता में एआई एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड के बोर्ड में नामित निदेशक एवं अध्यक्ष के रूप में 13–03–2025 से (अर्थात् जिस तिथि को उन्होंने अपनी निदेशक पहचान संख्या प्राप्त की) नियुक्त किया तथा आवश्यक संकल्प दिनांक 18–03–2025 को पारित किया।

बोर्ड ने अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी के बोर्ड तथा बोर्ड स्तरीय समितियों में अध्यक्ष के रूप में श्री असंगबा चुबा आओ तथा नामित निदेशक के रूप में श्री राहुल जैन और डॉ. आलोक पांडे द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं के लिए उनकी सराहना अभिलेख में दर्ज की।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
1	श्री रामबाबू सीएच.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)	31–07–2021	–
2	श्री संदीप मल्होत्रा	मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)	09–02–2023	–
3	श्रीमती शशि भदुला	कंपनी सचिव (सीएस)	11–06–2020	01–12–2025
4	श्रीमती कुसुम वर्मा	कंपनी सचिव (सीएस)	24–02–2026	–

निदेशक मंडल की बैठकें

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के प्रावधानों के अनुसार, वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पाँच निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, दो बैठकों के बीच समय अंतराल के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन किया गया। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	बैठक की तिथि	बोर्ड की कुल संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	19 जून, 2024	5	3
2	06 सितंबर, 2024	5	2
3	04 दिसंबर, 2024	5	5
4	03 जनवरी, 2025	5	3
5	26 मार्च, 2025	5	4

बोर्ड की समितियाँ

कंपनी में बोर्ड की निम्नलिखित समितियाँ हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

1. लेखापरीक्षा समिति

कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत तथा कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने प्रारंभ में नवंबर 2014 में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था तथा इसे 13 दिसंबर 2017 को पुनर्गठित किया गया। इसके पश्चात, एयर इंडिया लिमिटेड (तत्कालीन होल्डिंग कंपनी) के विनिवेश के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से एआईएएसएल के बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और परिणामस्वरूप, लागू प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा समय–समय पर बोर्ड की समितियों, जिनमें लेखापरीक्षा समिति भी शामिल है, का पुनर्गठन किया जाता रहा।

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, पदेन (एक्स–ऑफिसियो) क्षमता में लेखापरीक्षा समिति के निम्नलिखित सदस्य थे:

क्रम संख्या	निदेशक का विवरण	समिति में धारित पद
1	श्री पदम लाल नेगी संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमओसीए	अध्यक्ष
2	श्री अमित कुमार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – एआईएएचएल,अध्यक्ष एआईएएसएल	सदस्य
3	श्री शोभित गुप्ता संयुक्त सचिव, एमओसीए	सदस्य
4	श्री मनोज कुमार संयुक्त सचिव, डीआईपीएएम	सदस्य

बोर्ड, समिति की सिफारिशों पर आगे निर्णय लेने के लिए उन पर विचार करता है।

2. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुपालन में, बोर्ड ने प्रारंभ में 23 मई 2016 को सीएसआर समिति का गठन किया था। इसके पश्चात, एयर इंडिया लिमिटेड (तत्कालीन होल्डिंग कंपनी) के विनिवेश के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से एआईएएसएल के बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और परिणामस्वरूप, लागू प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा समय–समय पर बोर्ड की समितियों, जिनमें सीएसआर समिति भी शामिल है, का पुनर्गठन किया जाता रहा।

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार हैरू

क्रम संख्या	निदेशक का विवरण	समिति में धारित पद
1	श्री अमित कुमार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – एआईएएचएल, अध्यक्ष एआईएएसएल	अध्यक्ष
2	श्री पदम लाल नेगी संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमओसीए	सदस्य
3	श्री शोभित गुप्ता संयुक्त सचिव, एमओसीए	सदस्य
4	श्री मनोज कुमार संयुक्त सचिव, डीआईपीएएम	सदस्य

बोर्ड, समिति की सिफारिशों पर आगे निर्णय लेने के लिए उन पर विचार करता है।

लेखापरीक्षा समिति एवं सीएसआर समिति से संबंधित अन्य विवरण कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में सम्मिलित हैं, जो इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट भी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य

कंपनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि–

1. वार्षिक लेखों की तैयारी में लागू भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का पालन किया गया है तथा इनमें कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है;
2. चयनित लेखा नीतियों को निरंतर रूप से लागू किया गया है और निदेशकों ने ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाए हैं जो युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं, ताकि 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;
3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पहचान के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के संधारण हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है;
4. कंपनी एक गैर–सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(म) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं;
5. वार्षिक लेखों को सतत क्रियाशीलता (गोइंग कंसर्न) के आधार पर तैयार किया गया है; तथा
6. निदेशकों ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियाँ स्थापित की हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं तथा प्रभावी रूप से कार्यरत रहीं।

वैधानिक लेखा परीक्षक

कंपनी के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स बंसल एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दिल्ली को वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा उस पर प्रबंधन की प्रतिक्रियाएँ संलग्न हैं। वित्तीय विवरणों पर दिए गए टिप्पणियाँ स्व–व्याख्यात्मक हैं और किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(इ) के अंतर्गत, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 12–02–2023 को दी गई शून्य टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षक

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षण करने हेतु मेसर्स सौरभ अग्रवाल एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज़, दिल्ली को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा उस पर प्रबंधन की प्रतिक्रियाएँ/टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

लागत लेखा परीक्षक

बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लागत लेखा परीक्षा कराने हेतु मेसर्स के. जी. गोयल एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार को पुनः नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी लागत लेखा अभिलेख एवं रिकॉर्ड संधारित करती है तथा उनका लेखा परीक्षण लागत लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, वित्तीय वर्ष 2023-24 की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 29.03.2025 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में दाखिल किया गया ।

आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स दीवान कुनवरिया एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षण करने हेतु पुनः नियुक्त किया गया था।

ऋण, गारंटी एवं निवेश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई भी ऋण, गारंटी अथवा निवेश नहीं किया गया है। अतः धारा 186 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन एवं बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी भी ऋण का न तो कोई एकमुश्त निपटान किया गया है और न ही कोई ऋण लिया गया है।

महत्वपूर्ण एवं भौतिक आदेश

वर्ष के दौरान नियामकों, न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण एवं भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है, जो कंपनी की सतत क्रियाशीलता (गोइंग कंसर्न) की स्थिति अथवा भविष्य में कंपनी के परिचालन को प्रभावित करता हो।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

(A) ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी अवशोषण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(उ) के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित अपेक्षित विवरण, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए कार्यों की प्रकृति को देखते हुए, प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

तथापि, कंपनी ने जहाँ भी संभव हो, गैर–नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु सभी आवश्यक प्रयास किए हैं, जैसे कि दिल्ली एवं चेन्नई कार्यालयों में सौर ऊर्जा का उपयोग।

(B) विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार हैरू

अमेरिकी डॉलर (मिलियन में)

आय	1,963.36	अमेरिकी डॉलर
व्यय	14.99	अमेरिकी डॉलर

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुसार, उस कंपनी पर सीएसआर के प्रावधान लागू होते हैं जिसकी निवल संपत्ति ₹500 करोड़ या कारोबार ₹1,000 करोड़ या शुद्ध लाभ ₹5 करोड़ अथवा उससे अधिक हो, जो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ हो। कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित सीएसआर प्रावधानों के अनुसार, एआईएएसएल ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में ₹1,09,71,739.71/– का सीएसआर व्यय योगदान दिया है। **(सीएसआर निधियों के उपयोग पर मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणपत्र परिशिष्ट–VA के रूप में संलग्न है)**।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **परिशिष्ट–V** के रूप में संलग्न है।

सचिवीय मानक

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सभी लागू अनिवार्य सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस

कंपनी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। विस्तृत कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट इस रिपोर्ट का एक पृथक भाग है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण पर एक विस्तृत रिपोर्ट पृथक रूप से प्रस्तुत की गई है।

वार्षिक रिटर्न का अंश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं धारा 134(3) के प्रावधानों तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2024 के नियम 12(1) के साथ पठित अनुसार, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की https://www.aiasl.in/Annualreturn.aspx वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत दायर आवेदन अथवा लंबित कार्यवाही का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के नाम पर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कोई भी आवेदन दायर नहीं किया गया और न ही कोई कार्यवाही लंबित रही।

कर्मचारियों का विवरण

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(म) के प्रावधान किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

परिणामस्वरूप, निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित कंपनी की नीति एवं अन्य विषयों का विवरण धारा 178(3) के अंतर्गत प्रदान नहीं किया गया है।

इसी प्रकार, धारा 197 भी किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है। अतः कंपनी के प्रत्येक ऐसे कर्मचारी, जो पूरे वित्तीय वर्ष अथवा उसके किसी भाग के दौरान नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा था, के नाम एवं अन्य विवरणों का विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1)/5(2) के अंतर्गत प्रदान नहीं किया गया है।

एआईएएसएल एक सरकारी कंपनी होने के कारण, इसके निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत सरकार द्वारा सरकारी/डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, जिनमें योग्यता निर्धारित करने, वेतन निर्धारण तथा अन्य संबंधित विषयों के मानदंड भी सम्मिलित हैं।

वार्षिक मूल्यांकन

दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या G.S.R. 463 (E) के अनुसार, बोर्ड मूल्यांकन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(p) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि निदेशकों का मूल्यांकन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशक एवं घोषणा

एआईएएसएल, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के उपनियमों (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुच्छेद 97 के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम नहीं होगी और पंद्रह से अधिक नहीं होगी तथा सभी निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय/एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड द्वारा की जाएगी, जो भारत सरकार के निर्देशों के अधीन ऐसा कर सकते हैं।

एआईएएसएल एक गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है तथा एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2017 को जारी परिपत्र के अनुसार, गैर–सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति से छूट प्रदान की गई है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अंतर्गत नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन के प्रावधानों से, गैर–सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को अधिसूचना संख्या G.S.R. 880(E), दिनांक 13–07–2017 के माध्यम से छूट प्रदान की गई है। एआईएएसएल, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की एक गैर–सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, इन प्रावधानों से मुक्त है।

पारिश्रमिक नीति

कार्यकारी एवं गैर–कार्यकारी निदेशकों को पारिश्रमिक

कंपनी के निदेशकों को पारिश्रमिक से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान, अधिसूचना संख्या G.S.R. 463(E), दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित है, जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पहचान, लेखा अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर संकलन शामिल है, जो कंपनी के परिचालन के अनुरूप है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को और सुदृढ़ करने की प्रक्रिया में है, ताकि सभी अपेक्षित क्षेत्रों को कवर किया जा सके तथा स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं उपयोगकर्ता विभागों में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए, मेसर्स दीवान कुनवरिया एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दिल्ली को आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, ताकि वे व्यवसाय प्रक्रियाओं एवं नियंत्रणों की समीक्षा कर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन कर सकें, सभी लागू विधियों एवं विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित कर सकें तथा संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग एवं कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा में सहायता प्रदान कर सकें।

धोखाधड़ी से संबंधित प्रकटीकरण

लेखा परीक्षक द्वारा न तो ऑडिट समिति को और न ही बोर्ड को किसी प्रकार की धोखाधड़ी की सूचना दी गई है।

ग्राउंड हैंडलिंग में गुणवत्ता एवं सुरक्षा प्रबंधन

एक समर्पित सुरक्षा एवं गुणवत्ता टीम के कार्यान्वयन से परिचालन सुरक्षा को सुदृढ़ करने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा ग्राहक एयरलाइनों के लिए उच्च सेवा मानकों को सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें सक्रिय खतरा रिपोर्टिंग, व्यापक जोखिम प्रबंधन तथा क्षेत्र–विशिष्ट जोखिम आकलन शामिल हैं। ऑडिट, प्रशिक्षण एवं फीडबैक के माध्यम से सतत सुधार सुनिश्चित किया जाता है, जिससे सभी स्टेशनों पर समान सुरक्षा एवं गुणवत्ता बनाए

रखी जा सके तथा एयरलाइनों को अद्यतन एवं सुधारों के संबंध में स्पष्ट रूप से सूचित किया जा सके।

जोखिम–संस्कृति को प्रोत्साहित करने से कर्मचारियों को संभावित जोखिमों की सक्रिय पहचान करने तथा अवसरों का लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाया जाता है, जिससे समयबद्ध एवं प्रभावी प्रतिक्रियाएँ सुनिश्चित होती हैं और संगठन की स्थिरता एवं लचीलापन बढ़ता है।

किसी कंपनी की मानव, भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए जोखिमों की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन एवं प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। रणनीतिक एवं समन्वित दृष्टिकोण अपनाकर व्यवसाय व्यवधानों को न्यूनतम कर सकते हैं तथा लागतों पर नियंत्रण रख सकते हैं। यह सक्रिय जोखिम प्रबंधन दीर्घकालिक स्थिरता एवं सफलता सुनिश्चित करता है।

क्षेत्रीय स्तर पर आंतरिक एवं पखवाड़ेवार (फोर्टनाइटली) ऑडिट, परिचालन मानकों की गहन समीक्षा एवं निरंतर सुधार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे सभी प्रक्रियाओं में सर्वोच्च गुणवत्ता मानकों का पालन बना रहता है।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है:

- जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों का समग्र अवलोकन प्रदान करना।
- जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को स्पष्ट करना।
- प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना को परिभाषित करना।
- ऐसी "जोखिम संस्कृति" विकसित करना जो सभी कर्मचारियों को जोखिमों एवं उनसे जुड़े अवसरों की पहचान करने तथा प्रभावी कार्रवाइयों के माध्यम से उनका समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करे।
- मौजूदा एवं नए जोखिमों की योजनाबद्ध एवं समन्वित ढंग से पहचान, मूल्यांकन एवं प्रबंधन करना, ताकि न्यूनतम व्यवधान एवं लागत के साथ कंपनी की मानव, भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

सतर्कता तंत्र

होल्डिंग कंपनी अर्थात एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) का सतर्कता विभाग, एआईएएचएल की सहायक कंपनियों, जिनमें एआईएएसएल भी शामिल है, के लिए सतर्कता कार्यों का निर्वहन करता है।

कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति को निदेशक मंडल द्वारा पूर्व में ही अनुमोदित किया जा चुका है।

संबद्ध पक्ष लेन–देन

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबद्ध पक्षों के साथ ऐसे अनुबंध अथवा व्यवस्थाएँ कीं, जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में तथा आर्म्स लेंथ आधार पर थीं। ये लेन–देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

इसके अतिरिक्त, धारा 188 की उप–धारा (1) के प्रथम एवं द्वितीय परंतुक के अंतर्गत सामान्य सभा में कंपनी की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से सरकारी कंपनियों को, किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ किए गए अनुबंध अथवा व्यवस्थाओं के संबंध में, छूट प्रदान की गई है।

कंपनी ने 03 जनवरी 2025 को आयोजित बैठक में एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड तथा अन्य सहायक कंपनियों (सरकारी कंपनियाँ) के साथ अनुबंधों/व्यवस्थाओं में प्रवेश करने हेतु ऑडिट समिति एवं बोर्ड से समग्र (ऑम्निबस) स्वीकृति प्राप्त की है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान इसके अंतर्गत अनुमानित कुल राजस्व ₹48,68,96,826/– तथा अनुमानित कुल व्यय ₹8,63,97,371/– है। संबद्ध पक्ष लेन–देन का विवरण प्रपत्र एओसी–2 में दिया गया है, जो परिशिष्ट–VI के रूप में संलग्न है।

कंपनी के निदेशकों, प्रबंधन अथवा उनके संबंधियों के साथ कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेन–देन नहीं हुआ है, जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव उत्पन्न हो।

आभार

निदेशक मंडल नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, डीजीसीए तथा एईआरए से प्राप्त सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा अन्य विभिन्न सरकारी विभागों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता है।

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक मंडल
की ओर से और उनके लिए
हस्ता/–
अमित कुमार
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24.02.2026

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1. वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण

राजस्व

वर्ष के दौरान अर्जित कुल राजस्व ₹10,037.05 मिलियन रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2023–24 में यह ₹8,759.78 मिलियन था।

व्यय

वर्ष के दौरान कुल व्यय ₹9,996.12 मिलियन रहा, जो पिछले वर्ष में ₹7,988.73 मिलियन था।

2. उद्योग संरचना एवं विकास

भारतीय नागरिक उड्डयन उद्योग निरंतर प्रभावशाली वृद्धि पथ पर अग्रसर है और स्वयं को विश्व के सबसे तीव्र गति से विकसित हो रहे विमानन बाजारों में स्थापित कर चुका है। देश के सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजारों में से एक के रूप में उभरने से लेकर आगामी दशक में विश्व के अग्रणी हवाई यात्री बाजारों में शामिल होने की दिशा में निरंतर प्रगति करना, इस क्षेत्र में भारत की मजबूत आर्थिक आधारशिला, अनुकूल जनसांख्यिकीय संरचना तथा बढ़ते मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को दर्शाता है। वर्तमान में विमानन क्षेत्र राष्ट्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण सक्षमकर्ता बन चुका है, जो रोजगार सृजन, अवसंरचना विकास तथा घरेलू एवं वैश्विक संपर्क में वृद्धि के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सार्थक योगदान दे रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र ने अपनी मजबूत गति बनाए रखी, जिसे यात्रियों की सशक्त मांग, घरेलू एयरलाइनों द्वारा क्षमता विस्तार तथा नेटवर्क के निरंतर सुदृढ़ीकरण का समर्थन प्राप्त हुआ। घरेलू यात्री यातायात के लगभग 340–360 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, जिसमें लगभग 10–15% की स्वस्थ वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात लगभग 80 मिलियन को पार कर गया और इसमें लगभग 15–20% की वृद्धि हुई। ये आँकड़े उद्योग की मजबूती तथा बढ़ती यात्रा मांग के अनुरूप परिचालन का विस्तार करने की इसकी क्षमता को रेखांकित करते हैं, भले ही परिचालन वातावरण गतिशील रहा हो।

इस वृद्धि का एक प्रमुख आधार महानगरों के साथ–साथ टियर–II एवं टियर–III शहरों में हवाई अड्डा अवसंरचना का निरंतर विस्तार एवं आधुनिकीकरण रहा है। ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड हवाई अड्डों में किए गए महत्वपूर्ण निवेश, परिचालन दक्षता में सुधार तथा प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग ने भारत के विमानन पारितंत्र को और सशक्त बनाया है। इस अवसंरचना–आधारित दृष्टिकोण से क्षमता में वृद्धि हुई है, यात्रियों के अनुभव में सुधार आया है तथा आगामी वर्षों में सतत यातायात वृद्धि को समर्थन देने की तैयारी सुनिश्चित हुई है।

क्षेत्रीय संपर्क भारत सरकार की विमानन –ष्टि का एक केंद्रीय स्तंभ बना हुआ है। उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना जैसी पहलों ने हवाई यात्रा को अधिक सुलभ एवं किफायती बनाने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है, साथ ही दूरस्थ एवं अल्पसेवित क्षेत्रों को राष्ट्रीय विमानन नेटवर्क से जोड़ने में भी सहायता की है। नए एवं पुनर्जीवित हवाई अड्डों, हेलीपोर्टों तथा जल एयरोड्रोमों के परिचालन से न केवल संपर्क में सुधार हुआ है, बल्कि आंतरिक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिला है, जिससे समावेशी एवं संतुलित विकास को बल मिला है।

जैसे–जैसे यह क्षेत्र उच्च परिचालन तीव्रता एवं वैश्विक महत्व की ओर अग्रसर हो रहा है, यह आर्थिक विकास, राष्ट्रीय एकीकरण तथा वैश्विक विमानन में भारत की बढ़ती उपस्थिति के लिए एक सशक्त उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता रहेगा।

अवलोकन – ग्राउंड हैंडलिंग

वित्तीय वर्ष 2025 भारत के विमानन क्षेत्र के लिए सशक्त वृद्धि का वर्ष रहा, जिसमें घरेलू यात्री यातायात 165.7 मिलियन तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.8% की वृद्धि दर्शाता है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एयरलाइनों ने क्षमता का विस्तार किया, और ग्राउंड हैंडलिंग परिचालनोंकृजैसे बैगेज प्रबंधन, रैम्प सेवाएँ, विमान टर्नअराउंड तथा कार्गो लॉजिस्टिक्सकृने देशभर के हवाई अड्डों पर दक्षता, समयपालन और यात्री संतुष्टि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत का ग्राउंड हैंडलिंग बाजार, जिसका मूल्य वर्ष 2025 में लगभग 1.95 अरब अमेरिकी डॉलर आँका गया है, के वर्ष 2031 तक 6–7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ने का अनुमान है। यह वृद्धि हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण, डिजिटल अपनाने तथा विदेशी निवेश के समर्थन से संभव हो रही है। वर्ष के दौरान हुए रणनीतिक विकास, जिनमें नियामकीय परिवर्तनों का समावेश है, ने जहाँ एक ओर क्षेत्र की परिचालन एवं अनुपालन संबंधी चुनौतियों को रेखांकित किया, वहीं दूसरी ओर सेवा उत्कृष्टता एवं परिचालन लचीलापन में नेतृत्व के अवसरों को भी उजागर किया। कार्गो हैंडलिंग में भी निरंतर गति बनी रही, जहाँ क्षेत्रीय हवाई अड्डों में उल्लेखनीय वृद्धि तथा प्रमुख हब्स में मजबूती देखने को मिली, जिससे व्यापार सुगमता में इस क्षेत्र की भूमिका और सुदृढ़ हुई।

भारत का ग्राउंड हैंडलिंग पारितंत्र एक सहायक कार्य से आगे बढ़कर एयरलाइन दक्षता, कार्गो लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय विकास का एक रणनीतिक सक्षमकर्ता बनने की दिशा में अग्रसर है। प्रौद्योगिकी को अपनाने, कार्यबल कौशल संवर्धन तथा परिचालन उत्कृष्टता के माध्यम से, हम निर्बाध, विश्वसनीय एवं सुरक्षित सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे भारत की विमानन आकांक्षाओं को समर्थन मिले और यात्रियों, एयरलाइनों तथा सभी हितधारकों के लिए सतत मूल्य सृजन सुनिश्चित हो।

3. एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

ताकत

- एआईएएसएल भारत की सबसे बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी है, जिसकी उपस्थिति देशभर में उत्तर में लेह से लेकर दक्षिण में पोर्ट ब्लेयर एवं अगत्ती तक है।
- एआईएएसएल को भारत के सभी हवाई अड्डों पर, जिनमें सिविल एन्क्लेव, रक्षा हवाई अड्डे तथा भविष्य में विकसित होने वाले हवाई अड्डे भी शामिल हैं, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है।
- उपलब्ध ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट (जीएसई) के बेड़े के साथ, एआईएएसएल सभी प्रकार के यात्री एवं मालवाहक विमानों (ए–380 तक) के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम है।
- एआईएएसएल को भारत के सभी हवाई अड्डों पर न्यूनतम रॉयल्टी दरों का लाभ प्राप्त है।
- एआईएएसएल को वर्ष 2025 के लिए आईएटीए ग्राउंड हैंडलिंग पार्टनर के रूप में शामिल किया गया है, जिससे इसकी वैश्विक छवि एवं विश्वसनीयता को मजबूती मिली है।
- एआईएएसएल ने भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के साथ भारत तथा विदेशों में विशेष अतिरिक्त अनुभाग उड़ानों (एसईएसएफ) की हैंडलिंग हेतु समझौता सह–निष्पादित किया है।
- एआईएएसएल ने भारतीय वायु सेना की अन्य सभी उड़ानों (गैर–एसईएसएफ, ए–321 कूरियर आदि) की भारत के सभी हवाई अड्डों पर हैंडलिंग के लिए भी समझौता सह–निष्पादित किया है।
- एआईएएसएल ने विशिष्ट अधिकारों के अंतर्गत बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित "विंग्स इंडिया" कार्यक्रम का संचालन किया, जिसमें बोइंग एवं एयरबस सहित विभिन्न विमान निर्माताओं के नए विमानों का प्रदर्शन अत्याधुनिक ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट के साथ किया गया।

- एआईएएसएल ने बेंगलुरु के येलहंका हवाई अड्डे पर आयोजित "एयरो इंडिया" कार्यक्रम के दौरान ग्राउंड हैंडलिंग परिचालनों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया, जहाँ विभिन्न निर्माताओं के नवीन रक्षा विमानों का प्रदर्शन किया गया। इन परिचालनों को नवीनतम अत्याधुनिक ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट (जीएसई) का समर्थन प्राप्त था, जिससे पूरे कार्यक्रम के दौरान निर्बाध एवं कुशल सेवाएँ सुनिश्चित हुईं।
- एआईएएसएल एक ऋण–मुक्त कंपनी के रूप में कार्य कर रही है और पिछले पाँच वर्षों में अपने आंतरिक संसाधनों से अत्याधुनिक ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट में निवेश किया है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में कंपनी पर कोई भी वैधानिक बकाया देय नहीं है।
- एआईएएसएल ने नियामक प्राधिकरण बीसीएएस द्वारा भारत में अनुमोदित विनियमित एजेंट (आरए) के रूप में अनुमति प्राप्त करने के पश्चात, चेन्नई एवं मुंबई कार्गो वेयरहाउस के संबंध में यूरोपीय संघ तथा यूनाइटेड किंगडम (आरए3 यूके एवं ईयू) से मान्यता एवं अनुमोदन सफलतापूर्वक प्राप्त किया है, जिससे कार्गो हैंडलिंग में वैश्विक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित किया गया है।
- एआईएएसएल ने मुंबई में एयरोवॉश के माध्यम से बाह्य विमान सफाई सेवाएँ प्रारंभ की हैं, जो विमान के बाहरी ढाँचे से गंदगी, धूल एवं मैल को हटाकर वायुगतिकीय घर्षण को कम करती हैं तथा ईंधन दक्षता में सुधार करती हैं। यह उन्नत रोबोटिक एवं ड्राई–वॉश प्रणाली जल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है, जो वर्तमान जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत आवश्यक है।
- हाल के वर्षों में एआईएएसएल का सतत वित्तीय प्रदर्शन, जिसने परिचालन स्थिरता तथा हितधारकों के विश्वास को और सुदृढ़ किया है।
- हज तथा रक्षा–संबंधित परिचालनों जैसे बड़े पैमाने एवं विशेष अभियानों के संचालन में एआईएएसएल की सिद्ध क्षमता।

कमज़ोरियाँ

- एआईएएसएल की अधिकांश गतिविधियाँ अभी भी मैनुअल प्रणाली पर आधारित हैं, जिससे अक्षमताएँ उत्पन्न होती हैं। स्वचालन की अनुपस्थिति परिचालन प्रभावशीलता को प्रभावित करती है, इसलिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने एवं विलंब को समाप्त करने हेतु ईआरपी/एसएपी प्रणाली का कार्यान्वयन अत्यंत आवश्यक है।
- प्रशिक्षित एवं अनुभवी कार्मिकों को बनाए रखना एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों द्वारा बार–बार कर्मियों को आकर्षित किया जाता है, जिससे कार्यबल की स्थिरता प्रभावित होती है तथा प्रशिक्षण लागत बढ़ती है।
- विभिन्न स्टेशनों पर परिचालन स्तर एवं यातायात तीव्रता में भिन्नता के कारण समान उत्पादकता मानकों को प्राप्त करने में चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- श्रम–प्रधान परिचालनों के कारण उच्च मानव संसाधन लागत संरचना।

अवसर

- एआईएएसएल के पास भारत भर के हवाई अड्डों पर कार्गो वेयरहाउस हैंडलिंग के व्यवसायिक अवसरों का लाभ उठाने की व्यापक संभावनाएँ हैं।
- एआईएएसएल, विशेष विमानन प्रशिक्षण की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, आईएटीए/डीजीसीए से मान्यता प्राप्त प्रमाणित प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित होने की क्षमता रखता है।
- एआईएएसएल अखिल भारतीय स्तर पर अपने गैर–अनुसूचित परिचालन (एनएसओपी) व्यवसाय का और विस्तार कर सकता है।

- सुरक्षा, अनुपालन एवं मानकीकरण पर बढ़ता जोर, एआईएएसएल जैसे स्थापित खिलाड़ियों के लिए अपने पैमाने एवं अनुभव के माध्यम से स्वयं को अलग पहचान देने के अवसर प्रदान करता है।
- सरकार द्वारा आरसीएस उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के अंतर्गत मौजूदा हवाई पट्टियों से अधिकाधिक वाणिज्यिक हवाई अड्डों के परिचालन की योजना के साथ, एआईएएसएल के पास इन हवाई अड्डों पर अपने परिचालनों का विस्तार करने के अवसर उपलब्ध हैं।
- एआईएएसएल के पास पड़ोसी देशों में परिचालन विस्तार कर अपने क्षेत्रीय विस्तार को बढ़ाने एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों को प्राप्त करने के अवसर हैं।
- भारत भर में अपनी व्यापक उपस्थिति के कारण, एआईएएसएल अधिक ग्राहक एयरलाइनों को आकर्षित करने के लिए अच्छी स्थिति में है, जहाँ वह अपने परिचालन पैमाने एवं विशेषज्ञता का लाभ उठा सकता है।
- एआईएएसएल ने मुंबई में एयरोवॉश के माध्यम से बाह्य विमान सफाई सेवाएँ प्रारंभ की हैं, जो ईंधन दक्षता बढ़ाने वाली एवं जल–संरक्षण करने वाली रोबोटिक ड्राई–वॉश सेवाएँ प्रदान करती हैं। यह अभिनव समाधान शीघ्र ही उन सभी मेट्रो स्टेशनों तक विस्तारित किया जाएगा जहाँ एआईएएसएल परिचालन करता है।
- भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में निरंतर वृद्धि, जिसे बढ़ते यात्री एवं कार्गो यातायात का समर्थन प्राप्त है।
- डिजिटल समाधानों, स्वचालन तथा डेटा–आधारित प्रदर्शन निगरानी को अपनाने की संभावनाएँ।

खतरे

- भारत भर के विभिन्न हवाई अड्डों पर अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों (जीएचए) की बढ़ती उपस्थिति, जिससे बाजार हिस्सेदारी तथा ग्राहकों को बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही है।
- निश्चित अवधि के अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों में उच्च स्तर का पलायन तथा अनुभवी स्थायी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, जिससे परिचालन निरंतरता एवं विशेषज्ञता प्रभावित होती है।
- वर्तमान ग्राउंड हैंडलिंग (जीएच) नीति के अंतर्गत हवाई अड्डा परिचालकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, जो नए विकसित हवाई अड्डों पर एआईएएसएल की ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के रूप में नियुक्ति को सीमित करते हैं।
- हवाई अड्डा परिचालकों की नई नीतियों के कारण ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट (जीएसई) के अनिवार्य प्रतिस्थापन की आवश्यकता, जिसके लिए भारी पूंजी निवेश अपेक्षित है।
- 3.5 मिलियन यात्री वार्षिक क्षमता (एमपीए) एवं उससे अधिक वाले हवाई अड्डों पर हरित पहलों के अनुपालन हेतु पर्यावरण–अनुकूल जीएसई की तत्काल खरीद की आवश्यकता।
- निजी हवाई अड्डों पर प्रतिस्पर्धी जीएचए द्वारा उद्धृत उच्च रॉयल्टी प्रतिशत, जिससे प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण एवं लाभप्रदता बनाए रखने में चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- ग्राउंड हैंडलिंग मानदंडों एवं हवाई अड्डा परिचालनों को प्रभावित करने वाले नियामकीय एवं नीतिगत परिवर्तन।
- मानव संसाधन, ऊर्जा तथा उपकरण अनुरक्षण लागतों में वृद्धि।
- हवाई अड्डों की भीड़, अवसंरचनात्मक सीमाओं तथा प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण परिचालन व्यवधान।

4. भविष्य का परिदृश्य

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईएएसएल) का परिचालन 1 फरवरी 2013 को प्रारंभ हुआ तथा अप्रैल 2014 से इसने स्वतंत्र परिचालन शुरू किया। वर्तमान में, एआईएएसएल भारत में लगभग 150 हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान कर रही है (जिनमें से 85 हवाई अड्डों पर एआईएएसएल पूर्ण रूप से परिचालित है तथा शेष हवाई अड्डों पर व्यवसाय के विकास के अनुसार एआईएएसएल अपनी व्यवस्था स्थापित कर रही है)।

वर्तमान परिदृश्य में, एआईएएसएल 6 भारतीय अनुसूचित एयरलाइनों (जिनमें एआई समूह–एयर इंडिया एवं एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें शामिल हैं), 4 क्षेत्रीय एयरलाइनों (जिनमें एलायंस एयर की उड़ानें शामिल हैं), 1 घरेलू कार्गो एयरलाइन, 65 विदेशी अनुसूचित एयरलाइनों, 4 मौसमी चार्टर एयरलाइनों तथा 22 विदेशी एयरलाइनों को (एपीडा के अंतर्गत) नाशवान कार्गो हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, गैर–अनुसूचित उड़ानों की हैंडलिंग भी की जाती है।

इसके अलावा, एआईएएसएल एयर इंडिया समूह, एलायंस एयर तथा अन्य ग्राहक एयरलाइनों को केबिन क्लीनिंग एवं केबिन ड्रेसिंग सेवाएँ भी प्रदान करती है।

एआईएएसएलः भविष्य का परिदृश्य संक्षेप में

- एआईएएसएल वैश्विक सुरक्षा एवं परिचालन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु आईएसएजीओ (ISAGO & IATA Safety Audit for Ground Operations) प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।
- एआईएएसएल अपने चेन्नई एवं मुंबई कार्गो वेयरहाउस के लिए आरए, आरए3 ईयू तथा आरए 3 यूके प्रमाणनों को निरंतर बनाए हुए है। ये उपलब्धियाँ कार्गो परिचालनों में सर्वोच्च सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के प्रति एआईएएसएल की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
- एआईएएसएल चेन्नई कार्गो वेयरहाउस में अंतरराष्ट्रीय कूरियर व्यवसाय की हैंडलिंग प्रारंभ कर अपनी सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रही है, जिससे अतिरिक्त राजस्व सृजन के नए अवसर प्राप्त होंगे।
- एआईएएसएल घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एसईएसएफ परिचालनों को निरंतर सुविधा प्रदान कर रही है, जिससे उसकी वैश्विक परिचालन उपस्थिति और सुदृढ़ हो रही है।
- एआईएएसएल भारत भर में रक्षा एन्क्लेव सहित, भारतीय रक्षा बलों द्वारा संचालित सभी विमानों के लिए समर्पित ग्राउंड हैंडलर के रूप में कार्यरत है।
- एआईएएसएल ने आईएटीए ग्राउंड हैंडलर्स पार्टनरशिप (IATA GHP) में सहभागिता की है, जिससे वह वैश्विक एयरलाइनों एवं गैर–अनुसूचित परिचालकों के बीच अपनी –श्यता बढ़ा रही है।
- एआईएएसएल अंतरराष्ट्रीय ग्राउंड हैंडलिंग सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लेती है, जिससे नेटवर्किंग को बढ़ावा मिलता है तथा नए व्यवसायिक अवसरों की खोज की जाती है।
- एआईएएसएल परिचालन दक्षता बढ़ाने हेतु सुरक्षा, मानव संसाधन, एमएमडी तथा आईटी विभागों को सुदृढ़ करने के लिए पेशेवरों की भर्ती पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- एआईएएसएल "सुरक्षा–प्रथम" संस्कृति को आत्मसात करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य ग्राउंड हैंडलिंग घटनाओं में कमी लाना तथा विमान क्षति को रोकना है।
- कार्यात्मक प्रशिक्षण एवं सतत कौशल विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि कार्यबल के सभी स्तरों पर परिचालन उत्कृष्टता सुनिश्चित की जा सके।
- एआईएएसएल परिचालनों को सुव्यवस्थित करने एवं कार्यबल प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु ईआरपी प्रणाली, बायोमेट्रिक उपस्थिति तथा कर्मचारी स्व–सेवा (ईएसएस) पोर्टल जैसे नए आईटी उत्पादों को लागू कर रही है।
- एआईएएसएल हवाई अड्डों पर पर्यावरण–अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार की पहल का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- एआईएएसएल वाइडबॉडी एवं अगली पीढ़ी के विमानों की बढ़ती तैनाती को संभालने के लिए परिचालन तत्परता को सुदृढ़ कर रही है, जिसमें लक्षित प्रशिक्षण, जीएसई का आधुनिकीकरण तथा मानकीकृत परिचालन प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

- कंपनी परिचालन –दृश्यता बढ़ाने के लिए डेटा एनालिटिक्स, स्वचालन तथा डिजिटल डैशबोर्ड का उपयोग करने का लक्ष्य रखती है। ये पहलें एसएलए निगरानी, सुरक्षा प्रदर्शन ट्रैकिंग तथा जीएसई की पूर्वानुमानित अनुरक्षण (प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस) को समर्थन प्रदान करेंगी।
- एआईएएसएल चरणबद्ध रूप से विद्युत एवं कम–उत्सर्जन वाले ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये पहल कार्बन फुटप्रिंट को कम करने तथा विकसित होते पर्यावरणीय विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगी।
- एआईएएसएल बेहतर टर्नअराउंड समय एवं सेवा की विश्वसनीयता के माध्यम से एयरलाइनों तथा यात्रियों के अनुभव को और सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है। पारदर्शी, एसएलए–आधारित प्रदर्शन मानक निरंतर सेवा प्रदान करने की नींव होंगे।
- कंपनी को गैर–अनुसूचित, चार्टर, वीवीआईपी तथा रक्षा परिचालनों में सतत वृद्धि की अपेक्षा है। इन क्षेत्रों में एआईएएसएल स्वयं को एक विशिष्ट एवं विश्वसनीय ग्राउंड हैंडलिंग भागीदार के रूप में स्थापित करती रहेगी।

5. सतत संचालन

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012–13 से निरंतर शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जो 2012–13 में ₹5.06 मिलियन से बढ़कर 2019–20 में (पुनः प्रस्तुत) ₹504.82 मिलियन हो गया। तथापि, कोविड–19 की स्थिति के कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 में कंपनी को ₹1,900.28 मिलियन का घाटा हुआ। चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने कर पश्चात ₹29.38 मिलियन का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

6. मानव संसाधन

कर्मचारी संख्या

31 मार्च 2025 को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या 22,783 थी।

7. जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियाँ

कंपनी निरंतर जोखिमों की पहचान एवं मूल्यांकन करती है तथा विभिन्न क्षेत्रों में जोखिमों के न्यूनीकरण हेतु समय पर निवारक उपाय अपनाती है।

8. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए, कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करने, सभी लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने, संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को बढ़ावा देने तथा कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु मेसर्स दीवान कुंवरिया एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दिल्ली को आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

9. पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी अवशोषण को सदैव एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है तथा वर्ष के दौरान इन्हें उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट की खरीद के समय, जहाँ भी संभव हो, कंपनी द्वारा हरित पहलों को अपनाने का प्रयास किया गया है। विदेशी मुद्रा से संबंधित विवरण निदेशक प्रतिवेदन में पृथक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं।

10. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुसार, जिन कंपनियों की शुद्ध संपत्ति ₹500 करोड़ या टर्नओवर ₹1,000 करोड़ या शुद्ध लाभ ₹5 करोड़ या उससे अधिक हो, उनके लिए सीएसआर प्रावधान लागू होते हैं। कंपनी अधिनियम,

2013 के अंतर्गत निर्धारित सीएसआर प्रावधानों के अनुसार, एआईएएसएल ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में ₹1,09,71,739.71/– का योगदान सीएसआर व्यय के रूप में किया है। (सीएसआर निधियों के उपयोग के संबंध में मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाण–पत्र परिशिष्ट–V A के रूप में संलग्न है)।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन परिशिष्ट–V के रूप में संलग्न है।

11. सावधानी संबंधी वक्तव्य

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण में किए गए कथन भविष्य उन्मुख कथन हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। व्यवसायिक परिवेश, उद्योग परि–श्य तथा भविष्य के दृष्टिकोण से संबंधित चर्चाएँ, जहाँ भी उल्लिखित हैं, मुद्रित अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में उपलब्ध सूचनाओं, विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचारों तथा प्रबंधन द्वारा उन पर निर्भर विश्लेषण पर आधारित हैं। वे महत्वपूर्ण कारक, जो व्यक्त या निहित कथनों से भिन्न परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं, उनमें आर्थिक परिस्थितियाँ, घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर बाजार में कार्यरत मांग एवं आपूर्ति बल, समय–समय पर संशोधित सरकारी नीतियाँ, नियम एवं विनियम, कर कानून तथा अन्य अधिनियम, एवं व्यवसायिक परिवेश को प्रभावित करने वाले अन्य सहायक कारक शामिल हैं।

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक मंडल
की ओर से और उनके लिए

हस्ता/–
अमित कुमार
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24.02.2026

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रतिवेदन

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस संहिता पर कंपनी का दर्शन

कंपनी सुशासन (अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस) में दृढ़ विश्वास रखती है तथा इसका निरंतर पालन करती रही है। कंपनी का मूल स्वरूप पारदर्शिता, व्यावसायिकता तथा जवाबदेही जैसे मूल्यों से निर्धारित होता है। कंपनी उच्चतम स्तर के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में कंपनी का दर्शन यह सुनिश्चित करना है कि उसके सभी परिचालनों में पारदर्शिता बनी रहे, आवश्यक प्रकटीकरण किए जाएँ तथा कानूनों और विनियमों के दायरे में रहते हुए सभी हितधारकों के मूल्य में वृद्धि की जाए।

2. निदेशक मंडल

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईएएसएल) एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है तथा एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसके निदेशकों की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी / प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) द्वारा समय–समय पर एआईएएसएल के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया गया है। तदनुसार, 31–03–2025 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना नीचे दी गई हैरू

31 मार्च, 2025 को स्थिति अनुसार निदेशक मंडल

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1	श्री अमित कुमार एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी),अध्यक्ष, एआईएएसएल	अध्यक्ष एवं नामित निदेशक
2	श्री पदम लाल नेगी संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (जेएस एवं एफए), नागरिक उड्डयन मंत्रालय	नामित निदेशक
3	श्री मनोज कुमार संयुक्त सचिव, निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम)	नामित निदेशक
4	श्री शोभित गुप्ता संयुक्त सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय	नामित निदेशक
5	श्रीमती नयोनिका दत्ता संयुक्त निदेशक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय	नामित निदेशक

3. निदेशक मंडल की बैठकों, वार्षिक आम बैठक, उनमें निदेशकों की उपस्थिति, निदेशकत्व तथा निदेशकों द्वारा धारित समिति पदों से संबंधित विवरणः

निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों को निदेशक मंडल की पाँच बैठकें आयोजित की गईं:

19 जून, 2024	(104वीं बैठक)
06 सितंबर, 2024	(105वीं बैठक)
04 दिसंबर, 2024	(106वीं बैठक)
03 जनवरी, 2025	(107वीं बैठक)
26 मार्च, 2025	(108वीं बैठक)

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल / शेयरधारकों की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति सहित निदेशकों का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या		अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पदों का विवरण	समितियों में धारित सदस्यताएँ
		(उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान) आयोजित किया गया	उपस्थित रहे		
श्री पदम लाल नेगी (18 जनवरी 2023 से)	IDAS 1992	5	5	<u>निदेशक</u> एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए), सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (अंशकालिक निदेशक)	<u>एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड</u> अध्यक्ष लेखा समिति सदस्य सीएसआर समिति <u>एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड</u> अध्यक्ष लेखा समिति सदस्य सीएसआर समिति <u>एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड</u> अध्यक्ष लेखा समिति

श्री राहुल जैन (12 दिसंबर 2023 से 14 मई 2024 तक)	सीए, एम.कॉम, आईएएस	0	0	**निदेशक** एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड और नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड	**एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड** **सदस्य** ऑडिट समिति सीएसआर समिति **एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड** **सदस्य** ऑडिट समिति सीएसआर समिति **एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड** **सदस्य** नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति हितधारक संबंध समिति **नेशनल फ़ाइनेंशियल होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड** **सदस्य** प्रशासक के रूप में कार्यरत व्यक्तियों का निकाय / सलाहकार बोर्ड

श्री असंगबा चुबा आओ (1 जनवरी 2024 से 11 मार्च 2025 तक)	एमए (अंग्रेजी साहित्य) और एमए (लोक प्रशासन), आईएएस	4	4	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक** एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, दिनांक **01.01.2024** से प्रभावी **अध्यक्ष** एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, दिनांक **01.01.2024** से प्रभावी, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, दिनांक **01.01.2024** से प्रभावी, एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड दिनांक **01.01.2024** से प्रभावी, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दिनांक **01.01.2024** से प्रभावी **निदेशक** एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड, रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड, एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (दिनांक **18.01.2023** से प्रभावी)	**एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड** अध्यक्ष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति **एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड** अध्यक्ष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति **एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड** अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति सदस्य उड़ान सुरक्षा समिति मानव संसाधन समिति **एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड** सदस्य हितधारक संबंध समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति **पवन हंस लिमिटेड** सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

श्री अमित कुमार (दिनांक 13.03.2025 से)	बी.ई. इलेक्ट्रिकल	1	1	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक** एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, दिनांक **13.03.2025** से प्रभावी **अध्यक्ष** एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, दिनांक **13.03.2025** से प्रभावी, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, दिनांक **13.03.2025** से प्रभावी, एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड **13.03.2025** से प्रभावी, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड **13.03.2025** से प्रभावी। **निदेशक** एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड।	**एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड** अध्यक्ष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति **एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड** अध्यक्ष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति **एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड** सदस्य लेखा परीक्षा समिति, हितधारक संबंध समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति **होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** सदस्य लेखा परीक्षा समिति **एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड** अध्यक्ष उड़ान सुरक्षा समिति मानव संसाधन समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति

श्रीमती नयोनिका दत्ता (12 फरवरी 2024 से)	अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री	5	2	**निदेशक** एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	**एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड** सदस्य लेखा परीक्षा समिति सीएसआर समिति **एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड** सदस्य लेखा परीक्षा समिति उड़ान सुरक्षा समिति मानव संसाधन समिति **होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** सदस्य लेखा परीक्षा समिति
श्री शोभित गुप्ता (25 मई 2025 से)	एम.टेक (पावर इलेक्ट्रॉनिक्स), IIT कानपुर	5	2	**निदेशक** एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	**एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड** सदस्य ऑडिट समिति सीएसआर समिति **एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड** सदस्य ऑडिट समिति सीएसआर समिति **एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड** सदस्य ऑडिट समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति; हितधारक संबंध समिति

डॉ. आलोक पांडे (25 मई 2025 से 25 फरवरी 2025 तक)	पूंजी बाजार में पीएचडी (आईआईएम बैंगलोर), बी.ई. (मैकेनिकल) (एनआईटी)	4	2	**निदेशक** एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, इंडियन बैंक	**एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड** सदस्य ऑडिट समिति सीएसआर समिति **एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड** सदस्य ऑडिट समिति सीएसआर समिति
श्री मनोज कुमार (28 फरवरी 2025 से)	बीए (ऑनर्स), एमए, एलएलबी	1	1	**निदेशक** एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	**एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड** सदस्य ऑडिट समिति सीएसआर समिति **एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड** सदस्य ऑडिट समिति सीएसआर समिति **एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड** सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति हितधारक संबंध समिति

4. बोर्ड प्रक्रिया

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / भौतिक माध्यम से अथवा होल्डिंग कंपनी के कॉरपोरेट कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। बैठकों का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रूप से तैयार किया जाता है। आकस्मिक परिस्थितियों या तात्कालिक आवश्यकता होने पर परिपत्र द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। निदेशक मंडल कंपनी के परिचालन निष्पादन की समीक्षा के लिए कम से कम प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक करता है। बैठकों के लिए कार्यसूची संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित की जाती है। बोर्ड के कागजात निदेशकों को अग्रिम रूप से प्रेषित किए जाते हैं। निदेशक मंडल के सदस्यों को सभी आवश्यक सूचनाओं तक पूर्ण पहुँच प्राप्त है तथा वे चर्चा हेतु किसी भी विषय को कार्यसूची में सम्मिलित किए जाने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र हैं। वरिष्ठ अधिकारी, आवश्यकता अनुसार,

बोर्ड बैठकों में आमंत्रित किए जाते हैं तथा स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। कार्यवाही अनुपालन रिपोर्ट समय–समय पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। कंपनी के कार्यकलापों पर बेहतर एवं अधिक केंद्रित ध्यान सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा कुछ विषयों को इस उद्देश्य से गठित बोर्ड की समितियों को प्रत्यायोजित किया जाता है।

5. आचार संहिता

सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार, बोर्ड ने निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता को अपनाया है। कंपनी के बोर्ड सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करने की एक प्रणाली विद्यमान है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुपालन की घोषणा इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट **&I** के रूप में संलग्न है।

6. बोर्ड समितियाँ

लेखा समिति (ऑडिट समिति)

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत तथा कंपनी अधिनियम, 2013 एवं डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी द्वारा प्रारंभ में नवंबर 2014 में निदेशक मंडल की लेखा समिति का गठन किया गया था तथा 13 दिसंबर 2017 को इसका पुनर्गठन किया गया। इसके पश्चात, एयर इंडिया लिमिटेड (तत्कालीन होल्डिंग कंपनी) के विनिवेश के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (डव०।) द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से एआईएएसएल के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया गया और तदनुसार, लागू प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा लेखा समिति सहित बोर्ड की विभिन्न समितियों का समय–समय पर पुनर्गठन किया गया।

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, निम्नलिखित सदस्य पदेन क्षमता में लेखा समिति के सदस्य थेः

निदेशक का विवरण	समिति में पद
श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय	अध्यक्ष
श्री अमित कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड एवं अध्यक्ष एआईएएसएल	सदस्य
श्री मनोज कुमार, संयुक्त सचिव, डीआईपीएएम	सदस्य
श्री शोभित गुप्ता, संयुक्त सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय	सदस्य

इस समिति के कार्य–क्षेत्र निम्नलिखित हैंः

- कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक तथा नियुक्ति की शर्तों के संबंध में सिफारिश करना;
- लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता एवं कार्य–निष्पादन तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा एवं निगरानी करना;
- आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करना तथा आंतरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना, साथ ही यह निर्धारित करना कि आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य कंपनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है या नहीं;
- लेखा परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखा परीक्षक के साथ लेखा परीक्षा की प्रकृति एवं दायरे पर चर्चा करना;
- वित्तीय विवरणों तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना;
- वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, उस पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करना तथा वैधानिक लेखा परीक्षकों की सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाना;

- संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन–देन की स्वीकृति देना अथवा उनमें किसी भी पश्चातवर्ती संशोधन को अनुमोदित करना;
- अंतर–कॉर्पोरेट ऋणों एवं निवेशों की जांच–पड़ताल करना;
- जहां आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों अथवा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना;
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना;
- सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से जुटाई गई निधियों के अंतिम उपयोग तथा संबंधित मामलों की निगरानी करना;
- निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर सौंपे गए किसी अन्य विषय पर विचार करना।

लेखा समिति की बैठकें

लेखा समिति ने वर्ष के दौरान चार बैठकें आयोजित कीं, जिनमें विभिन्न विषयों के साथ–साथ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा भी की गई। बैठकों का विवरण निम्नानुसार हैरू

19 जून, 2024	(44वीं बैठक)
06 सितंबर, 2024	(45वीं बैठक)
03 जनवरी, 2025	(46वीं बैठक)
26 मार्च, 2025	(47वीं बैठक)

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुपालन में, बोर्ड द्वारा प्रारंभ में 23 मई 2016 को सीएसआर समिति का गठन किया गया था। इसके पश्चात, एयर इंडिया लिमिटेड (तत्कालीन होल्डिंग कंपनी) के विनिवेश के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से एआईएएसएल के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया गया और परिणामस्वरूप, लागू प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा सीएसआर समिति सहित बोर्ड की विभिन्न समितियों का समय–समय पर पुनर्गठन किया गया।

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार हैः

निदेशक का विवरण	समिति में पद
श्री अमित कुमार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड एवं अध्यक्ष एआईएएसएल	अध्यक्ष
श्री पदम लाल नेगी संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय	सदस्य
श्री मनोज कुमार संयुक्त सचिव, निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग	सदस्य
श्री शोभित गुप्ता संयुक्त सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय	सदस्य

सीएसआर समिति की बैठकें

वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीएसआर बजट, सीएसआर गतिविधियों आदि से संबंधित विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई। इसका विवरण निम्नानुसार हैः

03 जनवरी, 2025 (22वीं बैठक)

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठकें (एजीएम):

सभा संख्या	सभा की तिथि एवं समय	स्थल	विशेष प्रस्ताव
तीसरी ईजीएम	14 जनवरी 2022, समय 15:30	दूसरी मंज़िल, जीएसडी भवन, एयर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली–110037	हाँ
उन्नीसवीं वार्षिक आम सभा	30 दिसंबर 2022, समय 11:30	दूसरी मंज़िल, जीएसडी भवन, एयर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली–110037	नहीं
बीसवीं वार्षिक आम सभा	12 दिसंबर 2023, समय 12:00	दूसरी मंज़िल, जीएसडी भवन, एयर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली–110037	नहीं
इक्कीसवीं वार्षिक आम सभा	20 दिसंबर 2024, समय 16:00	दूसरी मंज़िल, जीएसडी भवन, एयर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली–110037	नहीं
चौथी ईजीएम	20 फ़रवरी 2025, समय 15:00	दूसरी मंज़िल, जीएसडी भवन, एयर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली–110037	नहीं
स्थगित इक्कीसवीं वार्षिक आम सभा	26 मार्च 2025, समय 17:00	दूसरी मंज़िल, जीएसडी भवन, एयर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली–110037	नहीं

मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पता C–101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई–400083 है, कंपनी का रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (RTA) है।

7. प्रकटीकरण एवं वैधानिक अनुपालनः

निदेशकों के हितों, संबंधित पक्ष लेन–देन तथा वैधानिक रजिस्टरों के संधारण से संबंधित पर्याप्त प्रकटीकरण समय–समय पर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, ताकि मंडल सूचित निर्णय ले सके। निदेशक मंडल द्व ारा व्यवसायिक मामलों के संचालन हेतु नामित अधिकारियों को विशिष्ट प्रत्यायोजन एवं प्राधिकरण की स्पष्ट नीति का पालन किया जाता है। प्रकटीकरण, सूचनाओं, आवंटनों एवं नियुक्तियों से संबंधित एमसीए फाइलिंग्स समयबद्ध रूप से की गई हैं तथा इस संबंध में कोई भी विषय लंबित नहीं है। कंपनी ने स्व–मूल्यांकन के आधार पर, सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) के कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के लिए 'उत्कृष्ट' श्रेणी प्राप्त की है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा एआईएएसएल को वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के दौरान DPE कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु भी 'उत्कृष्ट' श्रेणी प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के लिए DPE से प्राप्त होने वाली रेटिंग की प्रतीक्षा है।

8. सीईओ / सीएफओ घोषणाः

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों की सत्यता एवं निष्पक्षता, विधिवत अनुपालनों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में लिखित प्रमाणन प्रदान किया गया है, जिसे लेखा परीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया गया (इस रिपोर्ट के परिशिष्ट–II के रूप में संलग्न)।

9. कॉरपोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाण–पत्र

यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कॉरपोरेट प्रशासन प्रतिवेदन में प्रकट किए जाने वाले तथ्यों से संबंधित सभी विधिक आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन करता है।

कॉरपोरेट प्रशासन से संबंधित शर्तों के अनुपालन के विषय में कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण–पत्र इस प्रतिवेदन के साथ 'परिशिष्ट – III' के रूप में संलग्न किया गया है।

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक मंडल
की ओर से और उनके लिए

हस्ता/–
अमित कुमार
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24.02.2026

airBaltic
Baltic
airBaltic
airBaltic

AIR INDIA
press
AIX

परिशिष्ट – I

आचरण संहिता

घोषणा

सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों के लिए कॉरपोरेट प्रशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा अंगीकृत आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि सभी निदेशक मंडल सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए की गई है।

हस्ता/–

(रामबाबू सीएच.)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

स्थानः दिल्ली

दिनांकः 24.02.2026

परिशिष्ट – II

जिससे भी यह संबंधित हो

हम, रामबाबू सी एच मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा संदीप मल्होत्रा, मुख्य वित्तीय अधिकारी, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा गया है), इसके द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि–

1. हमने वित्तीय वर्ष 2024–2025 के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसाररू

   (a) इन विवरणों में कोई भी असत्य कथन सम्मिलित नहीं है और न ही किसी महत्वपूर्ण तथ्य का लोप किया गया है अथवा ऐसा कोई कथन किया गया है जो भ्रामक हो;

   (b) ये विवरण कंपनी की वित्तीय स्थिति, परिचालन के परिणामों तथा नकदी प्रवाह का सत्य एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं। वित्तीय विवरणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रचलित सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिनमें लेखांकन मानक, लागू विधि एवं विनियम सम्मिलित हैं, के अनुरूप तैयार किया गया है।

2. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई भी लेन–देन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा कंपनी की आचरण संहिता का उल्लंघन करने वाला हो।

3. हम वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समग्र जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। इसकी निगरानी आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली द्वारा की जाती है, जिसमें पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता की जाँच तथा मूल्यांकन सम्मिलित है। आंतरिक लेखा परीक्षण सभी स्तरों के प्रबंधन एवं वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ कार्य करता है तथा महत्वपूर्ण विषयों की सूचना निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को देता है।

   महत्वपूर्ण कमियों एवं भौतिक कमजोरियों के संबंध में की गई किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई की जानकारी लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को दी जाती है।

4. हमने लेखा परीक्षकों को निम्नलिखित के संबंध में सूचित किया हैरू

   (a) वर्ष के दौरान वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन;

   (b) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा यह कि वही वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में प्रकट किए गए हैं।

5. हम यह भी घोषणा करते हैं कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान सभी निदेशक मंडल सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है।

एआई एयरपोर्ट सेवाएँ लिमिटेड की ओर से

हस्ताक्षरित/–	हस्ताक्षरित/–
रामबाबू सीएच.	संदीप मल्होत्रा
मुख्य कार्यपालक अधिकारी	मुख्य वित्तीय अधिकारी
PAN: AGVPC9371P	PAN: AFWPM3559B

दिनांकः 11.11.2025

स्थानः नई दिल्ली

परिशिष्ट – III

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत
कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन पर प्रमाणपत्र

[सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) के दिशानिर्देश, 2010 के पैरा 8.2.1 के अनुसार]

सेवा में,

सदस्यगण

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

(सीआईएन : U63090DL2003PLC120790)

द्वितीय तल, जीएसडी भवन,

एयर इंडिया कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल–2,

आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली – 110037

हमने सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा प्रतिपादित **"केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों संबंधी दिशानिर्देश"** के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए **एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड** (CIN: 63090DL2003PLC120790) में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में प्रासंगिक पुस्तकों, अभिलेखों एवं विवरणों की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच केवल उन प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी, जिन्हें कंपनी द्वारा दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु अपनाया गया है। हमारा यह प्रतिवेदन/प्रमाणन न तो कोई लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर किसी प्रकार की राय की अभिव्यक्ति है।

हमारे द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की जाँच, प्रदान की गई व्याख्याओं तथा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देश, 2010 की अनिवार्य शर्तों का अनुपालन किया है, तथापि यह अपवाद है कि कार्यकारी निदेशकों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है तथा निदेशक मंडल के सदस्यों में से कम से कम एक–तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सूचीबद्ध न होने वाली सार्वजनिक कंपनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक सार्वजनिक कंपनियों के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) एवं 178 तथा कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) संशोधन नियम, 2014 के नियम 4(2) (यथा संशोधित) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अनिवार्य नहीं है।

हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि उक्त अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन है और न ही उस प्रभावशीलता के संबंध में कोई पुष्टि है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

हस्ताक्षरित/–
सौरभ अग्रवाल
यूडीआईएन : थ005430ळ002442326

पार्टनर
एफसीएस क्रमांकः 5430
सी.पी. क्रमांकः 4868
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 16/12/2025

सौरभ अग्रवाल एंड कंपनी
कंपनी सचिव
पीयर रिव्यू सं.: 3020/2023
फर्म पंजीकरण सं.: P2002DE043100

परिशिष्ट – IV

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

CSR नीति

A. पृष्ठभूमि

कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा प्रस्तुत की गई। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी रूप से प्रत्येक निजी लिमिटेड अथवा सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, जिसकी शुद्ध संपत्ति पाँच सौ करोड़ रुपये या अधिक हो, अथवा जिसका कारोबार एक हज़ार करोड़ रुपये या अधिक हो, अथवा जिसका शुद्ध लाभ पाँच करोड़ रुपये या अधिक हो, को तात्कालिक रूप से पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर व्यय करना आवश्यक है।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित गतिविधियाँ कंपनी के सामान्य व्यवसाय के दौरान नहीं की जानी चाहिए तथा वे अधिनियम की अनुसूची सात में उल्लिखित किसी भी गतिविधि से संबंधित होनी चाहिए। कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु रूपरेखा एवं प्रक्रियाएँ निर्धारित करते हैं।

B. परिभाषाएँ

इस नीति में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

1. **"अधिनियम"** से अभिप्राय कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों से है।

2. **"प्रशासनिक व्यय"** से अभिप्राय कंपनी द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कार्यों के लिए किए गए सामान्य प्रबंधन एवं प्रशासनिक व्ययों से है, किंतु इसमें किसी विशिष्ट कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना अथवा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने, कार्यान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए सीधे तौर पर किए गए व्यय सम्मिलित नहीं होंगे।

3. **"कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)"** से अभिप्राय अधिनियम की धारा 135 में निहित वैधानिक दायित्व के निर्वहन के उद्देश्य से, इन नियमों में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार, किसी कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों से है; तथापि, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे, अर्थात

    1. कंपनी के सामान्य व्यवसाय के क्रम में की गई गतिविधियाँ;
    2. भारत के बाहर कंपनी द्वारा की गई कोई भी गतिविधि, सिवाय इसके कि किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर अथवा भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खेल कर्मियों के प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियाँ हों;
    3. अधिनियम की धारा 182 के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का अंशदान;
    4. वे गतिविधियाँ जिनसे कंपनी के कर्मचारियों को लाभ पहुँचता हो, जैसा कि वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 2 के खंड (क) में परिभाषित है;
    5. कंपनी द्वारा अपने उत्पादों अथवा सेवाओं के विपणन लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रायोजन के आधार पर समर्थित गतिविधियाँ; तथा
    6. भारत में प्रवृत्त किसी भी विधि के अंतर्गत किसी अन्य वैधानिक दायित्व की पूर्ति हेतु की गई गतिविधियाँ।

4. **"सीएसआर समिति"** से अभिप्राय अधिनियम की धारा 135 में उल्लिखित निदेशक मंडल की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति से है।

5. **"सीएसआर नीति"** से अभिप्राय ऐसा वक्तव्य है जिसमें कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा, उसकी सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, अपनाई गई कार्य–पद्धति एवं दिशा का उल्लेख हो, तथा जिसमें गतिविधियों के चयन, क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ–साथ वार्षिक कार्य–योजना के निर्माण का भी समावेश हो।

6. **"शुद्ध लाभ"** से अभिप्राय अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार शुद्ध लाभ से है; तथापि, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे, अर्थात

   1. कंपनी की किसी भी विदेशी शाखा अथवा शाखाओं से उत्पन्न कोई भी लाभ, चाहे वे पृथक कंपनी के रूप में संचालित हों या अन्यथा;

   2. भारत में स्थित अन्य कंपनियों से प्राप्त कोई भी लाभांश, जो अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत आती हों एवं उसके प्रावधानों का अनुपालन कर रही हों।

7. **"चालू परियोजना"** से अभिप्राय ऐसी बहु–वर्षीय परियोजना से है, जिसे कंपनी द्वारा अपने सीएसआर दायित्व की पूर्ति हेतु प्रारंभ किया गया हो, जिसकी समय–सीमा, आरंभ किए गए वित्तीय वर्ष को छोड़कर, तीन वर्ष से अधिक न हो; तथा इसमें ऐसी परियोजना भी सम्मिलित होगी जिसे प्रारंभ में बहु–वर्षीय परियोजना के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया था, किंतु उचित औचित्य के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक बढ़ा दी गई हो।

इन नियमों में प्रयुक्त वे शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो यहाँ परिभाषित नहीं की गई हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उन्हें वही अर्थ प्रदान किए जाएँगे जो अधिनियम में क्रमशः निर्दिष्ट हैं।

C. उद्देश्य एवं सीएसआर–दृष्टि

सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य एआई एयरपोर्ट सेवाएँ लिमिटेड के लिए ऐसे दिशा–निर्देश निर्धारित करना है, जिनके माध्यम से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सके, जो उच्च प्रभाव वाले एवं सतत कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान पर केंद्रित हो।

यह नीति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 (जिसमें समय–समय पर किए गए अथवा किए जाने वाले संशोधन सम्मिलित हैं) तथा लागू अन्य नियमों, परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं (सामूहिक रूप से आगे 'विनियम' कहे गए हैं) के अनुरूप पढ़ी जाएगी तथा, अन्य बातों के अतिरिक्त, निम्नलिखित का प्रावधान करेगी–

- लागू प्रावधानों के अनुपालन हेतु सामाजिक परियोजनाओं / सीएसआर गतिविधियों के लिए कंपनी के लाभ का एक निश्चित प्रतिशत समर्पित करने के लिए दिशा–निर्देश स्थापित करना; तथा
- उपयुक्त प्रक्रियाओं एवं प्रतिवेदन के माध्यम से सीएसआर पहलों के अक्षरशः एवं भावना सहित प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

D. सीएसआर गतिविधियों का क्षेत्र

यह नीति यह स्वीकार करती है कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व केवल अनुपालन मात्र नहीं है, बल्कि समुदाय के व्यापक हित में पहल का समर्थन करने की एक प्रतिबद्धता है। यह समर्थन कंपनी अधिनियम की अनुसूची सात में निर्दिष्ट निम्नलिखित एक या अधिक प्राथमिक क्षेत्रों के माध्यम से किया जाएगा–

i. भूख, निर्धनता एवं कुपोषण का उन्मूलन; स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहन, जिसमें निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता सम्मिलित है; केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता के संवर्धन हेतु स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान; तथा सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना;

ii. शिक्षा को प्रोत्साहन, जिसमें विशेष शिक्षा एवं रोजगार को बढ़ावा देने वाले व्यावसायिक कौशल सम्मिलित हैं, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के लिए; तथा आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ;

iii. लैंगिक समानता को प्रोत्साहन, महिलाओं का सशक्तीकरण, महिलाओं एवं अनाथों के लिए गृह एवं छात्रावासों की स्थापना; वृद्धाश्रम, दिवा देखभाल केंद्र तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य सुविधाओं की स्थापना; एवं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने हेतु उपाय।

iv. पर्यावरणीय सततता सुनिश्चित करना, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, वनस्पति एवं जीव–जंतुओं का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि–वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा मृदा, वायु एवं जल की गुणवत्ता बनाए रखना; इसमें गंगा नदी के पुनरुद्धार हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ **गंगा कोष** में योगदान भी सम्मिलित है;

v. राष्ट्रीय धरोहर, कला एवं संस्कृति का संरक्षण, जिसमें ऐतिहासिक महत्व की इमारतों एवं स्थलों तथा कलाकृतियों का पुनर्स्थापन; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; तथा पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का संवर्धन एवं विकास;

vi. सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं एवं उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों (विधवाओं सहित) के हितार्थ उपाय;

vii. ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरा–ओलंपिक खेलों एवं ओलंपिक खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रशिक्षण;

viii. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष अथवा प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति में राहत कोष, या केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक–आर्थिक विकास तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं के कल्याण हेतु स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान;

ix. (a) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटरों अथवा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए योगदान, जिन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा केंद्र/राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्तपोषित किया गया हो; तथा

(b) सार्वजनिक वित्तपोषित विश्वविद्यालयों; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों; राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं एवं परमाणु ऊर्जा विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, औषधि विभाग, आयुष मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित स्वायत्त निकायों; तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एवं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जैसे अन्य निकायों को योगदान, जो सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा में अनुसंधान कर रहे हों।

x. ग्रामीण विकास परियोजनाएँ; तथा

xi. झुग्गी क्षेत्र विकास।

स्पष्टीकरण– इस मद याद लिए, "झुग्गी क्षेत्र" से अभिप्राय ऐसा कोई भी क्षेत्र है जिसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा, समय–समय पर प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत, झुग्गी क्षेत्र घोषित किया गया हो।

xii. आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण से संबंधित गतिविधियाँ सम्मिलित हैं।

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची सात (जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया गया है) में उल्लिखित विषयों में से सीएसआर गतिविधियों का चयन एवं क्रियान्वयन करेगी। सीएसआर नीति के दायरे में आने वाले विषयों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जाएगी, ताकि अधिनियम की अनुसूची सात में उल्लिखित विषयों के सार एवं उद्देश्य को समुचित रूप से समाहित किया जा सके।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची सात में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा लोक उद्यम विभाग या वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किसी भी निर्देश को भी, जहाँ–जहाँ वह अनिवार्य होगा, सरकार द्वारा ऐसे परिवर्तनों की अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि से कंपनी की सीएसआर नीति के दायरे में सम्मिलित माना जाएगा।

E. सीएसआर समिति

सीएसआर समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। यह समिति आवश्यकता अनुसार बैठक करेगी, जिसमें सीएसआर गतिविधियों एवं नीति पर विचार–विमर्श तथा समीक्षा की जाएगी। सीएसआर समिति की बैठक के लिए कोरम दो सदस्यों की उपस्थिति होगी।

F. सीएसआर समिति की जिम्मेदारियाँ

- अनुसूची सात में निर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा विषयों में, यदि कोई संशोधन हो तो उसके सहित, सीएसआर नीति का निर्माण करना तथा उसे निदेशक मंडल को अनुशंसा करना;
- समय–समय पर नीति की निगरानी करना तथा आवश्यक परिवर्तनों की अनुशंसा निदेशक मंडल को करना;
- सीएसआर परियोजनाओं / गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की अनुशंसा करना; तथा
- सीएसआर परियोजनाओं के प्रभावी एवं कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक पारदर्शी निगरानी तंत्र का गठन करना।

G. सीएसआर कार्यकारी समिति

सीएसआर कार्यकारी समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे:

i. मुख्य कार्यपालक अधिकारी – अध्यक्ष
ii. मुख्य वित्तीय अधिकारी / वित्त प्रमुख
iii. मुख्य मानव संसाधन अधिकारी / कार्मिक प्रमुख
iv. कंपनी सचिव

उपरोक्त सीएसआर कार्यकारी समिति का नेतृत्व कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

सीएसआर कार्यकारी समिति की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित होंगी:

- विभिन्न स्थानों से प्राप्त सीएसआर परियोजनाओं / कार्यक्रमों / गतिविधियों के प्रस्तावों की समीक्षा करना तथा विचार–विमर्श, परीक्षण एवं निदेशक मंडल को स्वीकृति हेतु अनुशंसा करने के लिए उन्हें सीएसआर समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

H. निदेशक मंडल की जिम्मेदारियाँ

- सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित सीएसआर नीति को, निदेशक मंडल द्वारा उपयुक्त समझे गए आवश्यक परिवर्तनों / संशोधनों के अधीन, स्वीकृत करना;

- यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी द्वारा तात्कालिक रूप से पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ' का कम से कम दो प्रतिशत (या कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित कोई अन्य सीमा, अथवा उससे अधिक) सीएसआर गतिविधियों पर व्यय किया जाए;

*औसत शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

- यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, सीएसआर गतिविधियों के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित धनराशि का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाए;
- यह सुनिश्चित करना कि कंपनी की सीएसआर नीति में सम्मिलित गतिविधियाँ अधिनियम की अनुसूची सात में निर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा विषयों से संबंधित हों;
- यह सुनिश्चित करना कि कंपनी द्वारा सम्मिलित की गई गतिविधियाँ, सीएसआर गतिविधियों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी वार्षिक विषय संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप हों;
- अपनी वार्षिक प्रतिवेदन में सीएसआर समिति के सदस्यों के नाम, सीएसआर नीति की विषय–वस्तु का प्रकटीकरण करना तथा कंपनी की वेबसाइट पर अपनी सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना, साथ ही कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग अथवा वित्त मंत्रालय द्वारा किसी भी समय जारी किए गए अन्य सभी प्रावधानों का अनुपालन करना; तथा
- यह सुनिश्चित करना कि सीएसआर परियोजनाओं के लिए निर्धारित व्यय में कंपनी के परिचालन क्षेत्रों के आसपास के स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए। (तथापि, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अगस्त 2021 में जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम में स्थानीय क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता निर्देशात्मक है, अनिवार्य नहीं। अतः इस जिम्मेदारी की उदारतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है)।

I. वार्षिक व्यय / निधियों का आवंटन

a. कंपनी तात्कालिक रूप से पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों पर व्यय करेगी। सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न कोई भी अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का भाग नहीं होगा तथा उसे उसी परियोजना में पुनर्निवेशित किया जाएगा अथवा अप्रयुक्त सीएसआर खाते में अंतरण कर कंपनी की सीएसआर नीति एवं वार्षिक कार्य–योजना के अनुसार व्यय किया जाएगा, अथवा ऐसे अधिशेष को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह माह की अवधि के भीतर अधिनियम की अनुसूची सात में निर्दिष्ट किसी कोष में अंतरण किया जाएगा।

b. सीएसआर समिति, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची सात के अनुरूप एक वार्षिक सीएसआर योजना का निर्माण करेगी तथा कंपनी प्रत्येक वर्ष सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित अपनी वार्षिक सीएसआर योजना में सम्मिलित सीएसआर गतिविधियों का क्रियान्वयन करेगी। समिति को वित्तीय वर्ष के दौरान विद्यमान वार्षिक सीएसआर योजना में किसी भी संशोधन को स्वीकृत करने अथवा किसी नए कार्यक्रम का प्रस्ताव करने का अधिकार होगा। कंपनी अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य–योजना तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात

(i) अधिनियम की अनुसूची सात में निर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा विषयों में क्रियान्वित किए जाने हेतु स्वीकृत सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की सूची;

(ii) नियम 4 के उप–नियम (1) में निर्दिष्ट अनुसार ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की पद्धति;

(iii) सीएसआर गतिविधियों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी वार्षिक विषय संबंधी दिशानिर्देश;

(iv) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निधियों के उपयोग की प्रक्रिया तथा उनके कार्यान्वयन का समय–निर्धारण;

(v) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निगरानी एवं प्रतिवेदन तंत्र; तथा

(vi) कंपनी द्वारा किए गए परियोजनाओं के लिए आवश्यकता एवं प्रभाव आकलन का विवरण, यदि कोई हो।

बशर्ते कि, सीएसआर समिति की अनुशंसा के आधार पर तथा इसके लिए युक्तिसंगत औचित्य होने पर, निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ऐसी योजना में परिवर्तन कर सकता है।

J. सीएसआर परियोजनाओं का प्रशासन / कार्यान्वयन

1) निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि सीएसआर गतिविधियाँ कंपनी द्वारा स्वयं अथवा निम्नलिखित के माध्यम से की जाएँ–

(a) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित कोई कंपनी, अथवा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12ए एवं 80जी के अंतर्गत पंजीकृत कोई सार्वजनिक न्यास या पंजीकृत समिति, जिसे कंपनी द्वारा अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ संयुक्त रूप से स्थापित किया गया हो; या

(b) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित कोई कंपनी, अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई पंजीकृत न्यास या पंजीकृत समिति; या

(c) संसद के किसी अधिनियम या किसी राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कोई भी संस्था; या

(d) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित कोई कंपनी, अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए एवं 80जी के अंतर्गत पंजीकृत कोई सार्वजनिक न्यास या पंजीकृत समिति, जिसके पास समान प्रकार की गतिविधियों को करने का कम से कम तीन वर्षों का स्थापित अनुभव हो।

2) कंपनी अपनी सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने, उनकी निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए, तथा सीएसआर के लिए अपने कार्मिकों की क्षमता निर्माण हेतु, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सेवाएँ ले सकती है।

3) कंपनी इन नियमों के अनुसार परियोजनाओं, कार्यक्रमों अथवा सीएसआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए अन्य कंपनियों के साथ भी सहयोग कर सकती है, इस प्रकार कि संबंधित कंपनियों की सीएसआर समितियाँ ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर पृथक–पृथक रूप से प्रतिवेदन देने की स्थिति में हों।

4) कंपनी का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि वितरित की गई निधियाँ उसके द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों एवं पद्ध ति के अनुसार ही उपयोग की गई हैं, तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी अथवा वित्तीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति इस आशय का प्रमाणन करेगा।

5) निरंतर परियोजना के मामले में, कंपनी का निदेशक मंडल स्वीकृत समय–सीमा एवं वर्ष–वार आवंटन के संदर्भ में परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा तथा समग्र अनुमेय अवधि के भीतर परियोजना के सुचारु कार्यान्वयन हेतु आवश्यक संशोधन करने के लिए सक्षम होगा।

K. सीएसआर गतिविधियों की निगरानी एवं प्रतिवेदन

a. प्रत्येक कार्य केंद्र में किए जा रहे सीएसआर कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु, संबंधित कार्य केंद्र प्रमुख द्वारा एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा;

b. कंपनी द्वारा किए गए सीएसआर कार्यक्रमों की प्रगति संबंधी रिपोर्ट, व्यय की गई लागत एवं प्राप्त परिणामों के पूर्ण विवरण सहित, नियमित अंतराल पर सीएसआर समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी;

c. कार्य केंद्र अपने क्षेत्र में क्रियान्वित कार्यक्रमों के संबंध में लाभार्थियों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करेंगे;

d. कंपनी की सीएसआर गतिविधियों, क्रियान्वयन साझेदारों तथा संबंधित व्यय का उपयुक्त प्रलेखन नियमित रूप से किया जाएगा;

e. कंपनी की सीएसआर पहलों का प्रकटीकरण कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट में, धारा 135 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन में किया जाएगा; तथा

f. कंपनी सीएसआर व्यय के समुचित लेखांकन को सुनिश्चित करने हेतु एक लेखा प्रणाली स्थापित करेगी।

L. निष्कर्ष

निदेशक मंडल, सीएसआर समिति की अनुशंसा पर, आवश्यकता अनुसार एवं उपयुक्त समझे जाने पर इस नीति में संशोधन कर सकता है। सीएसआर नीति के किसी भी अथवा सभी प्रावधानों की समीक्षा / संशोधन समय–समय पर संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा इस विषय पर जारी किए गए विनियमों के अनुरूप की जाएगी।

नीति के किसी भी प्रावधान के संबंध में किसी प्रकार का संदेह होने पर, अथवा ऐसे विषयों के संबंध में जो इसमें आच्छादित नहीं हैं, संदर्भ सीएसआर समिति को किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में, समिति की व्याख्या एवं निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होंगे।

परिशिष्ट – V

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2024–25

1. कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त विवरण।

- एआई एयरपोर्ट सेवाएँ लिमिटेड (एआईएएसएल) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा उससे संबंधित विनियमों के अनुपालन में, सतत एवं प्रभावशाली पहलों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान देने का लक्ष्य रखती है। यह नीति सीएसआर गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं तथा पारदर्शी प्रतिवेदन को सुनिश्चित करती है।
- कंपनी के निदेशक मंडल ने एक सीएसआर नीति अंगीकृत की है, जो यह स्वीकार करती है कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व केवल अनुपालन मात्र नहीं है, बल्कि कंपनी अधिनियम की अनुसूची सात में उल्लिखित विषयों के अनुरूप एक या अधिक प्राथमिक क्षेत्रों के माध्यम से व्यापक समुदाय के हित में पहल का समर्थन करने की प्रतिबद्धता है।
- प्रत्येक कार्य केंद्र में किए जा रहे सीएसआर कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु, संबंधित कार्य केंद्र प्रमुख द्वारा एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा।
- कंपनी सीएसआर व्यय के समुचित लेखांकन को सुनिश्चित करने हेतु एक लेखा प्रणाली स्थापित करेगी।
- कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त विवरण, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का अवलोकन सम्मिलित है, कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.aiasl.in पद पर देखा जा सकता है।

2. सीएसआर समिति की संरचनाः

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पद / निदेशकता का स्वरूप	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति
1	श्री असंगबा चुबा आओ	अध्यक्ष (01.01.2024 से 11.03.2025 तक)	1	0
2	श्री अमित कुमार	अध्यक्ष (13.03.2025 से)	1	लागू नहीं
3	श्री पदम लाल नेगी	सदस्य	1	1
4	श्री शोभित गुप्ता	सदस्य (25.05.2024 से)	1	1
5	श्री राहुल जैन	सदस्य (12.12.2023 से 14.05.2025 तक)	1	लागू नहीं
6	डॉ. आलोक पांडे	सदस्य (16.05.2024 से 25.02.2025 तक)	1	1
7	श्री मनोज कुमार	सदस्य (28.02.2025 से)	1	लागू नहीं

3. वह वेब लिंक प्रदान करें, जहाँ कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति तथा निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटीकरण किया गया है:

क्रम सं.	विवरण	वेब लिंक
1	सीएसआर समिति की संरचना	https://www.aiasl.in/csr.aspx
2	सीएसआर नीति	https://www.aiasl.in/csr.aspx
3	निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत परियोजनाएँ	https://www.aiasl.in/csr.aspx

4. कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अंतर्गत, यदि लागू हो, तो किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का विवरण (प्रतिवेदन संलग्न करें): लागू नहीं।

5. कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अंतर्गत सम. ायोजन हेतु उपलब्ध राशि का विवरण तथा वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक समायोजन राशि, यदि कोई हो: लागू नहीं।

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: ₹54,85,86,985.67/–

7. (a) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत:₹1,09,71,739.71/–

   (b) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं / कार्यक्रमों / गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य

   (c) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो: लागू नहीं

   (d) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7a + 7b & 7c) ₹1,09,71,739.71/–

8. (a) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अथवा अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि। (रुपये में)	अप्रयुक्त राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि।		धारा 135 (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में हस्तांतरित राशि।		
	राशि	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
1,09,71,739.71/-	–	–	पीएम केयर्स फंड	1,09,71,739.71/-	03.03.2025

(b) वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचलित परियोजनाओं के विरुद्ध व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्रमांक	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में दी गई गतिविधियों की सूची में से एक मद।	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)।	परियोजना का स्थान।		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि। (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका	कार्यान्वयन का तरीका कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	ज़िला							नाम: सीएसआर पंजीकरण संख्या

(c) वित्तीय वर्ष के दौरान निरंतर परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्रमांक	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में दी गई गतिविधियों की सूची में से एक मद।	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)।	परियोजना का स्थान।		परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)।	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका– कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से।	
				राज्य	ज़िला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	पीएम केयर्स फंड	मद संख्या viii प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एंव आपातकालीन स्थिति राहत (PM CARES Fund)	–	–	–	1,09,71,739.71/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(d) प्रशासनिक व्ययों पर व्यय की गई राशि : **शून्य**

(e) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: **लागू नहीं**

(f) वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय की गई राशि (8b + 8c + 8d + 8e): 1,09,71,739.71/-

(g) समायोजन हेतु अधिशेष राशि, यदि कोई हो: **शून्य**

क्रम सं.	विवरण	राशि (रु. में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	1,09,71,739.71/–
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	1,09,71,739.71/–
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त व्यय की गई राशि [(ii)–(i)]	0
(iv)	यदि कोई हो, तो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष	0
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	0

9. (a) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त सीएसआर राशि का विवरण :

क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अंतर्गत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (रु.)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु.)	यदि कोई राशि अनुसूची VII के अंतर्गत धारा 135 के अनुसार निर्दिष्ट किसी निधि में हस्तांतरित की जाती है।			अगले वित्तीय वर्षों में व्यय हेतु शेष राशि (रु.)
				निधि का नाम	राशि (रु.)	हस्तांतरण की तिथि	
1.	2021.22	NIL*	-	-	-	-	-
2.	2022.23	NIL*	-	-	-	-	-
3.	2023.24	NIL*	-	-	-	-	-

* वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के पूर्ववर्ती वर्षों से संचित अप्रयुक्त एवं अव्ययित सीएसआर निधियाँ, जिनकी राशि ₹6,25,07,941.86/– थी, को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल की स्वीकृति से निम्नलिखित प्रकार से उपयोग किया गया:

(i) वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रारंभ की गई परियोजना के अंतर्गत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 7 अभ्यर्थियों के लिए पायलट प्रशिक्षण की संपूर्ण लागत (जिसमें टाइप रेटिंग, आवास एवं भोजन व्यय आदि सम्मिलित हैं) अग्रिम

शुल्क / छात्रवृत्ति के रूप में ₹5,93,28,500/– की राशि 28.03.2024 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को हस्तांतरित की गई।

(ii) सावधि जमा से प्राप्त शेष शेष राशि, अर्थात् 31,79,441.86, को 28.03.2024 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में हस्तांतरित किया गया।

(b) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष/वर्षों की निरंतर परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण**:** शून्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रम सं	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	जिस वित्तीय वर्ष में परियोजना प्रारंभ की गई	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (₹में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि (₹में	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल संचयी व्यय (₹में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण / निरंतर)

10. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय से किसी पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण की स्थिति में, सृजित अथवा अधिग्रहित परिसंपत्तियों का विवरण (परिसंपत्ति–वार): लागू नहीं

a. पूंजीगत परिसंपत्ति/परिसंपत्तियों के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि: लागू नहीं

b. उस इकाई/लोक प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण, जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उसका पता आदि: लागू नहीं

c. सृजित अथवा अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्ति/परिसंपत्तियों का विवरण (परिसंपत्ति का पूर्ण पता एवं स्थान सहित): लागू नहीं

d. यदि कंपनी द्वारा धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय नहीं किया गया हो, तो उसके कारण: लागू नहीं

एआई एयरपोर्ट सेवाएँ लिमिटेड की ओर से

हस्ता/–
अमित कुमार
सीएसआर समिति के अध्यक्ष

हस्ता/–
रामबाबू सीएच
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
संदीप मल्होत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

परिशिष्ट V A

कंपनी सीएसआर नियमों के अंतर्गत मुख्य वित्तीय अधिकारी का प्रमाण–पत्र

दिनांक : 24.05.2025

सेवा में,

निदेशक मंडल,

एआई एयरपोर्ट सेवाएँ लिमिटेड,

नई दिल्ली

विषयरू कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 4(5) के नियम 4 के तहत प्रमाण पत्र

महोदय/महोदया,

1. मैं, संदीप मल्होत्रा, एआई एयरपोर्ट सेवाएँ लिमिटेड (एआईएएसएल) का मुख्य वित्तीय अधिकारी होने के नाते, यह प्रमाणित करता हूँ कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स कोष) में जमा किए जाने हेतु आवंटित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि 1,09,71,739.71/– का उपयोग दिनांक 03 मार्च 2025 को पीएम केयर्स कोष में जमा कर दिया गया है। यह जमा निदेशक मंडल की स्वीकृति के अनुरूप तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित सीएसआर नियमों एवं सामान्य परिपत्र संख्या 14/2021 दिनांक 25.08.2021 के अंतर्गत लागू विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन में, एआईएएसएल के निदेशक मंडल के निर्देशानुसार की गई है।

हस्ताक्षरित/–

संदीप मल्होत्रा

मुख्य वित्तीय अधिकारी

परिशिष्ट VI

फार्म सं. एओसी-2

[अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (ह) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में उल्लिखित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र, जिसमें तृतीय उपबंध के अंतर्गत कुछ आर्म्स लेंथ लेन-देन भी सम्मिलित हैं।

1. **आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन–देन का विवरणः**

   31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई भी अनुबंध, व्यवस्था अथवा लेन–देन नहीं किया गया, जो आर्म्स लेंथ आधार पर न हो।

2. **आर्म्स लेंथ आधार पर किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन–देन का विवरणः**

   वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, अधिनियम की धारा 188(1) के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्थाएँ/लेन–देन आर्म्स लेंथ आधार पर तथा सामान्य व्यवसाय के क्रम में किए गए थे, जिन्हें कंपनी की 107वीं निदेशक मंडल बैठक, जो 03 जनवरी 2025 को आयोजित हुई थी, में विधिवत स्वीकृत किया गया।

   आर्म्स लेंथ आधार पर किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन&देन का विवरण निम्नानुसार है:

संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	लेनदेन की प्रकृति	लेनदेन की अवधि	लेनदेन की मुख्य शर्तें	राशि (मिलियन में)
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	परिचालन से राजस्व	01.04.2024–31.03.2025		
	मानव संसाधन सेवाएं		राजस्व	3.63
होल्डिंग कंपनी	व्यय			
	लागत की प्रतिपूर्ति		व्यय	119.85
	बकाया राशि पर ब्याज		व्यय	47.35
एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) (एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की सहायक कंपनी)	परिचालन से राजस्व	01.04.2024–31.03.2025		
	ग्राउंड हैंडलिंग राजस्व		राजस्व	321.37
	मानव संसाधन सेवाओं की आपूर्ति		राजस्व	0
	बकाया वसूली योग्य ब्याज		राजस्व	136.34
	व्यय			
	एसओडी		व्यय	2.17
एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) (एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की सहायक कंपनी)	परिचालन से राजस्व	01.04.2024–31.03.2025		
	श्रम सेवाएँ/ केबिन सफाई		राजस्व	58.43

	बकाया वसूली योग्य ब्याज		राजस्व	1.01
	व्यय			
	हेड सेट के लिए प्रावधान		व्यय	35.69
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (HCI) (एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की सहायक कंपनी)	व्यय	01.04.2024–31.03.2025		
	कर्मचारी होटल खर्च			22.69
	त्योहारी खर्च			0
	कार्यक्रम खर्च			0

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक मंडल
की ओर से और उनके लिए

हस्ता/–
अमित कुमार
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24.02.2026

फॉर्म सं. MR–3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार

सेवा में

सदस्यगण,

एआई एयरपोर्ट सेवाएँ लिमिटेड,

द्वितीय तल, जीएसडी भवन,

एयर इंडिया परिसर, टर्मिनल&2,

आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली 110037

हमने **एआई एयरपोर्ट सेवाएँ लिमिटेड** (सीआईएन: U63090DL2003PLC120790) (जिसे आगे **"कंपनी"** कहा गया है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उत्तम कॉरपोरेट प्रथाओं के पालन की **सचिवीय लेखा परीक्षा** की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार की गई कि हमें कॉरपोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक युक्तिसंगत आधार प्राप्त हो सके।

एआई एयरपोर्ट सेवाएँ लिमिटेड की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों एवं रिटर्न्स तथा कंपनी द्वारा संधारित अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन के आधार पर, तथा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी, उनके द्वारा प्रदान की गई व्याख्याओं एवं स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के आलोक में, हम यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं कि हमारी राय में, 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष को आच्छादित करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने सामान्यतः नीचे उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी के पास, आगे किए गए प्रतिवेदन के अधीन, निर्दिष्ट सीमा तक और निर्दिष्ट तरीके से, उपयुक्त निदेशक मंडल प्रक्रियाएँ एवं अनुपालन तंत्र विद्यमान हैं।

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा संधारित पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, दायर किए गए प्रपत्रों एवं रिटर्नों तथा अन्य अभिलेखों की, निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार, जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत समय–समय पर किए गए संशोधनों सहित बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (SCRA*) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए **नियम & लागू नहीं, क्योंकि कंपनी की प्रतिभूतियाँ किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं**;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1956 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपविधियाँ;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) की सीमा तक **& लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं**;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (SEBI अधिनियम*) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश।

a. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011; **लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;**

b. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015; **लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;**

c. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018; **लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;**

d. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;

e. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियम, 2021; **लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;**

f. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993, कंपनी अधिनियम के संदर्भ में तथा ग्राहकों के साथ व्यवहार से संबंधित; **लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;**

g. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021; **लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;** तथा

h. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 2018; **लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।**

(vi) कंपनी द्वारा दिए गए उपक्रम के अनुसार, उद्योग पर लागू अन्य कानूनों का कंपनी द्वारा अनुपालन किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

1. कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952;
2. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972;
3. सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) के दिशानिर्देश;
4. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002;
5. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005;

हमने निम्नलिखित की भी जांच की है:

i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानक; तथा

ii) स्टॉक एक्सचेंज(ओं) के साथ कंपनी द्वारा किए गए लिस्टिंग समझौते एवं सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 **& लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानूनों के संबंध में, हमने लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी/डेटा पर भरोसा किया है तथा हमारी रिपोर्टिंग उसी सीमा तक सीमित है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी का निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति तथा पारिश्रमिक समिति, सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) के कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत रूप से गठित नहीं हैं। आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की पूर्ण स्वामित्व

वाली सहायक सार्वजनिक कंपनियों के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) एवं 178 तथा कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) संशोधन नियम, 2014 के नियम 4(2) (यथा संशोधित) के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अनिवार्य नहीं है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किए गए थे।

कंपनी को अपनी 21वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के उद्देश्य से, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अंतर्गत दायर आवेदन के आधार पर 25 सितंबर, 2024 के आदेश द्वारा समय–विस्तार प्रदान किया गया, जिसके अनुसार 21वीं वार्षिक आम बैठक (जो 30 सितंबर, 2024 को या उससे पूर्व आयोजित की जानी थी) के लिए तीन माह का विस्तार दिया गया। कंपनी की 21वीं वार्षिक आम बैठक 20 दिसंबर, 2024 को आयोजित की गई। तथापि, कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को सदस्यों द्वारा कंपनी की स्थगित वार्षिक आम बैठक में, जो 26 मार्च, 2025 को आयोजित हुई, अंगीकृत किया गया।

निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन करने हेतु सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है। एजेंडा तथा एजेंडा पर विस्तृत टिप्पणियाँ निर्धारित समय–सीमा के भीतर भेजी गईं तथा बैठक से पूर्व एजेंडा मदों पर अतिरिक्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली विद्यमान है, जिससे बैठकों में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

निदेशक मंडल एवं समितियों की सभी बैठकों में लिए गए निर्णय सर्वसम्मति से पारित किए गए।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार एवं उसके परिचालन के अनुरूप, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी एवं उसे सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ एवं प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऐसा कोई भी घटनाक्रम नहीं हुआ है, जिसका कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के कार्य–कलापों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हो।

सौरभ अग्रवाल एंड कंपनी

कंपनी सचिव

पीयर रिव्यू सं.: 3020/2023

फर्म पंजीकरण सं.: P2002DE043100

हस्ताक्षर/–

सीएस सौरभ अग्रवाल

पार्टनर

एफसीएस: F5430; सी.पी. संख्या: 4868

यूडीआईएन: F005430G002116880

स्थान: नई दिल्ली,

दिनांक: 29.11.2025

इस रिपोर्ट को उसी तारीख के हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो श्परिशिष्ट एश के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

2400

AIR INDIA
AIRPORT SERVICES
1365

'परिशिष्ट ए'

सदस्यगण

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

द्वितीय तल, जीएसडी भवन,

एयर इंडिया कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल–2,

आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली & 110037

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. कंपनी के प्रबंधन की यह जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय अभिलेखों का संधारण करे, सभी लागू कानूनों एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ विकसित करे तथा यह सुनिश्चित करे कि ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हों और प्रभावी रूप से कार्य कर रही हों।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

2. सचिवीय अनुपालनों के संबंध में कंपनी द्वारा संधारित सचिवीय अभिलेखों, अपनाए गए मानकों एवं प्रक्रियाओं पर अपनी राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है;
3. हमारा मानना है कि कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य एवं सूचनाएँ, हमारी राय के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान करती हैं;
4. सचिवीय अभिलेखों की विषय–वस्तु की शुद्धता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने हेतु हमने उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्यों का प्रतिबिंबन हो। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ एवं प्रथाएँ हमारी राय के लिए युक्तिसंगत आधार प्रदान करती हैं;
5. जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने विधियों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं।

स्पष्टीकरण

6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन है और न ही उस दक्षता अथवा प्रभावशीलता के संबंध में, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है;
7. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा पुस्तकों की शुद्धता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

सौरभ अग्रवाल एंड कंपनी
कंपनी सचिव
पीयर रिव्यू सं.: 3020/2023
फर्म पंजीकरण सं.: P2002DE043100

हस्ताक्षर/–
सीएस सौरभ अग्रवाल
पार्टनर
एफसीएसः F5430; सी.पी. संख्यारू 4868
यूडीआईएनः F005430G002116880

स्थानः नई दिल्ली,

दिनांकः 29.11.2025

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
1.	कंपनी के निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति तथा पारिश्रमिक समिति का गठन, लोक उद्यम विभाग के कॉरपोरेट प्रशासन दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के उपयुक्त संतुलन के साथ विधिवत नहीं किया गया है। तथापि, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सूचीबद्ध न होने वाली सार्वजनिक कंपनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक सार्वजनिक कंपनियों के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) एवं 178 तथा कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) संशोधन नियम, 2014 के नियम 4(2) (यथा संशोधित) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक कथन है।
2.	कंपनी को अपनी 21वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के उद्देश्य से, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अंतर्गत दायर आवेदन के आधार पर 25 सितंबर, 2024 के आदेश द्वारा तीन माह का समय–विस्तार प्रदान किया गया, जबकि यह बैठक 30 सितंबर, 2024 को या उससे पूर्व आयोजित की जानी थी। कंपनी की 21वीं वार्षिक आम बैठक 20 दिसंबर, 2024 को आयोजित की गई। तथापि, कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को सदस्यों द्वारा कंपनी की स्थगित वार्षिक आम बैठक में, जो 26 मार्च, 2025 को आयोजित हुई, अंगीकृत किया गया।	यह एक तथ्यात्मक कथन है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसा के आधार पर, 03.01.2025 को आयोजित अपनी 107वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। निदेशक मंडल की स्वीकृति के पश्चात, उक्त वित्तीय विवरणों को उन पर रिपोर्ट देने हेतु वैधानिक लेखा परीक्षकों को अग्रेषित किया गया तथा तत्पश्चात लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) के कार्यालय को उनकी टिप्पणियों हेतु भेजा गया। C&AG से दिनांक 07.03.2025 के पत्र द्वारा प्राप्त शून्य टिप्पणियों को लेखा परीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल द्वारा 26.03.2025 को आयोजित अपनी–अपनी बैठकों में संज्ञान में लिया गया। इसके पश्चात, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को 26.03.2025 को आयोजित कंपनी की स्थगित 21वीं वार्षिक आम बैठक में अंगीकृत किया गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर।

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की तैयारी, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत, धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह कार्य अपनी 01 दिसंबर 2025 दिनांकित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया है।

मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(a) के अंतर्गत एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण वैधानिक लेखा परीक्षक के कार्यपत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्यतः वैधानिक लेखा परीक्षक तथा कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षण के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है, जिसके कारण अधिनियम की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक टिप्पणी करने की आवश्यकता हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निमित्त और उनकी ओर से

हस्ताक्षर/–
(प्रमोद कुमार)
अपर उप नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक
(अवसंरचना)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 12.02.2026

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न **स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों** का लेखा परीक्षण किया है, जिनमें 31 मार्च, 2025 की स्थिति अनुसार **स्टैंडअलोन बैलेंस शीट**, वर्ष के लिए **स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि विवरण (अन्य समग्र आय विवरण सहित), स्टैंडअलोन इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण, स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण** तथा इंड एएस वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ शामिल हैं, जिनमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सम्मिलित है (आगे इन्हें "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" कहा गया है)।

हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण, यथा संशोधित **कंपनी अधिनियम**, 2013 ("अधिनियम") के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी को अपेक्षित रूप में प्रदान करते हैं तथा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित **भारतीय लेखा मानकों** (कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, के साथ पठित) ("इंड एएस") तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2025 को कंपनी की वित्तीय स्थिति का तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ, कुल समग्र आय, इक्विटी में परिवर्तनों एवं नकदी प्रवाह का **सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण** प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों का अपना लेखापरीक्षण अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार किया है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ" अनुभाग में दिया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार तथा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य सभी नैतिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया है।

हमारा मत है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षण अभिमत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

महत्वपूर्ण विषय पर बल

1. हम वित्तीय विवरणों के नोट 42 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी ने डिमर्जर के परिणामस्वरूप उत्पन्न दायित्व के अंतर्गत 1,411.45 मिलियन की राशि सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ के लिए मान्यता दी है, जो एयर इंडिया लिमिटेड से एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में स्थानांतरित कर्मचारियों से संबंधित है। प्रबंधन के अनुसार, वर्तमान में कंपनी के पास अपने कर्मचारियों को ऐसे सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ प्रदान करने हेतु कोई नीति या दायित्व नहीं है तथा वर्ष के दौरान कोई एक्चुरियल मूल्यांकन नहीं किया गया है। यह दायित्व सतर्क दृष्टिकोण अपनाते हुए आगे ले जाया जा रहा है।
2. हम वित्तीय विवरणों के नोट 35 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी समूह कंपनियों, अर्थात् एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड तथा एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, से संबंधित प्राप्य राशियों के अतिदेय शेष पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूल कर रही है। लेखापरीक्षण अवधि के दौरान अतिदेय भुगतानों पर ₹137.35 मिलियन की ब्याज राशि को "अन्य आय" के रूप में दर्ज किया गया है। इस संबंध में हमने प्रबंधन के इस कथन पर भरोसा किया है कि उक्त राशि पूर्णतः वसूल योग्य है।
3. हम वित्तीय विवरणों के नोट 44 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी ने एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को देय औसत बकाया शेष पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ₹47.35 मिलियन की ब्याज राशि का प्रावधान किया है, जिसे "अन्य ब्याज लागत" के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इस संबंध में हमने प्रबंधन के इस कथन पर भरोसा

किया है कि उक्त ब्याज राशि एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड द्वारा चालान जारी किए जाने के पश्चात वास्तव में देय होगी।

4. हम वित्तीय विवरणों के नोट 7 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी के पास भंडार एवं पुर्जों के रूप में ₹21. 85 मिलियन के सकल मूल्य का भंडार है, जिसके विरुद्ध अप्रचलन हेतु ₹3.03 मिलियन का प्रावधान किया गया है। ये भंडार एयर इंडिया लिमिटेड तथा एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड से हस्तांतरित किए गए थे, जिनका तीन वर्षों से अधिक अवधि से उपयोग नहीं किया गया है। हमने प्रबंधन के इस कथन पर भरोसा किया है कि इन भंडारों में उपयोग मूल्य विद्यमान है तथा यह मूल्य पुस्तकों में दर्शाए गए वहन मूल्य के कम से कम बराबर है, जो कंपनी के उपयोगकर्ता (तकनीकी) विभाग से प्राप्त पुष्टि के आधार पर है।

5. हम वित्तीय विवरणों के नोट 31(a) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। विभिन्न पक्षों से प्राप्य एवं देय राशियाँ पुष्टि एवं सामंजस्य के अधीन हैं।

6. हम वित्तीय विवरणों के नोट 52 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी के ईआरपी लेखांकन सॉफ्टवेयर (**ओओडीओ**) की अस्थायी अनुपलब्धता के संबंध में विवरण दिया गया है, जिसे 15 जून 2024 को मेसर्स यूनिक डेटा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (**यूडीएसपीएल**) द्वारा एकपक्षीय रूप से निलंबित कर दिया गया था। इस संबंध में कंपनी द्वारा मेसर्स यूडीएसपीएल के विरुद्ध वाद दायर किया गया है तथा यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने लेखा अभिलेख एक्सेल के माध्यम से मैनुअल रूप से संधारित किए। वर्षांत के पश्चात, सभी लेन–देन को सामूहिक रूप से लेखांकन ईआरपी सॉफ्टवेयर (टैली) में अपलोड किया गया है तथा इस प्रकार संकलित लेखा अभिलेखों के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

7. हम वित्तीय विवरणों के नोट 31(c) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारे लेखापरीक्षण के दौरान, जब कर कटौती (टीडीएस) विवरणियों की पुस्तकों से तुलना की गई, तो विवरणियों में दर्शाए गए टीडीएस और लेखा अभिलेखों के बीच कुछ असंगतियाँ पाई गईं। प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन दिया है कि उक्त मदों का सामंजस्य किया जा रहा है तथा वर्तमान लेखापरीक्षण अवधि के लिए किसी महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

इन विषयों के संबंध में हमारा अभिमत संशोधित नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों एवं उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट के परिशिष्ट सम्मिलित हैं, परंतु इसमें इंड एएस वित्तीय विवरण तथा उन पर हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। उपर्युक्त अन्य जानकारी इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है।

भारतीय लेखा मानक (Ind AS)वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

भारतीय लेखा मानक (Ind AS)के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि उपर्युक्त पहचानी गई अन्य जानकारी, जब हमें उपलब्ध कराई जाए, को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या वह अन्य जानकारी Ind AS वित्तीय विवरणों के साथ या हमारे लेखापरीक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है अथवा अन्यथा उसमें कोई भौतिक त्रुटिपूर्ण विवरण प्रतीत होता है।

जब हम उपर्युक्त दस्तावेज़ों से संबंधित अन्य जानकारी को पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई भौतिक त्रुटिपूर्ण विवरण है, तो हमें उस विषय को शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सूचित करना आवश्यक होता है तथा लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाहियों का विवरण देना होता है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक (Ind AS) वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन तथा शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के संबंध में उत्तरदायी है, जिनके अंतर्गत इन Ind AS वित्तीय विवरणों की तैयारी शामिल है, जो कंपनी की स्थिति (वित्तीय स्थिति),

लाभ या हानि (वित्तीय प्रदर्शन), जिसमें अन्य समग्र आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा नकदी प्रवाह शामिल हैं, का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (Ind AS) तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए जाते हैं।

इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पता लगाने हेतु पर्याप्त लेखा अभिलेखों का संधारण; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनका अनुप्रयोग; युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्पन, कार्यान्वयन और संधारण भी शामिल है, जो प्रभावी रूप से संचालित हो रहे हों, ताकि लेखा अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित की जा सके, जो भारतीय लेखा मानक (Ind AS) वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक हों, और जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी प्रकार की भौतिक त्रुटि से मुक्त हों तथा सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करें।

वित्तीय विवरणों की तैयारी के दौरान, निदेशक मंडल कंपनी की सतत संचालन क्षमता का आकलन करने, जहाँ लागू हो वहाँ सतत संचालन से संबंधित विषयों का प्रकटीकरण करने तथा सतत संचालन के आधार पर लेखांकन का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी का परिसमापन करने या उसके परिचालन को समाप्त करने का इरादा न रखता हो, अथवा उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई यथार्थ विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

भारतीय लेखा मानक (Ind AS) वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारे उद्देश्य यह हैं कि भारतीय लेखा मानक (Ind AS) वित्तीय विवरण, समग्र रूप से, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण, किसी भी महत्वपूर्ण त्रुटि से मुक्त हैं या नहीं, इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त किया जाए तथा एक ऐसी लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी की जाए जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव किसी महत्वपूर्ण त्रुटि का पता लगाएगी, यदि वह विद्यमान हो। त्रुटियाँ धोखाधड़ी या गलती के कारण उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें तब महत्वपूर्ण माना जाता है जब वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, इन Ind AS वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित संभावना रखती हों।

लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की गई लेखा परीक्षा के अंतर्गत, हम संपूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर विवेक का प्रयोग करते हैं तथा पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम आगे निम्नलिखित भी करते हैंरू

- भारतीय लेखा मानक (Ind AS) वित्तीय विवरणों में, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण, किसी भी प्रकार की भौतिक त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति के जोखिमों की पहचान करना एवं उनका आकलन करना; उन जोखिमों के प्रत्युत्तर में उपयुक्त लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना एवं उनका निष्पादन करना; तथा हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करना। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि से उत्पन्न भौतिक त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रणों का अतिक्रमण शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षण से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, ताकि परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की जा सके। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस संबंध में भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास Ind AS वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है तथा ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित हो रहे हैं।
- प्रबंधन द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा किए गए लेखांकन अनुमानों और उनसे संबंधित

प्रकटीकरणों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के निरंतर संचालन आधार के प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना तथा प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करना कि क्या ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता विद्यमान है, जो कंपनी की निरंतर संचालन की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में भारतीय लेखा मानक (Ind AS) वित्तीय विवरणों में किए गए संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है अथवा, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हों, तो अपनी राय में संशोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएँ या परिस्थितियाँ कंपनी को निरंतर संचालन में असमर्थ बना सकती हैं।
- भारतीय लेखा मानक (Ind AS) वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का मूल्यांकन करना, जिसमें किए गए प्रकटीकरण भी सम्मिलित हैं, तथा यह आकलन करना कि क्या भारतीय लेखा मानक (Ind AS) वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन एवं घटनाओं का ऐसा प्रस्तुतीकरण करते हैं, जिससे सत्य एवं निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता से अभिप्राय भारतीय लेखा मानक (Ind AS) वित्तीय विवरणों में विद्यमान त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतियों के परिमाण से है, जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, इस बात की संभावना उत्पन्न कर सकती हैं कि वित्तीय विवरणों के एक युक्तिसंगत रूप से जानकार उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षण कार्य के दायरे की योजना बनाने एवं अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; तथा (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में पहचानी गई किसी भी त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, मात्रात्मक भौतिकता एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम कंपनी के शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के साथ, अन्य विषयों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षण के नियोजित दायरे एवं समय निर्धारण तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षण निष्कर्षों के संबंध में संवाद करते हैं, जिसमें हमारे लेखापरीक्षण के दौरान पहचानी गई आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में किसी भी महत्वपूर्ण कमी की जानकारी भी शामिल होती है।

हम शासन से संबंधित उत्तरदायित्व संभालने वालों को यह भी एक कथन प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा उनके साथ उन सभी संबंधों एवं अन्य विषयों का संप्रेषण किया है, जिनके बारे में युक्तिसंगत रूप से यह माना जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, और जहाँ लागू हो, उनसे संबंधित सुरक्षा उपायों का भी।

शासन से संबंधित उत्तरदायित्व संभालने वालों के साथ संप्रेषित विषयों में से, हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्व के थे और इसलिए वे प्रमुख लेखा परीक्षा हैं। हम इन विषयों का वर्णन अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में करते हैं, जब तक कि कोई कानून या विनियम ऐसे विषय के सार्वजनिक प्रकटीकरण से प्रतिबंधित न करता हो अथवा जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करें कि किसी विषय को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल परिणाम, युक्तिसंगत रूप से, ऐसे संप्रेषण से होने वाले सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक हो सकते हैं।

वर्तमान अवधि के दौरान ऐसे कोई विषय चिन्हित नहीं किए गए, जो महत्वपूर्ण हों और जिन्हें प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के रूप में प्रकटीकरण की आवश्यकता हो।

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार अपेक्षित रूप से, हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:

(a) हमने अपने लेखापरीक्षण के प्रयोजनों के लिए, अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए हैं।

(b) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा समुचित लेखा–पुस्तकें रखी गई हैं, सिवाय उन विषयों के जो नीचे पैरा 1(h)(vi) में, कंपनियाँ (लेखापरीक्षण एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2015 के नियम 11(ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग के संबंध में तथा "महत्वपूर्ण विषय पर बल" के बिंदु संख्या 6 में उल्लिखित हैं।

(c) इस रिपोर्ट द्वारा विचारित बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि विवरण, जिसमें अन्य समग्र आय शामिल है, इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण, कंपनी द्वारा संधारित लेखा–पुस्तकों के साथ सामंजस्य में हैं। वित्तीय विवरणों के नोट 52 का संदर्भ लें।

(d) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (Ind AS) का अनुपालन करते हैं, जिन्हें कंपनियाँ (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

(e) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 05 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (E) के अनुसरण में, निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164 की उप–धारा (2) कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(f) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "परिशिष्ट– ।" में दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

(g) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 05 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 463 (E) के अनुसरण में, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है।

(h) कंपनियाँ (लेखापरीक्षण एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (संशोधित रूप में) के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसाररू

i. कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को लंबित वादों के प्रभाव को अपनी वित्तीय स्थिति पर, अपने भारतीय लेखा मानक (Ind AS) वित्तीय विवरणों में प्रकट किया है। (स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरणों के नोट 28 का संदर्भ लें)।

ii. कंपनी के पास कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध, जिसमें डेरिवेटिव अनुबंध भी शामिल हैं, ऐसे नहीं थे जिनमें कोई भौतिक, पूर्वानुमेय हानि विद्यमान हो।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में हस्तांतरित किए जाने योग्य कोई भी राशि नहीं थी।

iv. a. प्रबंधन ने यह अभिव्यक्ति दी है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई भी धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से भौतिक हो) किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को—जिसमें विदेशी संस्थाएँ भी सम्मिलित हैंकृअग्रिम, ऋण अथवा निवेश के रूप में (चाहे उधार लिए गए धन से, अंश प्रीमियम से अथवा किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से) प्रदान नहीं की गई है, इस समझ के साथकृचाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथाकृकि ऐसा मध्यवर्ती व्यक्ति या संस्था, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में धन उधार देगा या निवेश करेगा, अथवा ऐसे अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा इसी प्रकार की कोई व्यवस्था प्रदान करेगा।

b. प्रबंधन ने यह भी अभिव्यक्ति दी है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्था सेकृजिसमें विदेशी संस्थाएँ भी सम्मिलित हैंकृकोई भी ऐसी धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से भौतिक हो) प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथकृचाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथाकृकि कंपनी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, ऐसे धन प्रदान करने वाले पक्ष द्वारा या उसकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में धन उधार देगी

या निवेश करेगी, अथवा ऐसे अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा इसी प्रकार की कोई व्यवस्था प्रदान करेगी।

c. परिस्थितियों में युक्तिसंगत एवं उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं के निष्पादन के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास करने का कारण हो कि उपर्युक्त एवं इ में दी गई अभिव्यक्तियाँ, कंपनियाँ (लेखापरीक्षण एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के उप–नियम (ङ) के अंतर्गत किसी भी प्रकार की भौतिक त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति को समाहित करती हैं।

v. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी लाभांश न तो घोषित किया गया है और न ही उसका भुगतान किया गया है।

vi. "महत्वपूर्ण विषयों पर बल" के बिंदु संख्या 6 में उल्लिखित विषयों तथा वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 52 के साथ पढ़े जाने के अधीन, हमारे द्वारा किए गए परीक्षणों सहित किए गए परीक्षणात्मक परीक्षणों के आधार पर, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी लेखा–पुस्तकों के संधारण हेतु ऐसे लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखा–अनुसरण पथ (संपादन अभिलेख) दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है, और यह सुविधा सॉफ़्टवेयर में दर्ज की गई सभी प्रासंगिक लेन–देनों के लिए उपयोग की पूरी अवधि के दौरान संचालित रही है।

इसके अतिरिक्त, हमारे लेखापरीक्षण के दौरान हमें ऐसा कोई भी उदाहरण प्राप्त नहीं हुआ, जिससे यह संकेत मिले कि लेखा–अनुसरण पथ की सुविधा के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई हो। हमारे परीक्षणों, जिनमें परीक्षणात्मक परीक्षण भी सम्मिलित थे, के आधार पर भी हमें लेखा–अनुसरण पथ के साथ छेड़छाड़ का कोई उदाहरण प्राप्त नहीं हुआ है, तथा प्रबंधन ने यह अभिव्यक्ति दी है कि लेखा–अनुसरण पथ की सुविधा को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। कंपनी ने अभिलेखों के संरक्षण से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखा–अनुसरण पथ को संरक्षित रखा है, इस तथ्य के अधीन कि वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी लेखा–पुस्तकें हस्तचालित रूप से एक्सेल में संधारित की थीं तथा वर्ष के अंत के पश्चात सभी लेन–देनों को एकमुश्त रूप से लेखांकन ईआरपी सॉफ़्टवेयर (टैली) में अपलोड किया गया।

2. अधिनियम की धारा 143(11) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनियाँ (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (जिसे आगे "आदेश" कहा गया है) के अनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में निर्दिष्ट विषयों पर, जहाँ तक वे लागू होते हैं, हम "परिशिष्ट–बी" में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(5) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उपर्युक्त धारा के अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों पर, हम **"परिशिष्ट–सी"** में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं

बंसल एंड कंपनी एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म का पंजीकरण संख्याः **001113N / N500079**

हस्ताक्षरित

अमित कुमार सिंह

साझेदार

सदस्यता संख्याः 532180

यूडीआईएनः **25532180BMIYZP4535**

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 01.12.2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की समान तिथि की रिपोर्ट के परिशिष्ट–ए*

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संबंध में

हमारी समान तिथि की एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के सदस्यों को प्रस्तुत रिपोर्ट के "अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" खंड के अंतर्गत अनुच्छेद 1 (f) में संदर्भित।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, **एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड** ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षण किया है, जो उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के साथ संयुक्त रूप से किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं उनके संधारण के लिए उत्तरदायी है। ये नियंत्रण कंपनी द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रण मानदंडों पर आधारित हैं, जिन्हें भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी **वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण पर मार्गदर्शक टिप्पणी** में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं संधारण शामिल है, जो प्रभावी रूप से संचालित हों, ताकि कंपनी के व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं दक्ष संचालन सुनिश्चित किया जा सके। इसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पहचान, लेखा अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता, तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सुनिश्चित करना भी सम्मिलित है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारे द्वारा किए गए लेखापरीक्षण के आधार पर, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करने की है। हमने यह लेखापरीक्षण भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी **वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण पर मार्गदर्शक टिप्पणी** ("मार्गदर्शक टिप्पणी") तथा **लेखापरीक्षण मानकों** के अनुसार किया है, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत, जहाँ तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण पर लागू हो, विनिर्दिष्ट माना गया है। ये दोनों—लेखापरीक्षण मानक एवं मार्गदर्शक टिप्पणी—भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी की गई हैं।

उक्त मानक एवं मार्गदर्शक टिप्पणी यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखापरीक्षण की योजना बनाएँ और उसका निष्पादन इस उद्देश्य से करें कि यह निर्धारित करने हेतु युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं संधारित किए गए हैं तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित हो रहे हैं।

हमारी जिम्मेदारी, हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करने की है। हमने यह लेखापरीक्षण भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी **वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण पर मार्गदर्शक टिप्पणी** ("मार्गदर्शक टिप्पणी") तथा **लेखापरीक्षण मानकों** के अनुसार किया है। ये दोनों कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत, जहाँ तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण पर लागू हो, विनिर्दिष्ट माने जाते हैं तथा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं।

उक्त लेखापरीक्षण मानक एवं मार्गदर्शक टिप्पणी यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षण की योजना बनाएँ और उसका निष्पादन इस उद्देश्य से करें कि यह निर्धारित करने हेतु युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं संधारित किए गए हैं तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित हो रहे हैं।

हमारे लेखापरीक्षण में, इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उसके प्रभावी संचालन के संबंध में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने हेतु उपयुक्त प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है।

इन स्टैंडअलोन इंडियन लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षण में, ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमजोरी के अस्तित्व के जोखिम का आकलन करना, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों की अभिकल्पना एवं उनके परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना सम्मिलित था। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में भौतिक त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षण साक्ष्य, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षण राय के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

इन स्टैंडअलोन इंडियन लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

इन स्टैंडअलोन इंडियन लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में, किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए स्टैंडअलोन इंडियन लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता तथा उनकी तैयारी के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करने हेतु अभिकल्पित किया गया है।

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में, किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं, जो:

(1) ऐसे अभिलेखों के संधारण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत विवरण में कंपनी के लेन–देन एवं उसकी परिसंपत्तियों के निपटान को शुद्धता एवं निष्पक्षता से परिलक्षित करते हैं।

(2) यह सुनिश्चित करने हेतु युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन–देन इस प्रकार अभिलिखित किए गए हैं, जिससे सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी संभव हो सके, तथा यह भी कि कंपनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों द्वारा प्रदत्त प्राधिकरणों के अनुरूप ही किए गए हैं।

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम अथवा उनके समय पर पता लगाए जाने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारणकृजिसमें मिलीभगत की संभावना अथवा नियंत्रणों पर प्रबंधन द्वारा अनुचित अतिक्रमण की संभावना शामिल है—त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और उनका पता न चल सके। इसके अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के भविष्य की अवधियों पर प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन होता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर कम हो सकता है।

योग्य मत:

हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर, 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित **भौतिक कमजोरियों** की पहचान की गई है:

I. वित्तीय वर्ष 2024&25 के लिए मूल्यह्रास की गणना मैन्युअल रूप से की जा रही है, जबकि अपेक्षित नियंत्रण एक स्वचालित प्रक्रिया होना चाहिए। यह मैन्युअल प्रक्रिया वित्तीय विवरणों में त्रुटि के जोखिम को बढ़ाती है।

II. वर्तमान में क्रय आदेश प्रक्रिया में माल प्राप्ति पर्ची जारी करने के लिए कोई परिभाषित प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में माल प्राप्त करने वाला व्यक्ति केवल डिलीवरी चालान या लोरी रसीद पर प्रारंभिक हस्ताक्षर करता है। अपेक्षित नियंत्रण यह है कि क्रय अनुरोध उठाने वाला व्यक्ति माल प्राप्ति पर्ची जारी करने के लिए अधिकृत न हो। इससे यह संकेत मिलता है कि क्रय आदेश प्रणाली का एक आवश्यक घटक, अर्थात् उचित माल प्राप्ति पर्ची प्रक्रिया, अनुपस्थित है।

III. कंपनी आयात प्रविष्टियों के लिए कोई मैन्युअल आवक रजिस्टर संधारित नहीं कर रही है तथा प्रणाली में स्वीकृति के पश्चात आवक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ दर्ज करने के बजाय केवल एक्सेल रिपोर्ट पर निर्भर है।

IV. देनदारों की आयु–विश्लेषण समीक्षा प्रबंधन द्वारा अपेक्षित मासिक आधार के स्थान पर वार्षिक आधार पर की जा रही है। इससे समस्या–ग्रस्त देनदारों की पहचान में विलंब होता है, जिसका अपेक्षित ऋण हानि प्रावधानों तथा संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग की शुद्धता पर प्रभाव पड़ता है।

V. माह–अंत लेखा रिपोर्टिंग के लिए कोई परिभाषित समय–सारणी उपलब्ध नहीं है। जानकारी केवल प्रबंधन के अनुरोध पर ही साझा की जाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एक संरचित एवं समयबद्ध वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अभाव है।

VI. बजट विचलन रिपोर्टिंग: बजटित एवं वास्तविक आंकड़ों के बीच विचलनों की रिपोर्टिंग एवं निगरानी की प्रक्रिया अभी तक लागू नहीं की गई है।

यह रहा इसका स्वाभाविक और औपचारिक हिंदी अनुवाद:

VII. **बजट तैयारी**: अर्ध–वार्षिक वित्तीय आँकड़ों और क्षेत्रीय इनपुट्स के आधार पर बजट तैयार किया जाना था, किंतु वर्तमान वर्ष के लिए बजट अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

VIII. **विचलन विश्लेषण**: वास्तविक परिणामों और बजटित परिणामों के बीच अंतर की पहचान एवं जाँच के लिए कोई तंत्र अभी तक स्थापित नहीं किया गया है।

IX. **सहनशीलता स्तर**: प्रबंधन द्वारा स्वीकार्य विचलन स्तरों के लिए अभी तक कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तथा असामान्य विचलनों की समीक्षा नहीं की जा रही है।

निम्नलिखित टिप्पणियाँ पूर्व वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2023&24) से संबंधित हैं तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी अब तक अनसुलझी बनी हुई हैं:

a. ऑडिट की जा रही वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा में कमियाँ:

i. आईसीएआई (ICAI) द्वारा जारी **वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट संबंधी मार्गदर्शिका** के अनुसार, महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक विस्तृत एवं प्रलेखित मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs) उपलब्ध नहीं हैं।

ii. लेखांकन एवं बिलिंग सॉफ्टवेयर में मेकर/चेकर जैसे प्राधिकरण नियंत्रणों को और अधिक सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

iii. वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों एवं वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्ण और सुसंगत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के सामान्य तथा अनुप्रयोग नियंत्रणों के सर्वोत्तम उपयोग को और मजबूत करने

की आवश्यकता है।

iv. कंपनी के संचालन के आकार को देखते हुए पेरोल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तथापि, यह पाया गया है कि उपस्थिति, अवकाश अभिलेख, नए कर्मचारियों एवं त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों का विवरण, वैधानिक देयों का भुगतान आदि जैसी विभिन्न प्रक्रियाएँ पूर्णतः स्वचालित नहीं हैं तथा इन्हें मैन्युअल रूप से बनाए रखा जा रहा है।

b. भौतिक भंडार तथा स्थायी परिसंपत्तियों का लेखा पुस्तकों के साथ मिलान करने हेतु नियंत्रणों को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

c. कुछ महत्वपूर्ण खातों, जैसे देयक खाते, देनदार खाते, वैधानिक देयों का विवरणी के साथ मिलान तथा वेतन संबंधी शेष राशियों का समय पर और सही ढंग से मिलान नहीं किया जा रहा है।

d. माल प्रबंधन तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से संबंधित लेखांकन हेतु प्रयुक्त सॉफ़्टवेयर और उद्यम संसाधन योजना आधारित लेखांकन प्रणाली आपस में एकीकृत नहीं हैं।

e. अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ से संबंधित बिल जारी करने हेतु प्रयुक्त सॉफ़्टवेयर और उद्यम संसाधन योजना आधारित लेखांकन प्रणाली आपस में एकीकृत नहीं हैं।

f. नए ग्राहक खाते का निर्माण करते समय संबंधित विभाग को प्रदान किए गए ग्राहक पहचान संबंधी दस्तावेज़ अपूर्ण पाए गए हैं।

g. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (रैम्प उपकरण तथा अन्य) से संबंधित कबाड़ का कोई पंजीकरण अभिलेख संधारित नहीं किया जा रहा है।

h. सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा सामग्री की खरीद से संबंधित अभिलेख पूर्णतः स्वचालित नहीं हैं तथा इन्हें मैन्युअल रूप से संधारित किया जा रहा है।

i. रैम्प सहायता प्रपत्रों के निर्गमन से संबंधित अभिलेख पूर्णतः स्वचालित नहीं हैं तथा इन्हें मैन्युअल रूप से बनाए रखा जा रहा है। जिन रैम्प सहायता प्रपत्रों के विरुद्ध बिल जारी नहीं किए गए हैं, उनके कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार के नियंत्रणों को और अधिक सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

'महत्वपूर्ण कमजोरी' से आशय आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी कमी से है, अथवा ऐसी अनेक कमियों के संयोजन से है, जिसके कारण यह युक्तिसंगत संभावना बनी रहती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि समय पर न तो रोकी जा सकेगी और न ही उसका पता लगाया जा सकेगा।

हमारी राय में, उपर्युक्त वर्णित महत्वपूर्ण कमजोरियों के कारण नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावित होती है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित पर्याप्त एवं प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं बनाए नहीं रखे हैं। यह राय कंपनी द्वारा निर्धारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंडों तथा आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए व्यक्त की गई है, जैसा कि संबंधित मार्गदर्शिका में वर्णित है।

बंसल एंड कंपनी एलएलपी के लिए

चार्टर्ड लेखाकार

फर्म का पंजीकरण क्रमांक 001113N/N500079

हस्ताक्षर

अमित कुमार सिंह

साझेदार

सदस्यता क्रमांक 532180

यूडीआईएनः 25532180BMIYZP4535

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 01.12.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की समान तिथि की रिपोर्ट के साथ संलग्न परिशिष्ट "बी"

परिशिष्ट "बी" कंपनियों (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के अंतर्गत रिपोर्ट, जिसका उल्लेख स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में "अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 2 में किया गया है, जो 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के सदस्यों हेतु तैयार की गई पृथक वित्तीय विवरणों से संबंधित है।

हमारे द्वारा मांगी गई तथा कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, तथा लेखा परीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा परीक्षित लेखा पुस्तकों और अभिलेखों के अनुसार, और अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के आधार पर, हम यह कहते हैं किरू

(i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध मेंरू

(a) (A) कंपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण, जिसमें मात्रात्मक विवरण एवं उनकी स्थिति सम्मिलित है, के उचित अभिलेख संधारित करती है।

(B) कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख संधारित करती है।

(b) कंपनी द्वारा संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन हेतु एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी परिसंपत्तियों का युक्तिसंगत अंतराल पर सत्यापन किया जाता है, जो हमारे मत में कंपनी के आकार एवं परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए उपयुक्त है। प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है, तथापि भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर के साथ मिलान करने की प्रक्रिया प्रबंधन द्वारा प्रगति पर है, अतः यदि कोई अंतर हो तो उस पर हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए उक्त आदेश के अनुच्छेद 3(i)(c) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(d) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जिसमें उपयोग के अधिकार वाले संपत्ति भी शामिल हैं) और अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(e) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है और 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के खिलाफ बिनामी संपत्ति रखने के संबंध में कोई लंबित मामला नहीं है, जैसा कि बिनामी लेनदेन (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और इसके नियमों में निर्दिष्ट है।

(ii) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भंडार (इन्वेंट्री) का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा सत्यापन की आवृत्ति उचित है और इस सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उपयुक्त है। भौतिक स्टॉक्स और बहीखाता रिकॉर्ड के बीच प्रत्येक वर्ग की कुल इन्वेंट्री में 10% या उससे अधिक का कोई अंतर नहीं पाया गया।

(b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्तमान संपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंक और वित्तीय संस्थानों से कुल ₹5 करोड़ से अधिक का कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। इसलिए उक्त आदेश के अनुच्छेद 3(ii)(b) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(iii) कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या किसी अन्य पक्षों को किए गए निवेश, प्रदान की गई किसी भी गारंटी या सुरक्षा, या ऋण या अग्रिम ऋण (सिक्योर या अनसिक्योर) के संबंध में:

(a) हमें वर्ष के दौरान दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या किसी अन्य पक्षों को ऋण, अग्रिम ऋण, गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। इसलिए, उक्त आदेश के अनुच्छेद 3(iii)(a) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(b) हमें वर्ष के दौरान दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या किसी अन्य पक्षों को निवेश, गारंटी, सुरक्षा प्रदान या ऋण और अग्रिम ऋण प्रदान नहीं किए हैं। इसलिए, उक्त आदेश के अनुच्छेद 3(iii)(b) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(c) हमें वर्ष के दौरान दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या किसी अन्य पक्षों को ऋण या अग्रिम ऋण प्रदान नहीं किए हैं। इसलिए, उक्त आदेश के अनुच्छेद 3(iii)(c) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(d) हमें वर्ष के दौरान दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या किसी अन्य पक्षों को 90 दिन से अधिक लंबित ऋण या अग्रिम ऋण प्रदान नहीं किए हैं। इसलिए, उक्त आदेश के अनुच्छेद 3(iii)(d) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(e) हमें वर्ष के दौरान दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड

लाइबिलिटी पार्टनरशिप या किसी अन्य पक्षों को वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले ऋण या अग्रिम ऋण प्रदान नहीं किए हैं, सिवाय (d) में उल्लेखित मामलों के। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(iii)(e) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

(f) हमें वर्ष के दौरान दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी ऋण या अग्रिम ऋण प्रदान नहीं किया है, चाहे वह मांग पर चुकाने योग्य हो या बिना किसी पुनर्भुगतान की शर्त या अवधि के निर्दिष्ट किए। इसलिए, उक्त आदेश के अनुच्छेद 3(iii)(f) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास ऐसे कोई ऋण, निवेश, गारंटी या सुरक्षा नहीं हैं जिन पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 लागू होती हो। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(iv) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

(v) कंपनी ने न तो जनता से कोई जमा राशि स्वीकार की है और न ही कोई ऐसी राशि स्वीकार की है जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 और इसके अंतर्गत बने नियमों के अर्थ में जमा माना जाता हो, जहां तक लागू हो। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(v) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

(vi) हमने कंपनी द्वारा बनाए गए खाता पुस्तकों की संक्षिप्त समीक्षा की है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार लागत रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु रखी गई हैं, और हमारी राय में, प्रारंभिक –ष्टि से, निर्दिष्ट खाते और रिकॉर्ड बनाए गए और रखे गए हैं। हालांकि, हमने लागत रिकॉर्ड की विस्तृत जांच यह निर्धारित करने के लिए नहीं की कि वे सही या पूर्ण हैं या नहीं।

(vii) (a) कंपनी आम तौर पर निर्विवाद वैधानिक देयों जैसे कि वस्तु और सेवा कर (GST), भविष्य निधि (Provident Fund), कर्मचारी राज्य बीमा (ESI), आयकर, बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर (VAT), सेस और किसी अन्य वैधानिक देयों को उचित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा करती है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारी द्वारा किए गए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, इन वैधानिक देयों के संबंध में कोई निर्विवाद राशि देय नहीं थी, सिवाय उन मामलों के, जो नीचे उल्लेखित हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक अवधि के लिए लंबित थीं।

अधिनियम का नाम	देयताओं का प्रकार	राशि (मिलियन में)	संबंधित अवधि	भुगतान की तिथि
भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	6.85	2024–25	भुगतान नहीं किया
भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	37.58	2023–24 और उससे पूर्व के वर्ष	भुगतान नहीं किया
कर्मचारी राज्य बीमा, 1948	ESI कोष	1.38	2024–25	भुगतान नहीं किया
कर्मचारी राज्य बीमा, 1948	ESI कोष	8.98	2023–24 और उससे पूर्व के वर्ष	भुगतान नहीं किया
व्यावसायिक कर व्यावसायिक कर	पेशेवर कर	1.01	2024–25	भुगतान नहीं किया
व्यावसायिक कर व्यावसायिक कर	पेशेवर कर	5.50	2023–24 और उससे पूर्व के वर्ष	भुगतान नहीं किया

(b) उप–खंड (a) में उल्लिखित वैधानिक देयों का विवरण, जो विवादों के कारण 31 मार्च 2025 तक जमा नहीं की गई हैं, निम्नलिखित हः–

अधिनियम का प्रकार	देयों का प्रकार (नोट 1 एवं 2 देखें)	राशि (मिलियन में)	संबंधित अवधि	विवाद लंबित प्राधिकरण
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	13.34	AY 2013-14	CIT (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	6.29	AY 2017-18	CIT (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	6.60	AY 2017-18	CIT (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	5.40	AY 2017-18	NFAC
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	80.76	AY 2018-19	CIT (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	200.25*	AY 2020-21	CIT (अपील)
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (महाराष्ट्र)	जीएसटी, ब्याज और दंड	15.01	FY 2020-21	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (मध्य प्रदेश)	जीएसटी और ब्याज	0.01	FY 2018-19 से FY 2022-23	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (छत्तीसगढ़)	जीएसटी और ब्याज	0.30	FY 2020-21	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश)	जीएसटी, ब्याज और दंड	54.21	FY 2019-20	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश)	जीएसटी और ब्याज	1.09	FY 2024-25	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (तमिलनाडु)	जीएसटी और ब्याज	0.10	FY 2020-21	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (पंजाब)	जीएसटी और ब्याज	31.37	FY 2020-21	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (दिल्ली)	ब्याज और दंड	3.66	FY 2016-17 से FY 2020-21	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (महाराष्ट्र)	जीएसटी, ब्याज और दंड	488.42	FY 2017-18 से FY 2019-20	ट्रिब्यूनल लंबित
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (राजस्थान)	जीएसटी, ब्याज और दंड	1.31	FY 2017-18 से FY 2019-20	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार)	जीएसटी, ब्याज और दंड	22.62	FY 2017-18 से FY 2019-20	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण / ट्रिब्यूनल लंबित
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (ओडिशा)	जीएसटी, ब्याज और दंड	7.27	FY 2019-20	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (केरल)	जीएसटी, ब्याज और दंड	123.09	FY 2018-19	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (तमिलनाडु)	जीएसटी, ब्याज और दंड	214	FY 2018-19 से FY 2020-21	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (पश्चिम बंगाल)	जीएसटी, ब्याज और दंड	7.42	FY 2018-19 से FY 2020-21	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (असम)	जीएसटी, ब्याज और दंड	16.16	FY 2018-19 से FY 2019-20	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (चंडीगढ़)	ब्याज	0.10	FY 2018-19 से FY 2019-20	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश)	ब्याज	3.60	FY 2018-19 से FY 2020-21	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण

- ₹82.65 मिलियन की राशि को स्व–मूल्यांकन कर (Self & Assessment Tax) के रूप में 16 अक्टूबर, 2021

को जमा किया गया।

नोट 1: जीएसटी देयों पर ब्याज 31 मार्च 2025 तक की गणना के अनुसार लिया गया है और आयकर देयों पर ब्याज आयकर पोर्टल से लिया गया है।

नोट 2: जीएसटी आदेश/सूचनाओं के अनुसार दंड (Penalty) को शामिल किया गया है।

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऐसे लेन–देन को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आय के रूप में स्वीकार या प्रकट नहीं किया है, जो पहले पुस्तकों में दर्ज नहीं था। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(viii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

(ix) (a) कंपनी के पास वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को कोई लंबित ऋण, उधारी या उस पर ब्याज देय नहीं था। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(a) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

(b) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था, सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं किया गया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(b) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

(c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने इस अवधि के दौरान कोई टर्म लोन नहीं लिया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(c) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(d) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने इस अवधि के दौरान अल्पकालिक फंडिंग नहीं उठाई है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(d) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(e) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(e) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(f) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने इस अवधि के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों में रखी सिक्योरिटीज़ के बंधक पर कोई ऋण नहीं लिया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(f) कंपनी पर लागू नहीं होता। कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है।

(x) (a) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम या अतिरिक्त सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से धन नहीं जुटाया है (जिसमें ऋण साधन शामिल हैं)। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(x)(a) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

(b) वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई विशेष अलॉटमेंट या शेयरों या रूपांतरनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का निजी आवंटन नहीं किया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(x)(b) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

(xi) (a) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या गंभीर धोखाधड़ी नहीं हुई है और न ही कंपनी पर कोई धोखाधड़ी या गंभीर धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट की गई है।

(b) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक, कंपनी ने कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत फॉर्म ADT-4 में कोई रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को नहीं दी है, जैसा कि कंपनियों (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 में निर्दिष्ट है।

(c) प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई सूचना देने वाली शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) कंपनी, कंपनियों अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(xii)(a), 3(xii)(b) और 3(xii)(c) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

(xiii) हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षों के साथ होने वाले लेन–देन के संबंध में कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का पालन कर रही है और संबंधित पक्षों के लेन–देन का विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) (a) हमारी राय में, कंपनी के पास उसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(b) आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों को, जो लेखा परीक्षा की अवधि के लिए इस रिपोर्ट की तिथि तक जारी की गई हैं, हमने ध्यान में रखा है।

(xv) कंपनी ने अपने निदेशकों या उनके संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेन–देन नहीं किया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(xv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

(xvi) (a) हमारी राय में, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(xvi)(a) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

(b) हमें दी गई जानकारी और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय गतिविधियाँ या आवासीय वित्तीय गतिविधियाँ नहीं की हैं। इसलिए, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(xvi)(b) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

(c) हमें दी गई जानकारी और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित किसी भी कोर निवेश कंपनी के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(xvi)(c) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(d) हमारी राय में, समूह के भाग के रूप में कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(xvi)(d) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

(xvii) कंपनी ने हमारे लेखा परीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तत्क्षण पूर्व वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं उठाई है।

(xviii) वर्ष के दौरान कोई सांविधिक लेखा परीक्षक का इस्तीफा नहीं हुआ है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(xviii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

(xix) वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसंपत्तियों की आयु और प्राप्ति की अपेक्षित तिथियाँ, वित्तीय देयों का भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न अन्य जानकारी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और प्रबंधन की योजनाओं के हमारे ज्ञान, और अनुमानों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच के आधार पर, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे यह विश्वास हो कि किसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता के कारण कंपनी अपने देयों का भुगतान बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष के भीतर समय पर करने में असमर्थ है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की स्थिरता की गारंटी नहीं है। हम यह भी कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग केवल लेखा परीक्षा की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम यह गारंटी या आश्वासन नहीं देते कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष के भीतर सभी देयताओं का भुगतान समय पर किया जाएगा।

(xx) (a) चल रही परियोजनाओं के अलावा, कोई भी अप्रयुक्त राशि ऐसी नहीं है जिसे कंपनियों अधिनियम की धारा

135 की उपधारा 5 के दूसरे उपबंध के पालन में अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो। इस विषय को वित्तीय विवरणों के नोट 48 में प्रकट किया गया है।

(b) कंपनी ने अपने सामाजिक दायित्व गतिविधियों (CSR) के हिस्से के रूप में कोई "चल रही परियोजनाएँ" नहीं अपनाई हैं। इसलिए, चल रही परियोजनाओं के संबंध में कोई अप्रयुक्त राशि नहीं है जिसे कंपनियों अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के पालन में विशेष खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो। इस विषय को वित्तीय विवरणों के नोट 48 में प्रकट किया गया है।

(xxi) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है। इसलिए, खातों का समेकन कंपनी पर लागू नहीं है और कंपनीज (ऑडिटर की रिपोर्ट) Order 2020 के अनुच्छेद (xxi) कंपनी पर लागू नहीं होते।

बंसल एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण संख्या 001113N/N500079

हस्ताक्षर /–
अमित कुमार सिंह
साझेदार
सदस्यता संख्या 532180
यूडीआईएनः 25532180BMIYZP4535

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01.12.2025

परिशिष्ट–सी

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए

हमने एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष की पुस्तकों का परीक्षण किया है और हमारी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। ये टिप्पणियाँ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर तैयार की गई हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों में एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा के दौरान निरीक्षण करने योग्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है।

क्रमांक	निर्देश	लेखा परीक्षक की टिप्पणी
1.	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन–देन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेन–देन संसाधित करने के प्रभावों के साथ–साथ खातों की सत्यता और वित्तीय प्रभावों का विवरण दिया जाए, यदि कोई हो।	कंपनी के पास अपने आईटी सिस्टम के माध्यम से लेखांकन लेन–देन रिकॉर्ड करने की प्रणाली थी। हालांकि, 15 जून 2024 को मेसर्स यूनिक डेटा सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (न्वैब्स), जो लेखांकन ईआरपी सॉफ़्टवेयर (Odoo) का कार्यान्वयनकर्ता था, ने एकतरफा रूप से ईआरपी प्रणाली को निलंबित कर दिया, जिसे इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के हस्ताक्षर की तिथि तक पुनः स्थापित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष के दौरान लेखांकन लेन–देन मैन्युअली एक्सेल में बनाए गए और वर्ष के अंत में बड़े पैमाने पर लेखांकन ईआरपी सॉफ़्टवेयर (टैली) में अपलोड किए गए। वित्तीय वर्ष 2024–25 के वित्तीय विवरण इन्हीं समेकित रिकॉर्ड के आधार पर टैली में तैयार किए गए हैं। आईटी सामान्य और अनुप्रयोग नियंत्रणों की डिज़ाइन और पर्याप्तता को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि पूर्ण और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सके। अधिक विवरण के लिए **"परिशिष्ट A-** आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट" देखें।
2.	क्या कंपनी की ऋण अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या ऋण / ब्याज की छूट / माफ़ी / रद्द करने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का विवरण दिया जाए। क्या ऐसे मामलों का सही ढंग से लेखांकन किया गया है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश उस ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है)।	हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और पुस्तकों की जांच के अनुसार, कंपनी ने किसी बैंक, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (छठ्थ्ब) या सरकारी कंपनी से कोई ऋण नहीं लिया है और किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन नहीं किया गया है। इसलिए, यह निर्देश वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी पर लागू नहीं होता।

3.	क्या किसी विशिष्ट योजना के लिए केंद्रीय/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से प्राप्त या प्राप्त होने योग्य निधियाँ (अनुदान/सब्सिडी आदि) उनके नियमों और शर्तों के अनुसार सही ढंग से लेखांकित और उपयोग की गई हैं? किसी भी विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और पुस्तकों की जांच के अनुसार, कंपनी ने केंद्रीय/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से किसी भी योजना के लिए कोई निधियाँ (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त नहीं की हैं और न ही प्राप्त होने योग्य हैं। इसलिए, यह निर्देश वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी पर लागू नहीं होता।

बंसल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण संख्या 001113N/N500079

सदस्य/हस्ताक्षरः
अमित कुमार सिंह
साझेदार
सदस्यता संख्या 532180
UDIN: 25532180BMIYZP4535

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 01.12.2025

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2024–25 की वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में प्रबंधन की टिप्पणियाँ

वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

क्रम संख्या	विशेष बल दिए जाने योग्य विषय (ईओएम)	प्रबंधन का उत्तर
1.	हम वित्तीय विवरणों के नोट 42 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार कंपनी ने सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी) के संबंध में ₹1,411.45 मिलियन की देयता को मान्यता दी है। यह देयता डीमर्जर के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है तथा यह उन कर्मचारियों से संबंधित है जिन्हें एयर इंडिया लिमिटेड से एआई एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड में स्थानांतरित किया गया था। प्रबंधन के अनुसार, वर्तमान में कंपनी के पास अपने कर्मचारियों को इस प्रकार के सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय लाभ प्रदान करने हेतु कोई नीति अथवा दायित्व नहीं है तथा वर्ष के दौरान कोई एक्चुअरियल मूल्यांकन भी नहीं किया गया है। यह देयता सतर्कता के आधार पर आगे वहन की जा रही है।	यह तथ्यात्मक विवरण है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2025–26 में इसका आगे विश्लेषण किया जाएगा तथा उसके आधार पर आवश्यक आगे की कार्रवाई की जाएगी।
2.	हम वित्तीय विवरणों के नोट 35 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार कंपनी समूह कंपनियों, अर्थात् एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (AIESL) तथा एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (AAAL), से संबंधित बकाया प्राप्तियों पर 9% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूल कर रही है। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, विलंबित भुगतानों पर ₹137.35 मिलियन की ब्याज राशि को "अन्य आय" के रूप में लेखाबद्ध किया गया है। हमने प्रबंधन के इस कथन पर भरोसा किया है कि उक्त राशि की पूर्ण वसूली हो जाएगी और इसलिए वर्तमान लेखा परीक्षा अवधि के लिए किसी अतिरिक्त समायोजन की आवश्यकता नहीं है।	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड तथा एलायंस एयर एविएशन प्राइवेट लिमिटेड से बकाया शेष पर वसूल किया जाने वाला ब्याज एमएसए की शर्तों के अनुरूप है तथा लेखा परीक्षाधीन वर्ष के लिए पूर्णतः वसूल योग्य है।

3.	हम वित्तीय विवरणियों के नोट 44 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार कंपनी ने एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) को देय औसत बकाया शेष पर 9% प्रतिवर्ष की दर से ₹47.35 मिलियन की ब्याज राशि का प्रावधान किया है, जिसे "अन्य ब्याज लागत" के अंतर्गत लेखाबद्ध किया गया है। हमने प्रबंधन के इस कथन पर भरोसा किया है कि उक्त ब्याज राशि एआईएएचएल द्वारा बिल/चालान जारी किए जाने के पश्चात वास्तव में देय होगी।	यह ब्याज एमएसए की शर्तों के अनुरूप उसी प्रकार प्रावधानित किया गया है, जैसा कि अन्य समूह कंपनियों से ब्याज लिया जाता है।
4.	हम वित्तीय विवरणों के नोट 7 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी के पास भंडार एवं पुर्जों के रूप में भंडार उपलब्ध हैं, जिनका सकल मूल्य ₹21.85 मिलियन है, जिन पर अप्रचलन के लिए ₹3.03 मिलियन का प्रावधान किया गया है। ये भंडार एयर इंडिया लिमिटेड तथा एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड से हस्तांतरित किए गए थे, जिनका तीन वर्षों से अधिक अवधि से उपयोग नहीं किया गया है। प्रबंधन के अनुसार, इन भंडारों में उपयोग मूल्य विद्यमान है तथा यह मूल्य पुस्तकों में दर्शाए गए वहन मूल्य के कम से कम बराबर है। यह आकलन कंपनी के उपयोगकर्ता (तकनीकी) विभाग से प्राप्त पुष्टि के आधार पर किया गया है। अतः किसी अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता नहीं मानी गई है।	हमारी तकनीकी टीम ने पुष्टि की है कि तीन वर्षों से अधिक अवधि से हमारे पास उपलब्ध भंडार एवं पुर्जों के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है, अतः इन भंडारों को पुस्तकों में उसी मूल्य पर दर्शाया जा रहा है जिस मूल्य पर इन्हें एयर इंडिया से हमें हस्तांतरित किया गया था। इसके अतिरिक्त, तकनीकी सुझावों के आधार पर ऐसे भंडारों के धीमी गति से चलने वाले, उपयोग न होने वाले तथा अप्रचलित भंडारों के लिए प्रावधान किया गया है।
5.	हम वित्तीय विवरणों के नोट 31(a) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। विभिन्न पक्षों से देय एवं प्राप्य राशियाँ पुष्टि एवं सामंजस्य के अधीन हैं।	हमने 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार सभी तृतीय पक्ष एयरलाइनों को शेष राशि की पुष्टि हेतु पत्र प्रेषित किए थे। तथापि, कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश एयरलाइनों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई। यद्यपि, शेष राशि पुष्टि पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि यदि निर्धारित तिथि तक पुष्टि प्राप्त नहीं होती है, तो शेष राशि को पुष्टि किया हुआ माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, हमने अपनी समूह कंपनियों अर्थात् एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज, एलायंस एयर, एआई एएचएल तथा एचसीआई से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त कर ली है।

6.	हम वित्तीय विवरणों के नोट 52 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी के ईआरपी लेखांकन सॉफ्टवेयर (Odoo) की अस्थायी अनुपलब्धता का उल्लेख है, जिसे मैसर्स यूनिक डेटा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (UDSPL) द्वारा 15 जून, 2024 को एकतरफा रूप से निलंबित कर दिया गया था। इस संबंध में कंपनी द्वारा मैसर्स UDSPL के विरुद्ध वाद दायर किया गया है तथा यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने लेखा अभिलेख मैन्युअल रूप से एक्सेल में संधारित किए। वर्ष के समापन के पश्चात, सभी लेन–देन को एकमुश्त रूप से लेखांकन ईआरपी सॉफ्टवेयर (टैली) में अपलोड किया गया तथा इस प्रकार संकलित लेखांकन अभिलेखों के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।	यह एक तथ्यात्मक कथन है तथा 15 जून, 2024 से मैसर्स यूडीएसपीएल ने हमारे लेखांकन ईआरपी सॉफ्टवेयर तक पूर्ण पहुँच एकतरफा रूप से बंद कर दी है।
7.	हम वित्तीय विवरणों के नोट 31(a) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। अपनी लेखा परीक्षा के दौरान, जब हमने टीडीएस रिटर्नों का लेखा पुस्तकों से मिलान किया, तो यह पाया गया कि रिटर्नों में दर्शाए गए टीडीएस और लेखांकन अभिलेखों के बीच कुछ असंगतियाँ थीं। प्रबंधन द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त अंतर सामंजस्य की प्रक्रिया में है तथा वर्तमान लेखा परीक्षा अवधि के लिए किसी महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता नहीं है।	ये अंतर मुख्यतः मैन्युअल अभिलेखों तथा गलत पैन नंबरों के कारण उत्पन्न हुए हैं। जहाँ तक कर भुगतान का संबंध है, सभी देय कर विधि के अनुसार राजकोष में जमा कर दिए गए हैं। तथापि, हम उक्त अंतरों का सामंजस्य कर रहे हैं तथा तदनुसार रिटर्नों में संशोधन किया जाएगा।

31 मार्च, 2025 तक का लेखापरीक्षित तुलन पत्र

राशि मिलियन में, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

विवरण	नोट नं.	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
परिसंपत्तियाँ			
1. गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
(a) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	2 (a)	3,211.47	3,086.50
(b) अमूर्त संपत्तियां	2 (b)	1.81	2.12
(c) विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियां	2 (c)	18.14	14.54
(d) उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियां	2 (d)	205.42	-
(e) वित्तीय संपत्तियां			
(i) अन्य वित्तीय संपत्तियां	3	120.46	1,065.47
(f) आयकर संपत्तियां (शुद्ध)	4	802.37	649.98
(g) आस्थगित कर संपत्तियां (शुद्ध)	5	798.88	790.79
(h) अन्य गैर-चालू संपत्तियां	6	37.65	16.71
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		**5,196.19**	**5,626.10**
2. चालू परिसंपत्तियाँ			
(a) भंडार	7	18.82	19.56
(b) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्य	8	6,247.20	5,437.94
(ii) नकद और नकद समतुल्य	9	378.70	71.81
(iii) नकद और नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष	10	100.00	10.00
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	6.04	48.73
(c) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	12	172.15	181.94
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		**6,922.91**	**5,769.97**
कुल परिसंपत्तियाँ		**12,119.10**	**11,396.06**
इक्विटी और देनदारियां			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी			
(a) इक्विटी शेयर पूंजी	13	1,384.24	1,384.24
(b) अन्य इक्विटी	14	3,240.55	3,217.40
कुल इक्विटी		**4,624.79**	**4,601.64**
देनदारियां			
2. गैर-चालू देनदारियां			
(a) वित्तीय देनदारियां			
(i) अन्य वित्तीय देनदारियां	15	104.84	47.78

(ii) पट्टा देनदारियां	51	103.23	-
(b) प्रावधान	16	2,419.08	2,384.43
कुल गैर-चालू देनदारियां		**2,627.15**	**2,432.21**
3. चालू दायित्व			
(a) वित्तीय देनदारियां	-		
(i) व्यापार देय			
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	17	51.16	10.56
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	17	2,853.03	2,328.28
(ii) अन्य वित्तीय देनदारियां	18	735.59	710.29
(iii) पट्टा देनदारियां	51	105.34	-
(b) प्रावधान	19	648.25	617.58
(c) अन्य चालू देनदारियां	20	473.79	695.50
कुल चालू देनदारियां		**4,867.16**	**4,362.22**
कुल देनदारियां		**7,494.31**	**6,794.43**
कुल इक्विटी और देनदारियां		**12,119.10**	**11,396.06**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, प्रमुख लेखांकन अनुमान और निर्णय	1		
वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट्स देखें	2-55		

संलग्न दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
बंसल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 001113N/N500079

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

हस्ता/-
अमित कुमार
अध्यक्ष
डीआईएन: 11001643

हस्ता/-
पदम लाल नेगी
निदेशक
डीआईएन: 10041387

अमित कुमार सिंह
साझेदार
सदस्यता संख्या: 532180
यूडीआईएन: 25532180BMIYZP4535

हस्ता/-
संदीप मल्होत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/-
रामबाबू सीएच
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 01.12.2025

हस्ता/-
शशि भदूला
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए लेखापरीक्षित लाभ एवं हानि विवरण

राशि मिलियन में, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

विवरण		नोट संख्या:	वर्ष की समाप्ति तिथि 31 मार्च, 2025	वर्ष की समाप्ति तिथि 31 मार्च, 2024
1	**आय**			
	संचालन से राजस्व	21	9,682.46	8,426.17
	अन्य आय	22	354.59	333.61
	कुल आय		**10,037.05**	**8,759.78**
2	**व्यय**			
	कर्मचारी लाभ व्यय	23	7,612.66	5,958.11
	वित्तीय लागत	24	184.60	81.76
	मूल्यह्रास एवं अमूर्त व्यय	25	357.36	289.00
	अन्य व्यय	26	1,841.51	1,659.86
	कुल व्यय		**9,996.12**	**7,988.73**
3	**कर से पूर्व लाभ / (हानि) (1-2)**		**40.93**	**771.05**
4	**कर व्यय**	43		
	(i) वर्तमान कर		19.64	187.09
	(ii) आस्थगित कर		(8.09)	179.70
	कुल कर व्यय		**11.55**	**366.79**
5	**वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ / (हानि) (3-4)**		**29.38**	**404.26**
6	**अन्य समग्र आय**			
	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर पश्चात)			
	कर्मचारी लाभ दायित्वों का पुनर्मापन		(6.23)	126.55
	कुल अन्य समग्र आय		**(6.23)**	**126.55**
7	**वर्ष के लिए कुल समग्र आय / (हानि) (5+6)**		**23.15**	**530.81**
8	प्रति इक्विटी शेयर आय / (हानि) (₹ 10/- प्रति शेयर)			
	(i) मूल	27	0.21	2.92
	(ii) पतला	27	0.21	2.92
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ, प्रमुख लेखा अनुमान एवं निर्णय	1		
	वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियाँ देखें	2-55		

हमारी समान तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
बंसल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 001113N/N500079
अमित कुमार सिंह
साझेदार
सदस्यता संख्या: 532180
यूडीआईएन: 25532180BMIYZP4535

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 01.12.2025

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

हस्ता
अमित कुमार
अध्यक्ष
डीआईएन: 11001643

हस्ता
पदम लाल नेगी
निदेशक
डीआईएन: 10041387

हस्ता
संदीप मल्होत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता
रामबाबू सीएच
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता
शशि भट्ला
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित नकदी प्रवाह विवरण

राशि मिलियन में, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

	विवरण	वर्ष का समापन 31 मार्च, 2025 को हुआ	वर्ष का समापन 31 मार्च, 2024 को हुआ।
A.	संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	सूची के लिए भत्ता	40.93	771.05
	समायोजन के लिए:		
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	357.36	289.00
	सूची के लिए भत्ता	0.08	-
	निश्चित जमा पर ब्याज आय	(35.57)	(81.08)
	पट्टे की देयता पर ब्याज व्यय	8.40	-
	अन्य ब्याज व्यय	176.20	81.76
	अपेक्षित ऋण हानि भत्ता/(वापसी)	44.78	(527.40)
	एसईआईएस के तहत ड्यूटी क्रेडिट हक की बिक्री पर हानि	-	4.18
	संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	8.04	10.00
	शुद्ध अप्राप्त विनिमय हानि/(लाभ)	(42.12)	24.39
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व संचालन लाभ/(हानि)	**558.09**	**571.90**
	समायोजन के लिए:		
	सूची में वृद्धि/(कमी)	0.66	3.42
	व्यापारिक प्राप्तियों में वृद्धि/(कमी)	(811.92)	(863.49)
	अन्य चालू वित्तीय संपत्तियों में वृद्धि/(कमी)	(0.00)	64.04
	अन्य चालू संपत्तियों में वृद्धि/(कमी)	1.75	(47.18)
	अन्य गैर-चालू संपत्तियों में वृद्धि/(कमी)	(20.94)	7.03
	प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(22.38)	(144.02)
	व्यापारिक देयताओं में वृद्धि/(कमी)	458.77	616.35
	वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	82.36	(499.97)
	अन्य देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	(221.71)	338.61
	संचालन से उत्पन्न नकदी	**24.66**	**46.69**
	भुगतान/वापसी आयकर	(172.03)	(349.39)
	संचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी (A)	**(147.37)**	**(302.71)**
B.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**		
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त संपत्तियाँ तथा विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों की खरीद	(333.11)	(398.73)

	निश्चित जमा पर ब्याज आय	78.26	65.09
	बैंक जमाओं में निवेश	855.01	225.43
	पट्टा देयताओं का भुगतान	(51.18)	-
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी (B)	**548.98**	**(108.21)**
C.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**		
	अन्य ब्याज व्यय	(94.72)	(37.71)
	वित्तपोषण गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी (C)	**(94.72)**	**(37.71)**
	नकद तथा नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (A+B+C)	**306.89**	**(448.62)**
	वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद समतुल्य	71.81	520.43
	वर्ष के अंत में नकद तथा नकद समतुल्य (टिप्पणी संख्या 9 देखें)	**378.70**	**71.81**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ, प्रमुख लेखा अनुमान एवं निर्णय	1
वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियाँ देखें	2-55

नकदी प्रवाह विवरण से संबंधित टिप्पणियाँ:

1. नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक 7 में निर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है, जैसा कि नकदी प्रवाह विवरण में निर्धारित है।
2. जहाँ आवश्यक समझा गया है, वहाँ पूर्व वर्षों के आँकड़ों का पुनर्गठन किया गया है।
3. नकद और नकद समतुल्य में गिरवी रखी गई 0.22 मिलियन रुपये की सावधि जमा (पिछले वर्ष 0.21 मिलियन रुपये) शामिल है।

हमारी समान तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

बंसल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 001113N/N500079

अमित कुमार सिंह
साझेदार
सदस्यता संख्या: 532180
यूडीआईएन: 25532180BMIYZP4535

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 01.12.2025

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

हस्ता
अमित कुमार
अध्यक्ष
डीआईएन: 11001643

हस्ता
पदम लाल नेगी
निदेशक
डीआईएन: 10041387

हस्ता/-
संदीप मल्होत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/-
रामबाबू सीएच
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-
शशि भट्ट्ला
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो, सभी राशियाँ मिलियन में व्यक्त की गई हैं।

भाग A इक्विटी शेयर पूंजी

1 अप्रैल, 2024 को शेष राशि	अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2025 को शेष राशि
1,384.24	-	1,384.24

1 अप्रैल, 2023 को शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2024 को शेष राशि
1,384.24	-	1,384.24

भाग B अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष	अन्य व्यापक आय	कुल
	प्रतिधारित कमाई		
1 अप्रैल, 2023 को शेष राशि	**2,463.49**	**223.09**	**2,686.58**
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	404.26	-	404.26
कर्मचारी लाभ दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन	-	126.55	126.55
31 मार्च, 2024 को शेष राशि	**2,867.76**	**349.64**	**3,217.40**
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	29.38	-	29.38
कर्मचारी लाभ दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन	-	(6.23)	(6.23)
31 मार्च,2025 को शेष राशि	**2,897.14**	**343.41**	**3,240.55**

HS-TEX
ACU
TLD
1159

TLD

777X
BOEING
AI AIRPORT SERVICES
TLD

vistara
STOP

31 मार्च, 2025 को समाप्त/दिनांकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग बनने वाले टिप्पणियाँ

1. A i) कॉरपोरेट जानकारी

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड (एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जो भारत सरकार की कंपनी है) भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भारत में निगमित एक सार्वजनिक सीमित कंपनी है, जिसका सीआईएन: U63090DL2003PLC120790 है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019&20 में अपना नाम एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड से बदलकर एआई एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड कर लिया था।

कंपनी मुख्य रूप से भारतीय हवाई अड्डों पर विमानन परिचालकों को भूमि संचालन सेवाएँ प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी हवाई अड्डा परिचालन से संबंधित सहायक सेवाएँ भी प्रदान करती है, जैसे माल प्रबंधन सेवाएँ तथा सुरक्षा सेवाएँ।"

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित पते पर स्थित है: दूसरी मंज़िल, जीएसडी भवन, एयर इंडिया कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल-2, आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली- 110037.

ii) इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत जारी एवं अधिसूचित सभी भारतीय लेखा मानकों, जो वित्तीय विवरणों की स्वीकृति की तिथि तक लागू हैं, को ध्यान में रखा गया है।

B सामग्री लेखांकन नीतियाँ

कंपनी ने ये वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, जिनमें 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण, साथ ही लेखा नीतियाँ और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सम्मिलित हैं (जिन्हें सामूहिक रूप से आगे "वित्तीय विवरण" कहा गया है)।

i) तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण का आधार

वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा इन्हें ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय कुछ वित्तीय उपकरणों के, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य पर मापा गया है, जैसा कि नीचे दी गई लेखा नीतियों में समझाया गया है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच सुव्यवस्थित लेन-देन में किसी संपत्ति की बिक्री पर प्राप्त किया जा सकता है अथवा किसी देयता के हस्तांतरण के लिए चुकाया जाएगा, चाहे वह मूल्य प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध हो या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक के माध्यम से अनुमानित किया गया हो। किसी संपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाते समय, कंपनी उस संपत्ति या देयता की विशेषताओं को ध्यान में रखती है, यदि मापन तिथि पर बाजार सहभागियों द्वारा उस संपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारित करते समय उन विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता।"

इन वित्तीय विवरणों में मापन तथा/या प्रकटीकरण के प्रयोजनों के लिए उचित मूल्य का निर्धारण इसी आधार पर किया गया है, सिवाय उन पट्टा लेन-देनों के जो भारतीय लेखा मानक 116 के अंतर्गत आते हैं, तथा उन मापों के जिनमें उचित मूल्य से कुछ समानताएँ होती हैं परंतु वे उचित मूल्य नहीं होते, जैसे भारतीय लेखा मानक 2 के अंतर्गत शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य या भारतीय लेखा मानक 36 के अंतर्गत उपयोग मूल्य।

इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए, उचित मूल्य मापन को स्तर 1, 2, या 3 में वर्गीकृत किया जाता है, यह इस आधार पर किया जाता है कि उचित मूल्य मापन के लिए प्रयुक्त इनपुट कितने अवलोकनीय हैं और ये इनपुट पूरे उचित मूल्य मापन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसे निम्नलिखित रूप में वर्णित किया गया है:

- स्तर 1 इनपुट वे उद्धृत कीमतें (बिना समायोजन) हैं जो सक्रिय बाजारों में समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए होती हैं, और जिन्हें संस्था मापन तिथि पर एक्सेस कर सकती है;
- स्तर 2 इनपुट वे इनपुट हैं, जो स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा हैं, और जो संपत्ति या देनदारी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय हैं;
- स्तर 3 इनपुट वे अवलोकनीय नहीं होने वाले इनपुट हैं जो संपत्ति या देनदारी के लिए प्रयुक्त होते हैं।

जो संपत्तियाँ और देनदारियाँ बैलेंस शीट में नियमित आधार पर मान्यता प्राप्त हैं, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या स्तरों के बीच कोई स्थानांतरण हुआ है, इसके लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुन: मूल्यांकन किया जाता है (यह मूल्यांकन उस सबसे निचले स्तर के इनपुट के आधार पर किया जाता है जो पूरे उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण होता है)।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य के लिए, कंपनी ने संपत्ति और देनदारी की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों तथा उपरोक्त वर्णित उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर संपत्ति और देनदारियों की श्रेणियाँ निर्धारित की हैं।

ii) कार्यात्मक मुद्रा

जिस प्रमुख आर्थिक परिवेश में कंपनी कार्य करती है, उसकी मुद्रा ("कार्यात्मक मुद्रा") भारतीय रुपया (₹) है, जिसमें कंपनी मुख्य रूप से नकदी उत्पन्न और व्यय करती है। तदनुसार, प्रबंधन ने अपनी कार्यात्मक मुद्रा को भारतीय रुपया (₹) आंका है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपया (₹) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की प्रस्तुति और कार्यात्मक मुद्रा है, और वित्तीय विवरणों और नोट्स में प्रकट की गई सभी राशियाँ निकटतम मिलियन में गोल की गई हैं (दो दशमलव तक), जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

iii) वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है।

किसी परिसंपत्ति को चालू परिसंपत्ति के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब वह निम्नलिखित में से किसी भी मानदंड को पूरा करती है:

- इसे कंपनी के सामान्य संचालन चक्र में वास्तविक होने की संभावना है। इसे मुख्य रूप से सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से रखा जाता है;
- इसे रिपोर्टिंग तिथि के 12 महीनों के भीतर वास्तविक होने की संभावना है; या
- यह नकद या नकद समतुल्य है, जब तक कि इसे कम से कम 12 महीनों के लिए किसी देनदारी को निपटाने या एक्सचेंज करने के लिए प्रतिबंधित न किया गया हो।

अन्य सभी संपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एक देनदारी को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब यह किसी भी निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है:

- इसे कंपनी के सामान्य संचालन चक्र में निपटाया जाने की संभावना है;
- इसे मुख्य रूप से सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से रखा गया है;
- इसे रिपोर्टिंग तिथि के 12 महीनों के भीतर निपटाने की आवश्यकता है; या कंपनी के पास कम से कम 12 महीनों तक देनदारी के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। किसी देनदारी की शर्तें, जो समकक्ष पक्ष की इच्छा पर इसे इक्विटी उपकरणों के निर्गम द्वारा निपटाने का परिणाम दे सकती हैं, उसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

सभी अन्य देयताएँ दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

स्थगित कर की संपत्तियाँ और देयताएँ केवल दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

कंपनी सेवा क्षेत्र में होने के कारण, कोई विशेष परिचालन चक्र नहीं है; हालाँकि, बारह माह की अवधि को "परिचालन चक्र" के रूप में अपनाया गया है, जो कंपनियों अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रावधानों के अनुसार है। इस प्रकार, चालू देयताएँ और चालू संपत्तियाँ दीर्घकालिक वित्तीय देयताओं और संपत्तियों के वर्तमान हिस्से को शामिल करती हैं।

C. हालिया घोषणाएँ

31 मार्च 2025 की स्थिति में ऐसी कोई नई लेखांकन घोषणाएँ, मानक अथवा संशोधन प्रभावी होने के लिए शेष नहीं हैं।

D. अनुमान एवं निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करते समय अपनाई गई अनेक लेखांकन नीतियों के क्रियान्वयन में प्रबंधन को निर्णय, अनुमान तथा मान्यताएँ करनी होती हैं। इन निर्णयों और अनुमानों का प्रभाव परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की दर्शाई गई राशि, आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के प्रकटीकरण तथा आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि पर पड़ता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों एवं मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों एवं धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में किए गए संशोधनों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों का संशोधन किया जाता है तथा वे भावी अवधियों को भी प्रभावित करते हैं।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में निर्णयों, मान्यताओं तथा आकलन संबंधी अनिश्चितताओं के प्रमुख स्रोत, जिनके कारण अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन हो सकता है, मुख्यतः संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की उपयोगी आयु, मूल्यह्रास/अमूर्तकरण, ह्रास (इम्पेयरमेंट), कर्मचारी लाभ दायित्व, प्रावधान, आयकर हेतु प्रावधान, स्थगित कर परिसंपत्तियों का मापन, आकस्मिक परिसंपत्तियाँ तथा आकस्मिक देयताएँ आदि से संबंधित हैं।

E. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई):

a) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की लागत में उनकी क्रय कीमत (व्यापार छूट एवं रिबेट घटाने के बाद), कोई भी आयात शुल्क तथा अन्य कर (उन करों को छोड़कर जो बाद में कर प्राधिकरणों से वसूल किए जा सकते हैं), परिसंपत्ति को उसके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार करने हेतु सीधे तौर पर किया गया कोई भी व्यय, जिसमें पात्र परिसंपत्तियों से संबंधित उधार लागत तथा विमोचन से संबंधित अनुमानित लागतें शामिल हैं, सम्मिलित होती हैं। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के परिचालन में आ जाने के बाद किया गया व्यय, जैसे मरम्मत एवं रखरखाव, उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में आरोपित किया जाता है जिसमें वह व्यय किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद को उसके निपटान पर अथवा तब अभिलेख से हटाया जाता है जब उस परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में किसी भी आर्थिक लाभ की अपेक्षा नहीं रहती। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद के निपटान या सेवामुक्ति से उत्पन्न कोई भी लाभ या हानि, बिक्री से प्राप्त राशि और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है तथा उसे लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

सेवाएँ प्रदान करने, आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में रखी गई मुक्त स्वामित्व वाली भूमि को छोड़कर, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों को बैलेंस शीट में लागत से संचित मूल्यह्रास तथा, यदि कोई हो, संचित हानि घटाकर दर्शाया जाता है।

कंपनी ने भारतीय लेखा मानकों में संक्रमण के समय, पूर्ववर्ती सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार मापी गई अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की वहन राशि को जारी रखने का विकल्प चुना है और संक्रमण तिथि पर उसी को उसकी अनुमानित लागत माना है।

परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास योग्य राशि किसी परिसंपत्ति की लागत, अथवा लागत के स्थान पर प्रयुक्त किसी अन्य राशि, में से उसकी अनुमानित अवशिष्ट मूल्य घटाकर निर्धारित की जाती है। मूल्यह्रास को परिसंपत्तियों की लागत में से उनके अवशिष्ट मूल्यों को उनकी उपयोगी आयु के दौरान लिख-ऑफ करने के उद्देश्य से, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित उपयोगी आयु के अनुसार, सीधी रेखा विध से मान्यता दी जाती है। ₹10,000 से अधिक नहीं मूल्य वाली प्रत्येक संपत्ति (PPE) पर खरीद के वर्ष में ही पूर्ण रूप से प्रावधान किया जाता है। कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष से ₹10,000 से अधिक नहीं मूल्य वाली PPE के लिए अपनी पूंजीकरण नीति में परिवर्तन किया है, जो एक लेखांकन अनुमान है, तथा इसका चालू वित्तीय वर्ष पर कोई वित्तीय प्रभाव (शून्य प्रभाव) नहीं है।

परिसंपत्ति

परिसंपत्ति	उपयोगी आयु (वर्षों में) - कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार
कार्यालय उपकरण	5
रैम्प उपकरण	15
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	10
विद्युत फिटिंग्स	10
कंप्यूटर	3
वर्कशॉप उपकरण एवं यंत्र	10
प्लांट एवं मशीनरी	15
वाहन	8

अमूर्त परिसंपत्तियाँ **7***

* अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु का अनुमान सॉफ्टवेयर लाइसेंस की वैधता अवधि के आधार पर लगाया गया है।

b) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों (PPE) का भौतिक सत्यापन चक्रीय (रोटेशनल) आधार पर किया जाता है, ताकि प्रत्येक परिसंपत्ति का सत्यापन प्रत्येक दो वर्ष में एक बार किया जा सके, तथा सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों का समायोजन उस वर्ष में किया जाता है जिसमें सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों (PPE) का भौतिक सत्यापन चक्रीय (रोटेशनल) आधार पर किया जाता है, ताकि प्रत्येक परिसंपत्ति का सत्यापन प्रत्येक दो वर्ष में एक बार किया जा सके, तथा सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों का समायोजन उस वर्ष में किया जाता है जिसमें सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

c) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का ह्रास

प्रत्येक प्रतिवेदन वर्ष के अंत में, कंपनी अपनी मूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उन परिसंपत्तियों में किसी प्रकार की ह्रास हानि का कोई संकेत मौजूद है। यदि ऐसा कोई संकेत पाया जाता है, तो ह्रास हानि (यदि कोई हो) की सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य से उस परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। जहाँ किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, वहाँ कंपनी उस नकद-सृजन इकाई की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है, जिससे वह परिसंपत्ति संबंधित होती है। जहाँ आवंटन का कोई उचित एवं सुसंगत आधार उपलब्ध होता है, वहाँ कॉर्पोरेट परिसंपत्तियों को भी व्यक्तिगत नकद-सृजन इकाइयों को आवंटित किया जाता है; अन्यथा, उन्हें उन नकद-सृजन इकाइयों के सबसे छोटे समूह को आवंटित किया जाता है जिनके लिए कोई उचित एवं सुसंगत आवंटन आधार पहचाना जा सके।

वसूली योग्य राशि, विक्रय लागत घटाने के बाद के उचित मूल्य तथा उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो, वही होती है। उपयोग मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकद प्रवाहों को उनके वर्तमान मूल्य पर, कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करते हुए छूटित किया जाता है, जो धन के समय मूल्य तथा उस परिसंपत्ति से संबंधित विशिष्ट जोखिमों के लिए वर्तमान बाज़ार आकलनों को दर्शाती है, जिनके लिए भावी नकद प्रवाहों के अनुमानों में समायोजन नहीं किया गया है।

यदि किसी परिसंपत्ति (या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई) की वसूली योग्य राशि उसके वहन मूल्य से कम होने का अनुमान लगाया जाता है, तो परिसंपत्ति (या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई) का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि के बराबर कर दिया जाता है। हानि की घोषणा लाभ-हानि विवरण में तुरंत कर दी जाती है।

F. भंडार

भंडार में विभिन्न स्टोर्स एवं स्पेयर्स शामिल हैं, जिन्हें लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य ('एनआरवी') में से जो भी कम हो, उस पर मूल्यांकित किया जाता है। भंडार की लागत का निर्धारण लागत आधार पर किया जाता है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य का अर्थ है भंडार की अनुमानित विक्रय कीमत में से पूर्णता से संबंधित सभी अनुमानित लागतों तथा विक्रय के लिए आवश्यक लागतों को घटाने के बाद प्राप्त राशि।

G. राजस्व की मान्यता

इंड एएस 115 ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों से उत्पन्न राजस्व की मान्यता से संबंधित है तथा ऐसे राजस्व की मान्यता की राशि एवं समय पर प्रभाव डालता है। यह मानक राजस्व की मान्यता के लिए पाँच-चरणीय पद्धति प्रस्तुत करता है, जो निम्नानुसार है:

-अनुबंध की पहचान करना;

-अनुबंध में निहित निष्पादन दायित्वों की पहचान करना;

-लेन-देन मूल्य का निर्धारण करना;

-उस लेन-देन मूल्य को निष्पादन दायित्वों में आवंटित करना; तथा

-अंततः, जैसे-जैसे निष्पादन दायित्वों की पूर्ति होती है, राजस्व को मान्यता देना।"

सेवा प्रदान करना

कंपनी उस समय राजस्व की मान्यता करती है जब वादा की गई सेवाओं पर नियंत्रण ग्राहक को प्रदान कर दिया जाता है, और उस राशि पर करती है जो उन सेवाओं के बदले कंपनी को प्राप्त होने की अपेक्षा होती है।

सामान्यतः, कंपनी सेवाएँ ग्राहक को प्रदान किए जाने के समय राजस्व की मान्यता करती है।

(a) ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं से प्राप्त राजस्व को सेवाएँ प्रदान किए जाने पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमानित, किंतु अभी तक बिल न की गई सेवाओं को भी राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

(b) ब्याज से होने वाली आय को समयानुपात आधार पर मान्यता दी जाती है।

(c) अन्य परिचालन राजस्व को अवधि के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए मान्यता दी जाती है।

एकाधिक निष्पादन दायित्वों वाले राजस्व व्यवस्थाओं में, यदि व्यक्तिगत सेवाएँ पृथक (डिस्टिंक्ट) हों—अर्थात यदि कोई सेवा व्यवस्था में अन्य मदों से अलग पहचानी जा सकती हो और ग्राहक उससे लाभ प्राप्त कर सकता हो—तो कंपनी प्रत्येक सेवा का पृथक रूप से लेखांकन करती है। ऐसी स्थिति में, प्रतिफल को व्यवस्था में शामिल पृथक सेवाओं के बीच उनके स्वतंत्र विक्रय मूल्यों के आधार पर आवंटित किया जाता है।

अनुबंध शेष

(i) अनुबंध परिसंपत्तियाँ

अनुबंध परिसंपत्ति वह अधिकार है जिसके अंतर्गत ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं के बदले प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार होता है। यदि कंपनी ग्राहक को सेवाएँ प्रदान कर देती है, लेकिन ग्राहक द्वारा प्रतिफल का भुगतान किए जाने से पहले अथवा भुगतान देय होने से पूर्व, तो अर्जित प्रतिफल के लिए—जिसमें व्यापारिक प्राप्य भी शामिल हैं—अनुबंध परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है।

(ii) अनुबंध दायित्व

अनुबंध दायित्व वह दायित्व है जिसके अंतर्गत कंपनी को ग्राहक को सेवाएँ प्रदान करनी होती हैं, जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त हो चुका होता है (या प्रतिफल की राशि देय होती है)। यदि ग्राहक कंपनी द्वारा सेवाएँ प्रदान किए जाने से पूर्व प्रतिफल का भुगतान कर देता है, तो भुगतान किए जाने की तिथि पर अथवा भुगतान देय होने की तिथि पर (जो भी पहले हो) अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है।

अनुबंध के अंतर्गत कंपनी द्वारा निष्पादन किए जाने पर, जिसमें ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि भी शामिल है, अनुबंध दायित्वों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।"

(iii) प्रतिपूर्ति दायित्व

प्रतिपूर्ति दायित्व वह दायित्व है जिसके अंतर्गत कंपनी को ग्राहक से प्राप्त (या प्राप्य) प्रतिफल का कुछ भाग या संपूर्ण राशि वापस करनी होती है। इसका मापन उस राशि पर किया जाता है, जिसकी कंपनी को अंततः ग्राहक को वापस करने की अपेक्षा होती है। कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में प्रतिपूर्ति दायित्वों से संबंधित अपने अनुमानों को अद्यतन करती है।

H. विदेशी मुद्रा लेन-देन

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा का निर्धारण उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश के आधार पर किया जाता है, जिसमें कंपनी कार्य करती है। कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय राष्ट्रीय रुपया (INR) है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा के अतिरिक्त अन्य मुद्राओं (विदेशी मुद्राओं) में किए गए लेन-देन को निम्नलिखित दरों पर मान्यता दी जाती है—

a) आईएटीए क्लियरिंग हाउस (आईसीएच) बिलों के इंटरलाइन निपटान का कार्य संबंधित माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) द्वारा प्रकाशित विनिमय दर पर किया जाता है।

b) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक मदों का विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफईडीएआई) द्वारा प्रसारित विनिमय दर पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न लाभ/हानि को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है। हालांकि, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में एफईडीएआई दर उपलब्ध न होने के कारण, 28 मार्च, 2024 की अंतिम उपलब्ध दर को ही माना गया।

c) विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के आधार पर मापी जाने वाली गैर-मौद्रिक मदों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

I. पट्टे

कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में यह मूल्यांकन करती है कि कोई अनुबंध पट्टा है या उसमें पट्टे का तत्व सम्मिलित है; अर्थात् क्या वह अनुबंध प्रतिफल के बदले एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है। पट्टेदार के रूप में (पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियाँ), कंपनी सभी पट्टों के लिए एक समान मान्यता एवं मापन पद्धति अपनाती है, सिवाय अल्पकालिक पट्टों, कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों तथा उन पट्टा अनुबंधों के जिनमें पट्टेदार और पट्टादाता—दोनों—को एक-दूसरे की अनुमति के बिना तथा नगण्य दंड के साथ पट्टा समाप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है।

यह निर्धारित करने के लिए कि कोई अनुबंध किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है या नहीं, कंपनी निम्नलिखित का आकलन करती हैः

(i) क्या अनुबंध में किसी पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है;

(ii) क्या पट्टा अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले लगभग सभी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होते हैं; तथा

(iii) क्या कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

अल्पकालिक तथा कम मूल्य वाले पट्टों एवं उन पट्टा अनुबंधों के लिए, जिनमें पट्टेदार और पट्टादाता—दोनों—को एक-दूसरे की अनुमति के बिना तथा केवल नगण्य दंड के साथ पट्टा समाप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है, कंपनी पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि के दौरान समानुपाती आधार पर परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है। कुछ पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टा अवधि की समाप्ति से पूर्व उसे बढ़ाने अथवा समाप्त करने के विकल्प सम्मिलित होते हैं। परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार से संबंधित परिसंपत्तियों तथा पट्टा दायित्वों में ऐसे विकल्पों को तब सम्मिलित किया जाता है, जब यह युक्तिसंगत रूप से सुनिश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

कंपनी पट्टा अवधि का निर्धारण उस अवधि के रूप में करती है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता, साथ ही उस अवधि को भी सम्मिलित करती है जो पट्टा बढ़ाने के विकल्प के अंतर्गत आती है, यदि यह युक्तिसंगत रूप से सुनिश्चित हो कि उस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा, अथवा उस अवधि को, जो पट्टा समाप्त करने के विकल्प के अंतर्गत आती है, यदि यह युक्तिसंगत रूप से सुनिश्चित हो कि उस विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कंपनी के पास अनेक पट्टा अनुबंध हैं, जिनमें अवधि बढ़ाने तथा समाप्त करने के विकल्प सम्मिलित हैं। कंपनी यह मूल्यांकन करने में विवेक का प्रयोग करती है कि पट्टा को नवीनीकृत करने या समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग किया जाएगा या नहीं। इस उद्देश्य से, कंपनी उन सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करती है जो पट्टा को बढ़ाने अथवा समाप्त करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन उत्पन्न करते हैं। प्रारंभ तिथि के पश्चात, यदि कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होती है अथवा परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन होता है जो कंपनी के नियंत्रण में हो और जो पट्टा को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प के प्रयोग करने अथवा न करने की कंपनी की क्षमता को प्रभावित करता हो, तो कंपनी पट्टा अवधि का पुनर्मूल्यांकन करती है।

उपयोग अधिकार से संबंधित परिसंपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। इस लागत में पट्टा दायित्व की प्रारंभिक राशि सम्मिलित होती है, जिसे पट्टा की प्रारंभ तिथि पर अथवा उससे पूर्व किए गए किसी भी पट्टा भुगतान से समायोजित किया जाता है, तथा इसमें प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत जोड़ी जाती है और प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटाया जाता है। इसके पश्चात, इन परिसंपत्तियों का मापन लागत में से संचित मूल्यह्रास तथा संचित ह्रास हानियों को घटाकर किया जाता है। उपयोग अधिकार से संबंधित परिसंपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। इस लागत में पट्टा दायित्व की प्रारंभिक राशि सम्मिलित होती है, जिसे पट्टा की प्रारंभ तिथि पर अथवा उससे पूर्व किए गए किसी भी पट्टा भुगतान से समायोजित किया जाता है, तथा इसमें

प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत जोड़ी जाती है और प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटाया जाता है। इसके पश्चात, इन परिसंपत्तियों का मापन लागत में से संचित मूल्यह्रास तथा संचित ह्रास हानियों को घटाकर किया जाता है।

उपयोग अधिकार से संबंधित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, पट्टा की प्रारंभ तिथि से, पट्टा अवधि अथवा आधारभूत परिसंपत्ति की उपयोगी आयु—इनमें से जो भी कम हो—उस अवधि के लिए सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया जाता है। जब भी कोई घटना घटित होती है या परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन होता है जिससे यह संकेत मिलता है कि इन परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली संभव नहीं हो सकती, तब उपयोग अधिकार से संबंधित परिसंपत्तियों की वसूली योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। ह्रास परीक्षण के उद्देश्य से, वसूली योग्य राशि का निर्धारण (अर्थात् विक्रय लागत घटाने के बाद का उचित मूल्य अथवा उपयोग मूल्य—इनमें से जो अधिक हो) प्रत्येक परिसंपत्ति के आधार पर किया जाता है, जब तक कि वह परिसंपत्ति अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र रूप से नकद प्रवाह उत्पन्न न करती हो। ऐसी स्थिति में, वसूली योग्य राशि का निर्धारण उस नकद सृजन इकाई के लिए किया जाता है, जिससे संबंधित परिसंपत्ति संबद्ध होती है।

पट्टा दायित्व का प्रारंभिक मापन भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर, परिशोधित लागत के आधार पर किया जाता है। पट्टा भुगतानों को छूटित करने के लिए पट्टा में निहित ब्याज दर का उपयोग किया जाता है; और यदि वह दर आसानी से निर्धारित न हो सके, तो उन पट्टों के लिए लागू देश की अतिरिक्त उधारी दर का उपयोग किया जाता है।

यदि कंपनी यह आकलन परिवर्तित करती है कि वह पट्टा अवधि बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं, तो पट्टा दायित्व का पुनर्मापन किया जाता है तथा इसके अनुरूप समायोजन संबंधित उपयोग-अधिकार से जुड़ी परिसंपत्ति में किया जाता है।

J. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती, जब तक यह युक्तिसंगत रूप से सुनिश्चित न हो जाए कि कंपनी उनसे संबंधित शर्तों का पालन करेगी तथा अनुदान प्राप्त होंगे।

सरकारी अनुदानों को लाभ-हानि विवरण में उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कंपनी उन संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देती है, जिनकी पूर्ति के लिए अनुदान प्रदान किए गए हैं, अथवा जब निष्पादन दायित्व पूरे हो जाते हैं।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को वित्तीय स्थिति विवरण में स्थगित आय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तथा संबंधित परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगी आयु के दौरान व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

K. कर्मचारी लाभ

सेवानिवृत्ति लाभ लागत और समाप्ति लाभ

कर्मचारियों द्वारा सेवाएँ प्रदान किए जाने पर, जिससे उन्हें अंशदान प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न होता है, परिभाषित अंशदान आधारित सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं में किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभों में परिभाषित अंशदान आधारित योजनाएँ तथा परिभाषित लाभ आधारित योजनाएँ सम्मिलित हैं।

a) परिभाषित अंशदान योजनाएँ

परिभाषित अंशदान आधारित योजना में कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान शामिल है। कंपनी के पास 1 दिसंबर 2021 तक स्थायी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि न्यास था, जिसे तत्पश्चात भंग कर दिया गया और संबंधित राशि कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को हस्तांतरित कर दी गई। नियत अवधि अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित देय अंशदान कंपनी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय में जमा किया जाता है। 28 फरवरी 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वेतन संरचना के उन घटकों से संबंधित निर्णय दिया गया, जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत अंशदान की गणना में सम्मिलित किया जाना है, जिसके कुछ व्याख्यात्मक पहलू, जैसे इसके प्रभावी होने की तिथि, अभी विचाराधीन हैं। प्रबंधन के मतानुसार, कर्मचारी भविष्य निधि हेतु अंशदान की गणना कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के अनुसार की जानी चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा से संबंधित देय राशियाँ नियमित रूप से सरकारी प्राधिकरणों के पास जमा की जाती हैं तथा परिभाषित अंशदान आधारित योजनाओं में कंपनी द्वारा किए गए भुगतान को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएँ प्रदान करते हैं।

b) परिभाषित लाभ आधारित योजनाएँ

कंपनी की परिभाषित लाभ आधारित योजनाएँ, जो निधि रहित हैं, में उपदान, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सीय लाभ तथा अन्य लाभ शामिल हैं। परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है तथा प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है।

दायित्व का मापन अनुमानित भावी नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। परिभाषित लाभ आधारित योजनाओं के अंतर्गत दायित्व के वर्तमान मूल्य के निर्धारण हेतु प्रयुक्त छूट दरें बैलेंस शीट की तिथि पर सरकारी प्रतिभूतियों पर उपलब्ध बाजार प्रतिफल पर आधारित होती हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि संबंधित दायित्वों की अवधि के लगभग समान होती है। अनुभव समायोजनों तथा एक्चुरियल धारणाओं में परिवर्तनों से उत्पन्न पुनर्मापन लाभ एवं हानियों को उसी अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न होती हैं, अन्य समग्र आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता दी जाती है तथा इन्हें इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में "अन्य इक्विटी" के अंतर्गत तथा बैलेंस शीट में सम्मिलित किया जाता है।

निपटान या कटौती के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को लाभ और हानि विवरण में पिछली सेवा लागत के रूप में तुरंत मान्यता दी जाती है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ अवकाश नकदीकरण के रूप में माने जाते हैं तथा इन्हें अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में लेखांकित किया जाता है। अवकाश नकदीकरण के संबंध में कंपनी का शुद्ध दायित्व वह लाभ राशि है, जिसका निपटान भविष्य में किया जाना है और जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान एवं पूर्व वर्षों में अपनी सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप अर्जित किया है। इस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य के निर्धारण हेतु छूटित किया जाता है। दायित्व का मापन प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट पद्धति के आधार पर एक्चुरियल मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। पुनर्मापन से उत्पन्न लाभ एवं हानियों को उसी अवधि में लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होती हैं।

अल्पावधि लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों का लेखा-जोखा उस अवधि में किया जाता है जिसके दौरान सेवाएं प्रदान की गई हों।

अल्पकालिक तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों को देय वेतन एवं मजदूरी, वार्षिक अवकाश तथा बीमारी अवकाश के संबंध में, जिस वर्ष संबंधित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, उस वर्ष उन लाभों के लिए दायित्व को मान्यता दी जाती है, और इसका मापन उन लाभों की अविच्छेदित राशि पर किया जाता है, जिनका भुगतान उस सेवा के बदले किए जाने की अपेक्षा होती है।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त दायित्वों का मापन उन लाभों की अविच्छेदित राशि पर किया जाता है, जिनका भुगतान संबंधित सेवा के बदले किए जाने की अपेक्षा होती है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त दायित्वों का मापन, प्रतिवेदन तिथि तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा भविष्य में किए जाने वाले अनुमानित नकद बहिर्गमन के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

L. आय पर कर

आयकर व्यय में वर्तमान देय कर तथा स्थगित कर—दोनों का योग सम्मिलित होता है।

वर्तमान कर

वर्तमान कर वह कर राशि है, जिसके भुगतान की अपेक्षा होती है, और जो संबंधित अवधि के करयोग्य लाभ के आधार पर, लागू कर दरों तथा आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की वहन राशि और करयोग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त संबंधित कर आधारों के बीच उत्पन्न अस्थायी अंतरों पर मान्यता दी जाती है। सभी करयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए स्थगित कर दायित्व को मान्यता दी जाती है। कटौती योग्य सभी अस्थायी अंतरों के लिए स्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहाँ यह संभाव्य हो कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध होंगे, जिनके विरुद्ध ऐसे कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सके।

यदि कोई अस्थायी अंतर परिसंपत्तियों या दायित्वों की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होता है (व्यवसाय संयोजन को छोड़कर) और वह लेन-देन न तो करयोग्य लाभ को और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है, तो ऐसे मामलों में स्थगित कर परिसंपत्तियों एवं दायित्वों को मान्यता नहीं दी जाती। इसके अतिरिक्त, सद्भावना की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न अस्थायी अंतर के लिए स्थगित कर दायित्व को भी मान्यता नहीं दी जाती

प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में स्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है तथा उस सीमा तक उसे घटाया जाता है, जहाँ यह संभाव्य नहीं रह जाता कि परिसंपत्ति की संपूर्ण या आंशिक वसूली के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का मापन उस अवधि में लागू होने वाली कर दरों पर किया जाता है, जिसमें देनदारी का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति का अहसास होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ष के अंत तक अधिनियमित या सारतः अधिनियमित कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होती हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और स्थगित कर दायित्वों को परस्पर समायोजित किया जाता है, यदि वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर दायित्वों के विरुद्ध समायोजित करने का विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो तथा स्थगित कर उसी करयोग्य इकाई और उसी कर प्राधिकरण से संबंधित हों।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है तथा आगे ले जाया जाता है, जहाँ कंपनी के परिचालन एवं वित्तीय पुनर्गठन, राजस्व सृजन तथा लागत में कमी कार्यक्रम के आधार पर यह आभासी रूप से सुनिश्चित हो कि भविष्य में इन परिसंपत्तियों की प्राप्ति की जा सकेगी।

अवधि के लिए वर्तमान कर एवं आस्थगित कर

वर्तमान कर एवं आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय उन मामलों के जहाँ वे ऐसे मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य समग्र आय में अथवा प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में मान्यता दी गई हो; ऐसे मामलों में वर्तमान कर एवं आस्थगित कर को क्रमशः अन्य समग्र आय में अथवा प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में मान्यता दी जाती है। जहाँ वर्तमान कर या आस्थगित कर किसी व्यवसाय संयोजन के प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, वहाँ कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लेखांकन में सम्मिलित किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं आस्थगित कर दायित्वों को परस्पर समायोजित किया जाता है, जब वे उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हों तथा संबंधित इकाई अपने वर्तमान कर परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का निपटान शुद्ध आधार पर करने का इरादा रखती हो।

M. प्रावधान, आकस्मिक दायित्व / पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

a) जिन प्रावधानों के मापन में पर्याप्त स्तर के अनुमान की आवश्यकता होती है, उन्हें तब मान्यता दी जाती है जब पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) विद्यमान हो तथा संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना हो। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण हो, तो प्रावधानों को वर्तमान कर-पूर्व दर का उपयोग करते हुए छूटित किया जाता है, जो उपयुक्त होने पर दायित्व से संबंधित विशिष्ट जोखिमों को परिलक्षित करती है। इन अनुमानों की प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ-हानि विवरण में प्रदर्शित किया जाता है।

b) प्रावधान के रूप में मान्यता दी गई राशि, बैलेंस शीट की तिथि पर वर्तमान दायित्व के निपटान हेतु आवश्यक प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान होती है, जिसमें दायित्व से संबंधित जोखिमों एवं अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा जाता है। जब किसी प्रावधान का मापन वर्तमान दायित्व के निपटान हेतु अनुमानित नकद प्रवाहों के आधार पर किया जाता है, तो उसकी वहन राशि उन नकद प्रवाहों का वर्तमान मूल्य होती है (जब धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण हो)।

c) जब किसी प्रावधान के निपटान हेतु आवश्यक आर्थिक लाभों का कुछ भाग अथवा संपूर्ण भाग किसी तृतीय पक्ष से प्राप्त होने की अपेक्षा हो, तो यदि यह आभासी रूप से सुनिश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी तथा प्राप्य राशि का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके, तब एक प्राप्य को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

d) आकस्मिक दायित्वों का प्रकटीकरण उन संभावित दायित्वों के संबंध में टिप्पणी के रूप में किया जाता है, जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु जिनका अस्तित्व एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के घटित होने या न होने से पुष्टि होता है, जो पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती हैं।

e) आकस्मिक परिसंपत्तियाँ वे संभावित परिसंपत्तियाँ हैं, जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के घटित होने या न होने से पुष्टि होता है, जो पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती हैं। जब आर्थिक लाभों के अंतःप्रवाह की संभावना होती है, तब आकस्मिक परिसंपत्ति का प्रकटीकरण किया जाता है।

f) भारी अनुबंध

भारी अनुबंध उस स्थिति में माना जाता है, जब कंपनी के पास ऐसा कोई अनुबंध हो, जिसके अंतर्गत अनुबंधीय दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत, उस अनुबंध से प्राप्त होने की अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक हो। भारी अनुबंध से उत्पन्न वर्तमान दायित्वों को प्रावधान के रूप में मान्यता दी जाती है तथा उनका मापन भी उसी अनुसार किया जाता है।

N. नकद एवं नकद समतुल्य

बैलेंस शीट में नकद एवं नकद समतुल्य में बैंक में उपलब्ध नकद, हाथ में उपलब्ध नकद तथा तीन माह या उससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले अल्पकालिक जमाराशि शामिल होती हैं, जिनमें मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य होता है।

नकद प्रवाह विवरण के प्रयोजन हेतु, नकद एवं नकद समतुल्य में उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार नकद एवं अल्पकालिक जमाराशि शामिल होती हैं, जिनमें से बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट घटा दिए जाते हैं, क्योंकि इन्हें कंपनी की नकद प्रबंधन व्यवस्था का अभिन्न अंग माना जाता है।

O. प्रति शेयर आय

मूल प्रति शेयर आय की गणना कर पश्चात लाभ / (हानि) को अवधि के दौरान प्रचलित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। अवधि के दौरान प्रचलित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को कोषागार शेयरों, बोनस निर्गम, विद्यमान शेयरधारकों को दिए गए अधिकार निर्गम में बोनस तत्व, शेयर विभाजन तथा प्रतिलोम शेयर विभाजन (शेयरों का समेकन) के लिए समायोजित किया जाता है।

डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना कर पश्चात लाभ / (हानि) को—जिसे लाभांश, ब्याज तथा अन्य प्रभारों के लिए (संबंधित करों को घटाकर) समायोजित किया गया हो और जो संभावित डाइल्यूटेड प्रभाव वाले इक्विटी शेयरों से संबंधित हों—अवधि के दौरान मूल प्रति शेयर आय की गणना हेतु विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा उन सभी संभावित डाइल्यूटेड प्रभाव वाले इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (जिसमें कर्मचारियों द्वारा शेयर विकल्पों के प्रयोग की पूर्ति हेतु कंपनी द्वारा धारित कोषागार शेयर भी शामिल हैं) से विभाजित करके की जाती है।

P. वित्तीय साधन

वित्तीय साधन वह कोई भी अनुबंध होता है, जिसके परिणामस्वरूप एक इकाई के लिए वित्तीय परिसंपत्ति तथा दूसरी इकाई के लिए वित्तीय दायित्व या इक्विटी साधन उत्पन्न होता है। वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय दायित्व तब मान्यता प्राप्त करते हैं, जब कोई इकाई उस साधन के अनुबंधीय प्रावधानों की पक्षकार बनती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय दायित्वों का प्रारंभिक मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय दायित्वों के अधिग्रहण या निर्गम से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित लेन-देन लागत (लाभ-हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय दायित्वों को छोड़कर) को, उपयुक्ततानुसार, प्रारंभिक मान्यता के समय वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय दायित्वों के उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है। लाभ-हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय दायित्वों के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित लेन-देन लागत को तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

i) वित्तीय परिसंपत्तियाँ

a) वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

प्रारंभिक मान्यता के समय, किसी वित्तीय परिसंपत्ति का मापन परिशोधित लागत पर, अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर अथवा लाभ-हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है। यह वर्गीकरण वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु अपनाए गए व्यवसाय मॉडल के उद्देश्य तथा अनुबंधीय नकद प्रवाह की विशेषताओं के आधार पर किया जाता है।

b) मान्यता एवं प्रारंभिक मापन

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है तथा, यदि वह लाभ-हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाने वाली श्रेणी में नहीं है, तो उसके अधिग्रहण या निर्गम से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित लेन-देन लागत को भी शामिल किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद एवं बिक्री को व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, जो वह तिथि होती है जब कंपनी उस साधन के अनुबंधीय प्रावधानों की पक्षकार बनती है। यदि वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ-हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, तो लेन-देन लागत को वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित माना जाता है।

इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक मान्यता पर, कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर मापे जाने की आवश्यकताओं को पूरा करती है, एफवीटीपीएल के रूप में अपरिवर्तनीय रूप से नामित कर सकती है, यदि ऐसा करने से लेखांकन विसंगति समाप्त हो जाती है या काफी हद तक कम हो जाती है जो अन्यथा उत्पन्न हो सकती है।

c) पश्चातवर्ती मापन

किसी वित्तीय परिसंपत्ति का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है, यदि वह निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करती हो तथा उसे लाभ-हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे जाने के रूप में नामित न किया गया हो:

- परिसंपत्ति ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत धारित हो, जिसका उद्देश्य अनुबंधीय नकद प्रवाहों की वसूली करना हो; तथा
- वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधीय शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकद प्रवाह उत्पन्न होते हों, जो केवल बकाया मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हों।

FVTPL में वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर किया जाता है, और पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है। लाभ-हानि विवरण में दर्शाए गए शुद्ध लाभ या हानि में वित्तीय परिसंपत्ति पर अर्जित कोई भी लाभांश या ब्याज शामिल होता है और इसे 'अन्य आय' मद में शामिल किया जाता है। FVTPL में वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभांश निम्नलिखित स्थितियों में दर्शाया जाता है:

- कंपनी का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है;
- लाभांश से संबंधित आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होने की संभावना हो; तथा
- लाभांश निवेश की लागत की आंशिक वसूली का प्रतिनिधित्व न करता हो और लाभांश की राशि का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके।

d) वित्तीय परिसंपत्तियों की अमान्यता

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त कर देती है, जब उस परिसंपत्ति से संबंधित नकद प्रवाहों पर अनुबंधीय अधिकार समाप्त हो जाते हैं, अथवा जब कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति का अंतरण कर देती है और परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े लगभग सभी जोखिम एवं लाभ किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित हो जाते हैं।

e) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

कंपनी परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे जाने वाले ऋण साधनों, पट्टा प्राप्यों, व्यापारिक प्राप्यों तथा नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने के अन्य अनुबंधीय अधिकारों पर ह्रास हानि की मान्यता के लिए अपेक्षित ऋण हानि मॉडल लागू करती है।

अपेक्षित ऋण हानियाँ, ऋण चूक की संबंधित संभावनाओं को भार के रूप में लेकर गणना की गई ऋण हानियों का भारित औसत होती हैं। ऋण हानि का अर्थ उन सभी अनुबंधीय नकद प्रवाहों, जो अनुबंध के अनुसार कंपनी को देय हैं, और उन सभी नकद प्रवाहों के बीच का अंतर है, जिन्हें कंपनी प्राप्त करने की अपेक्षा करती है (अर्थात् सभी नकद कमी), जिसे मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूटित किया जाता है (या खरीदी गई अथवा उत्पन्न की गई ऋण-ह्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए ऋण-समायोजित प्रभावी ब्याज दर पर)। कंपनी नकद प्रवाहों का अनुमान वित्तीय साधन की अपेक्षित आयु के दौरान उसकी सभी अनुबंधीय शर्तों (जैसे अग्रिम भुगतान, अवधि विस्तार, कॉल एवं समान विकल्प) को ध्यान में रखकर लगाती है।

यदि किसी वित्तीय साधन पर प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो, तो कंपनी उस वित्तीय साधन के लिए हानि भत्ता का मापन उसकी संपूर्ण अवधि की अपेक्षित ऋण हानियों के बराबर राशि पर करती है। यदि किसी वित्तीय साधन पर प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई हो, तो कंपनी उस वित्तीय साधन के लिए हानि भत्ता का मापन 12-महीने की अपेक्षित ऋण हानियों के बराबर राशि पर करती है। 12-महीने की अपेक्षित ऋण हानियाँ, संपूर्ण अवधि की अपेक्षित ऋण हानियों का एक भाग होती हैं और वे उन आजीवन नकद कमियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो प्रतिवेदन तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर चूक होने की स्थिति में उत्पन्न होंगी, अतः ये अगले 12 महीनों के दौरान अनुमानित नकद कमियाँ नहीं होती हैं।

यदि कंपनी ने किसी वित्तीय साधन के लिए पूर्व वर्ष में संपूर्ण अवधि की अपेक्षित ऋण हानि मॉडल के आधार पर हानि भत्ता का मापन किया हो, लेकिन प्रतिवेदन अवधि के अंत में यह निर्धारित करती है कि ऋण गुणवत्ता में सुधार के कारण प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो कंपनी पुनः उस वित्तीय साधन के लिए हानि भत्ता का मापन 12-महीने की अपेक्षित ऋण हानियों के आधार पर करती है।

व्यापारिक प्राप्यों अथवा नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने के किसी भी अनुबंधीय अधिकार के लिए, जो इंड एएस 115 के दायरे में आने वाले लेन-देनों से उत्पन्न होते हैं, कंपनी सदैव हानि भत्ता का मापन संपूर्ण अवधि की अपेक्षित ऋण हानियों के बराबर राशि पर करती है।

इसके अतिरिक्त, व्यापारिक प्राप्यों के लिए संपूर्ण अवधि की अपेक्षित ऋण हानि भत्ता के मापन के उद्देश्य से, कंपनी ने इंड एएस 109 के अंतर्गत अनुमत एक व्यावहारिक सुविधा का उपयोग किया है। यह अपेक्षित ऋण हानि भत्ता प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर गणना किया जाता है, जिसमें ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को ध्यान में रखा जाता है तथा भावी उन्मुख जानकारी के अनुसार समायोजन किया जाता है।

हानि भत्ता की मान्यता एवं मापन से संबंधित ह्रास आवश्यकताएँ अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे जाने वाले ऋण साधनों पर भी समान रूप से लागू की जाती हैं; तथापि, ऐसे मामलों में हानि भत्ता को अन्य समग्र आय में मान्यता दी जाती है तथा बैलेंस शीट में वहन राशि से घटाया नहीं जाता है।

f) प्रभावी ब्याज पद्धति

प्रभावी ब्याज पद्धति वह पद्धति है, जिसके माध्यम से किसी ऋण साधन की परिशोधित लागत की गणना की जाती है तथा संबंधित अवधि में ब्याज आय का आवंटन किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर वह दर होती है, जो ऋण साधन की अपेक्षित आयु के दौरान, अथवा जहाँ उपयुक्त हो उससे कम अवधि के दौरान, अनुमानित भावी नकद प्राप्तियों—जिसमें प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग बनने वाले सभी शुल्क एवं बिंदु, लेन-देन लागत तथा अन्य प्रीमियम या छूट शामिल हैं—को प्रारंभिक मान्यता के समय शुद्ध वहन राशि के बराबर ठीक-ठीक छूटित करती है।

लाभ-हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर, अन्य ऋण साधनों के लिए ब्याज आय को प्रभावी ब्याज आधार पर मान्यता दी जाती है। ब्याज आय को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है तथा इसे "अन्य आय" शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है।

g) बट्टे खाते में डालना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की कुल वहन राशि (आंशिक या पूर्ण रूप से) उस सीमा तक बट्टे खाते में डाल दी जाती है, जहाँ तक वसूली की कोई वास्तविक संभावना न हो। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रतिपक्ष के पास ऐसी परिसंपत्तियाँ या आय के स्रोत नहीं हैं जो बट्टे खाते में डाली गई राशि को चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न कर सकें। हालाँकि, बट्टे खाते में डाली गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर भी कंपनी की देय राशि की वसूली प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई की जा सकती है।

ii) वित्तीय दायित्व

a) वर्गीकरण

वित्तीय देनदारियों को या तो 'एफवीटीपीएल में वित्तीय देनदारियों' या 'अन्य वित्तीय देनदारियों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

b) प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

सभी वित्तीय दायित्वों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों में व्यापारिक एवं अन्य देयताएँ शामिल हैं।

c) पश्चातवर्ती मापन

अन्य वित्तीय दायित्व:

अन्य वित्तीय दायित्वों (जिसमें उधार तथा व्यापारिक एवं अन्य देयताएँ शामिल हैं) का पश्चातवर्ती मापन प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर किया जाता है। दायित्वों की अमान्यता के समय तथा प्रभावी ब्याज दर के परिशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न लाभ एवं हानियों को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम तथा उन शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग होते हैं। प्रभावी ब्याज दर के परिशोधन को लाभ-हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

d) मान्यता रद्द करना

किसी वित्तीय दायित्व की मान्यता तब समाप्त कर दी जाती है, जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है, उसे निरस्त कर दिया जाता है अथवा वह अन्यथा समाप्त हो जाता है।

e) वित्तीय साधनों का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय दायित्वों को परस्पर समायोजित किया जाता है तथा शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में प्रदर्शित किया जाता है, जब मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करने का वर्तमान में प्रवर्तनीय विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा परिसंपत्तियों को शुद्ध आधार पर साकार करने और दायित्वों का निपटान एक साथ करने का इरादा हो।

Q. अनुमान से संबंधित अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की उपयोगी आयु:

प्रबंधन संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की उपयोगी आयु की समीक्षा कम से कम वर्ष में एक बार करता है। ऐसी आयु परिसंपत्तियों की तकनीकी आयु तथा विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य कारकों—जिनमें सापेक्ष दक्षता एवं परिचालन लागत शामिल हैं—के आधार पर उनकी संभावित आर्थिक आयु के आकलन पर निर्भर करती है। इस पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधियों में अपेक्षित मूल्यह्रास एवं अमोर्टाइज़ेशन में परिवर्तन हो सकता है।

आकस्मिक व्यय

सामान्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं में, कंपनी के विरुद्ध मुकदमों और अन्य दावों से आकस्मिक देनदारियां उत्पन्न हो सकती हैं। संभावित देनदारियां जो संभव तो हैं लेकिन जिनके वास्तविक रूप लेने की संभावना कम है या जिनका विश्वसनीय रूप से निर्धारण करना बहुत कठिन है, उन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना जाता है। ऐसी देनदारियों का उल्लेख नोट्स में किया जाता है, लेकिन उन्हें मान्यता नहीं दी जाती। कंपनी द्वारा अप्रचलित माने गए मामलों का खुलासा नहीं किया जाता है।

आर्थिक लाभों के प्रवाह की संभावना होने की स्थिति को छोड़कर, आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है और न ही उनका खुलासा किया जाता है।

उचित मूल्य मापन:

जब वित्तीय विवरणों में दर्ज या प्रकटीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापे नहीं जा सकते, तब उनका उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है, जिसमें छूटित नकद प्रवाह मॉडल भी शामिल है। इन मॉडलों के लिए आवश्यक इनपुट जहाँ संभव हो, प्रेक्षणीय बाजारों से लिए जाते हैं,

किंतु जहाँ यह संभव नहीं होता, वहाँ उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए कुछ हद तक निर्णय की आवश्यकता होती है। ऐसे निर्णयों में तरलता जोखिम, ऋण जोखिम तथा अस्थिरता जैसे इनपुट्स पर विचार किया जाता है।

कर:

कॉरपोरेट कर व्यवस्था में परिवर्तनों की घोषणा के पश्चात, कंपनियों के पास यह विकल्प होता है कि वे या तो नई कर व्यवस्था अपनाएँ या उपलब्ध अन्य लाभों सहित, जैसे न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट के उपयोग के साथ, पुरानी लागू कर संरचना के अनुसार कर का भुगतान जारी रखें। इसके लिए यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण अनुमान की आवश्यकता होती है कि कंपनी किस वर्ष नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित होगी, जो भविष्य के वर्षों के कर योग्य लाभों, कंपनी की चल रही विस्तार योजनाओं के प्रभाव तथा उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट के उपयोग पर निर्भर करता है। तदनुसार, आय कर से संबंधित भारतीय लेखा मानक के अनुसार, स्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उन कर दरों पर किया जाना आवश्यक है, जिनके उस वर्ष लागू होने की अपेक्षा है जब परिसंपत्ति साकार होगी या देयता का निपटान होगा, और यह मापन रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या वस्तुतः अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है।

31 मार्च, 2025 तक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में उल्लिखित टिप्पणियाँ

जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो, सभी राशियाँ मिलियन में व्यक्त की गई हैं।

2 (a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

विवरण	कार्यालय उपकरण	रैंप उपकरण	फर्नीचर और फिक्स्चर	विद्युत फिटिंग	कंप्यूटर	कार्यशाला उपकरण और यंत्र	संयंत्र और मशीनरी	वाहन	कुल
31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ वर्ष									
सकल वहन राशि									
1 अप्रैल, 2023 को लागत	8.18	6,047.02	1.18	10.86	15.67	2.07	0.07	33.56	6,118.61
जोड़	1.32	411.18	0.50	-	7.22	0.97	-	19.79	440.98
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
****समापन सकल वहन मूल्य****	**9.50**	**6,458.20**	**1.67**	**10.86**	**22.90**	**3.04**	**0.07**	**53.35**	**6,559.59**
संचित मूल्यह्रास									
1 अप्रैल, 2023 को शेष राशि	2.33	3,142.78	0.74	7.20	9.76	1.29	0.07	19.96	3,184.14
जोड़	1.38	276.13	0.15	0.99	4.16	0.26	(0.00)	5.89	288.96
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समापन संचित मूल्यह्रास	**3.72**	**3,418.92**	**0.89**	**8.19**	**13.92**	**1.55**	**0.07**	**25.85**	**3,473.10**
31 मार्च, 2024 को शुद्ध वहन राशि*	**5.79**	**3,039.28**	**0.78**	**2.67**	**8.97**	**1.49**	**0.00**	**27.51**	**3,086.50**
सकल वहन राशि									
1 अप्रैल, 2024 तक की लागत	9.50	6,458.20	1.67	10.86	22.90	3.04	0.07	53.35	6,559.59
जोड़	1.14	398.68	-	-	7.50	7.85	-	20.92	436.09
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समापन सकल वहन मूल्य	**10.65**	**6,856.88**	**1.67**	**10.86**	**30.40**	**10.89**	**0.07**	**74.27**	**6,995.68**
संचित मूल्यह्रास									
1 अप्रैल, 2024 को शेष राशि	3.72	3,418.92	0.89	8.19	13.92	1.55	0.07	25.85	3,473.10
जोड़	1.55	294.79	0.14	0.89	6.48	0.93	(0.00)	6.33	311.11
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समापन संचित मूल्यह्रास	**5.27**	**3,713.70**	**1.03**	**9.08**	**20.41**	**2.48**	**0.07**	**32.17**	**3,784.21**
31 मार्च, 2025 को शुद्ध वहन मूल्य*	**5.38**	**3,143.18**	**0.65**	**1.78**	**9.99**	**8.40**	**0.00**	**42.10**	**3,211.47**

2 (b). अमूर्त संपत्ति

विवरण	अमूर्त परिसंपत्तियाँ
31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	
सकल वहन राशि	
1 अप्रैल, 2023 को लागत	-
जोड़	2.16
निपटान	-
समापन सकल वहन मूल्य	**2.16**
संचित मूल्यह्रास	
1 अप्रैल, 2023 को शेष राशि	-
जोड़	0.04
निपटान	-
समापन संचित मूल्यह्रास	**0.04**
31 मार्च, 2024 को शुद्ध वहन मूल्य	**2.12**
31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ वर्ष	
सकल वहन राशि	
1 अप्रैल, 2024 को लागत	2.16
जोड़	-
निपटान	-
समापन सकल वहन मूल्य	**2.16**
संचित मूल्यह्रास	
1 अप्रैल, 2024 को शेष राशि	0.04
जोड़	0.31
निपटान	-
समापन संचित मूल्यह्रास	**0.35**
31 मार्च, 2025 को शुद्ध वहन मूल्य	**1.81**

2 (c).विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ****

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियां*	18.14	14.54
	18.14	**14.54**

* **नया ईआरपी कार्यान्वयन के अधीन है और तदनुसार भुगतान की गई अनुपातिक लागत को विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में पूंजीकृत किया गया है।**

विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची 31 मार्च, 2025 तक

विवरण	एक निश्चित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 साल से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएं	3.60			-	3.60
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं (नोट 52 देखें)	-	12.38	2.15	-	14.54

31 मार्च, 2024 तक विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची

विवरण	एक निश्चित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 साल से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएं	12.38	2.15	-	-	14.54
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

कंपनी ने निर्माणाधीन अमूर्त संपत्तियों के विकास को पूरा करने की लागत के लिए ₹36.00 मिलियन की संविदात्मक प्रतिबद्धताएं की हैं।

(राशि मिलियन में)

परियोजना / परिसंपत्ति विवरण	अनुबंध संबंधी प्रतिबद्धता शेष	पूर्ति की अपेक्षित तिथि
ईआरपी सॉफ्टवेयर	32.4	Q3 of 2025-26

2 (d). परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार **(लाखों रुपये में)**

विवरण	बसों का पट्टा
31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	
सकल वहन राशि	
1 अप्रैल 2023 को शेष राशि	-
जोड़	-
निपटान	-
31 मार्च, 2024 को शेष राशि	-
संचित मूल्यह्रास	
1 अप्रैल, 2023 को शेष राशि	-
जोड़	-
निपटान	-
31 मार्च 2024 को शेष राशि	-
31 मार्च 2024 को शुद्ध वहन राशि	-
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	
सकल वहन राशि	
1 अप्रैल 2024 को शेष राशि	-

जोड़	251.35
निपटान	-
31 मार्च, 2025 को शेष राशि	**251.35**
संचित मूल्यह्रास	
1 अप्रैल, 2024 को शेष राशि	-
जोड़	45.94
निपटान	-
31 मार्च, 2025 को शेष राशि	**45.94**
31 मार्च, 2025 को शुद्ध वहन राशि	**205.42**

टिप्पणी:

1. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (45 ऑफ 1988) के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।
2. कंपनी ने चालू या पिछले वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों सहित) या अमूर्त संपत्तियों या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

3. अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
सुरक्षा जमा राशि*	8.50	8.50
12 महीने से अधिक की सावधि जमा	111.95	1,056.97
	120.46	**1,065.47**

* सरकारी कंपनी को सुरक्षा जमा राशि दी जा चुकी है।

4. आयकर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
अग्रिम कर और टीडीएस *	802.37	649.98
	802.37	**649.98**

*प्रावधानों के बाद शुद्ध राशि ₹ 2192.57 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 2,172.93 मिलियन)

5. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
आस्थगित कर देयताएँ (डीटीएल)		
मूल्यह्रास	(231.12)	(210.99)
कुल आस्थगित कर देयता	**(231.12)**	**(210.99)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (डीटीए)		

अन्य कर अस्वीकृतियाँ	1,030.00	1,001.78
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**1,030.00**	**1,001.78**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**798.88**	**790.79**

6. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि	-	16.71
अन्य अग्रिम भुगतान*	37.65	-
	37.65	**16.71**

*कंपनी ने विभिन्न मांग आदेशों के विरुद्ध दायर अपील के संबंध में, विरोध स्वरूप जीएसटी प्राधिकरणों के पास जमा राशि जमा की है।

****7. भंडार****

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
भंडार एवं कल-पुर्ज़े*	21.85	22.50
घटाएँ: प्रावधान	(3.03)	(2.94)
	18.82	**19.56**

* लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उसके आधार पर मूल्यांकित।

8. व्यापार प्राप्य

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
असुरक्षित		
अच्छा माना गया*	4,700.55	4,846.21
अविवादित, जिनमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	1,276.80	1,232.02
	5,977.35	**6,078.23**
घटाएँ: अपेक्षित क्रेडिट हानि हेतु प्रावधान	1,276.80	1,232.02
	4,700.55	4,846.21
समूह कंपनियों से प्राप्तियाँ	1,546.65	591.73
	6,247.20	**5,437.94**

"कंपनी ने व्यापारिक देयकों और अग्रिमों को सकल आधार पर अलग-अलग दर्शाया है।"

व्यापारिक प्राप्य की आयु अनुसूची

31 मार्च, 2025 तक	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया राशि						
विवरण	अविधेय देय राशि	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
अविवादित प्राप्य व्यापार - अच्छा माना गया	1,663.28	2,318.27	739.99	1,054.18	704.77	610.80	7,091.30
अविवादित प्राप्य व्यापार - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	41.37	157.73	233.60	432.70
अविवादित प्राप्य व्यापार - ऋण बाधित							
विवादित प्राप्य व्यापार - अच्छा माना गया							
विवादित प्राप्य व्यापार - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है							
विवादित प्राप्य व्यापार - ऋण बाधित							
घटाएँ: अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता (नोट 45 (B)(i) देखें)	-	49.92	31.87	132.17	218.43	844.40	(1,276.80)
शुद्ध व्यापारिक प्राप्य	**1,663.28**	**2,268.35**	**708.12**	**963.38**	**644.07**	**-**	**6,247.20**

31 मार्च, 2025 तक	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया राशि						
विवरण	अविधेय देय राशि	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
अविवादित प्राप्य व्यापार - अच्छा माना गया	1,191.89	2,564.58	584.29	905.14	379.17	612.20	6,237.25
अविवादित प्राप्य व्यापार - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		0.04	41.33	157.73	-	233.60	432.70
अविवादित प्राप्य व्यापार - ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-
विवादित प्राप्य व्यापार - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-
विवादित प्राप्य व्यापार - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-

विवादित प्राप्य व्यापार - ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ: अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता (नोट 45 (B)(i) देखें)	-	42.00	60.45	246.57	37.22	845.80	(1,232.02)
शुद्ध व्यापारिक प्राप्य	**1,191.89**	**2,522.63**	**565.17**	**816.30**	**341.95**	**0.00**	**5,437.94**

सेवाओं की बिक्री पर दिया जाने वाला क्रेडिट पीरियड 30 से 60 दिनों के बीच होता है, सुरक्षा के साथ या बिना।

किसी नए ग्राहक को स्वीकार करने से पहले, कंपनी संभावित ग्राहक की क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन करने हेतु एक बाहरी क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली का उपयोग करती है तथा ग्राहक-वार क्रेडिट सीमाएँ निर्धारित करती है। ग्राहकों को आवंटित सीमाओं एवं स्कोरिंग की समीक्षा वर्ष में एक बार की जाती है

कंपनी सामान्यतः इन शेष राशियों के विरुद्ध कोई जमानत या अन्य क्रेडिट एन्हांसमेंट नहीं रखती है, न ही कंपनी को प्रतिपक्ष से देय किसी राशि के विरुद्ध समायोजन का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त है।

ट्रेड रिसीवेबल्स से संबंधित क्रेडिट जोखिम प्रबंधन का विवरण नोट 45 (B)(i) में दिया गया है

संबंधित पक्षों से ट्रेड रिसीवेबल्स का विवरण नोट 44 में दिया गया है।

व्यापारिक प्राप्य राशियों में कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से प्राप्त होने वाली कोई भी प्राप्य राशि शामिल नहीं है।

व्यापार प्राप्य में बंद कंपनियों से प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की प्राप्य राशि शामिल नहीं होती है।

9. नकद और नकद समतुल्य

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
बैंकों में जमा राशि		
चालू खाते में जमा राशि	108.48	71.59
हाथ में नकदी	-	-
बैंकों के पास सावधि जमा, जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह से कम है*	270.22	0.21
	378.70	**71.81**

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
* निर्धारित राशि उप आयुक्त (बिक्री कर) के पास जमा की गई स्थायी जमा राशि को दर्शाती है।	0.22	0.21

10. नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक बैलेंस

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
बैंकों में ऐसी सावधि जमाएँ जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम हो*	100.00	10.00
	100.00	**10.00**

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
* निर्धारित राशि उप आयुक्त (वस्तु एवं सेवा कर) के पास जमा की गई स्थायी जमा राशि को दर्शाती है।	1.95	1.84

11. अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
अन्य प्राप्य राशियाँ	6.05	48.74
- असुरक्षित, अच्छी मानी जाने वाली राशियाँ		
"भारत से सेवा निर्यात योजना" के तहत पात्रता	22.05	22.05
घटाएँ: एसईआईएस के तहत शुल्क क्रेडिट पात्रता के लिए भत्ता	(22.05)	(22.05)
	6.04	**48.73**

12. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	174.09	174.71
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	(33.32)	(25.28)
	140.77	**149.43**
पूर्व भुगतान व्यय	31.38	32.51
	172.15	**181.94**

13. इक्विटी शेयर पूंजी

a. अधिकृत, जारी तथा अभिदत्त एवं चुकता शेयर पूंजी का विवरण

विवरण	संख्या (मिलियन में)	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	संख्या (मिलियन में)	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
अधिकृत पूंजी				
प्रत्येक ₹10/- मूल्य के इक्विटी शेयर	1,000.00	10,000.00	1,000.00	10,000.00
जारी, अभिदत्त एवं पूर्णतः चुकता शेयर पूंजी				
प्रत्येक ₹10/- मूल्य के इक्विटी शेयर	138.42	1,384.24	138.42	1,384.24
		1,384.24		**1,384.24**

b. शेयरों की संख्या का सामंजस्य

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक		दिनांक 31 मार्च, 2024 तक	
	संख्या	**राशि**	संख्या	**राशि**
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	138.42	1,384.24	138.42	1,384.24
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**138.42**	**1,384.24**	**138.42**	**1,384.24**

c. नियम और शर्तें

कंपनी के पास केवल एक ही प्रकार के शेयर हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, सभी तरजीही राशियों के वितरण के बाद, शेयरधारक कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

d. जिन शेयरधारकों के पास 5% से अधिक शेयरधारिता है

शेयरधारक का नाम	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक		दिनांक 31 मार्च, 2024 तक	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	138.42	100.00%	138.42	100.00%

e. होल्डिंग कंपनी के पास मौजूद इक्विटी शेयर:

शेयरधारक का नाम	संबंध	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक		दिनांक 31 मार्च, 2024 तक	
		संख्या	**राशि**	संख्या	**राशि**
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	धारक कंपनी	138.42	1,384.24	138.42	1,384.24
कुल		**138.42**	**1,384.24**	**138.42**	**1,384.24**

f. प्रवर्तकों की शेयरधारिता

प्रमोटर का नाम	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक			दिनांक 31 मार्च, 2024 तक		
	संख्या	प्रतिशत	इस अवधि के दौरान प्रतिशत परिवर्तन	संख्या	प्रतिशत	इस अवधि के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	138.42	100.00%	-	138.42	100.00%	-

टिप्पणी

धारित किए गए शेयरों की संख्या तथा धारिता का प्रतिशत व्यक्तिगत क्षमता में धारित शेयरों को दर्शाता है।

यहाँ प्रवर्तक से आशय कंपनियाँ अधिनियम, 2013 (यथा संशोधित) में परिभाषित प्रवर्तक से है।

g. नकद के अलावा जारी किए गए शेयर

पिछले पाँच वर्षों की अवधि में, जो कि बैलेंस शीट की तिथि से ठीक पूर्व की अवधि है, कंपनी द्वारा न तो किसी बोनस शेयर का निर्गमन किया गया है, न ही नकद के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले शेयर जारी किए गए हैं तथा न ही कंपनी द्वारा किसी शेयर की पुनर्खरीद की गई है।

14. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष	अन्य व्यापक आय	कुल
1 अप्रैल, 2023 को शेष राशि	**2,463.49**	**223.09**	**2,686.58**
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	404.26	-	404.26
कर्मचारी लाभ दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन	-	126.55	126.55
31 मार्च 2024 को शेष राशि	**2,867.76**	**349.64**	**3,217.40**
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	29.38	-	29.38
कर्मचारी लाभ दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन	-	(6.23)	(6.23)
31 मार्च 2025 को शेष राशि	**2,897.14**	**343.41**	**3,240.55**

आरक्षित निधि का स्वरूप और उद्देश्य

संचित लाभ

संचित लाभ कंपनी के अधिशेष / संचित आय को दर्शाते हैं तथा ये शेयरधारकों को वितरण हेतु उपलब्ध हैं।

अन्य समग्र आय

अन्य समग्र आय में परिभाषित कर्मचारी लाभ दायित्वों के पुनर्मापन से उत्पन्न लाभ / (हानि) शामिल हैं।

15. अन्य वित्तीय देनदारियां

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
ग्राहकों से सुरक्षा जमा	94.04	12.97
विक्रेताओं से सुरक्षा जमा	10.80	34.81
	104.84	**47.78**

16. प्रावधान

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान:		
अवकाश अधिकार	281.59	276.18
ग्रेच्युटी	726.04	696.80
चिकित्सा (नोट 42 देखें)	1,411.45	1,411.45
	2,419.08	**2,384.43**

17. व्यापार देयताएँ

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाया देय	51.16	10.56
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय*	2,853.03	2,328.28
	2,904.19	**2,338.84**

* कंपनी ने व्यापार देयताओं और अग्रिमों को अलग-अलग सकल रूप में दर्शाया है।

व्यापार देय आयु निर्धारण अनुसूची

31 मार्च, 2025 तक

	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया राशि					कुल
विवरण	बकाया नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	51.16	-	-	-	51.16
(ii) अन्य	1,170.12	1,145.47	122.43	173.36	241.65	2,853.03
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	**1,170.12**	**1,196.63**	**122.43**	**173.36**	**241.65**	**2,904.19**

31 मार्च, 2025 तक

	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया राशि					कुल
विवरण	बकाया नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	10.56	-	-	-	10.56
(ii) अन्य	1,038.10	758.95	3.05	472.83	55.35	2,328.28
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	**1,038.10**	**769.51**	**3.05**	**472.83**	**55.35**	**2,338.84**

"ट्रेड देयताओं में स्ट्रक-ऑफ कंपनियों को देय राशि शामिल नहीं है।"

ट्रेड देयताओं का निपटान सामान्यतः 30 से 60 दिनों के भीतर किया जाता है।

संबंधित पक्षों को देय ट्रेड देयताओं का प्रकटीकरण नोट 44 में किया गया है।

18. अन्य चालू वित्तीय देनदारियां

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
कर्मचारियों को देय	735.59	710.29
	735.59	**710.29**

19. प्रावधान

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान		
अवकाश पात्रता	54.52	45.96
ग्रेच्युटी	134.35	114.29
अन्य प्रावधान		
अन्य वैधानिक देय राशियों के लिए प्रावधान	456.84	456.84
एमएसएमई विक्रेताओं के लिए ब्याज का प्रावधान	2.55	0.50
	648.25	**617.58**

20. अन्य चालू देनदारियां

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
वैधानिक दायित्व	126.66	134.30
ग्राहकों से अग्रिम	347.12	561.20
	473.79	**695.50**

21. परिचालन से राजस्व

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
ए. हैंडलिंग सेवाओं से राजस्व		
एयर इंडिया से राजस्व	2,891.60	2,428.81
समूह कंपनियों से राजस्व	280.33	464.71
तृतीय पक्ष हैंडलिंग से राजस्व	4,027.07	3,796.05
सरकारी पक्षों से राजस्व	318.74	224.95
अनौपचारिक हैंडलिंग से राजस्व	436.00	458.97
कुल (A)	**7,953.74**	**7,373.49**

बी. माल ढुलाई से प्राप्त राजस्व		
एपीईडीए से प्राप्त राजस्व	75.21	39.94
अन्य	1,237.95	786.01
कुल (B)	**1,313.16**	**825.94**
सी. उपकरण उधार देना		
अन्य	387.37	226.73
कुल (C)	**387.37**	**226.73**
डी. सुरक्षा राजस्व	28.19	-
कुल (D)	**28.19**	**-**
संचालन से कुल राजस्व (A+B+C+D)	**9,682.46**	**8,426.17**

राजस्व की पहचान का समय

विवरण	अवधि समाप्त 31 मार्च, 2025	अवधि समाप्त 31 मार्च, 2024
एक निश्चित समय पर स्थानांतरित की गई सेवाएं	9,682.46	8,426.17
ग्राहकों से संपर्क से प्राप्त कुल राजस्व	**9,682.46**	**8,426.17**

22. अन्य आय

विवरण	अवधि समाप्त 31 मार्च, 2025	अवधि समाप्त 31 मार्च, 2024
भर्ती आवेदन शुल्क	9.76	7.76
समूह कंपनियों के बकाया भुगतानों पर ब्याज	112.62	116.97
समूह कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के बकाया भुगतानों पर ब्याज	34.25	25.85
सावधि जमा पर ब्याज आय	35.57	81.08
विदेशी मुद्रा लाभ (शुद्ध)	42.12	-
HAL-JWG का लाभ साझाकरण (नोट 30 देखें)	15.85	17.40
SFIS के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट पात्रता	-	39.46
विविध आय	104.42	45.09
कुल	**354.59**	**333.61**

23. कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	अवधि समाप्त 31 मार्च, 2025	अवधि समाप्त 31 मार्च, 2024
वेतन और बोनस	6,699.48	5,221.26
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	534.86	514.02
कर्मचारी कल्याण व्यय	125.77	32.44
ग्रेच्युटी	91.25	74.35
छुट्टी का नकदीकरण	109.63	76.23
चिकित्सा लाभ व्यय	51.67	39.82
कुल	**7,612.66**	**5,958.11**

24. वित्त लागत

विवरण	अवधि समाप्त 31 मार्च, 2025	अवधि समाप्त 31 मार्च, 2024
पट्टे की देनदारी पर ब्याज व्यय	8.40	-
वैधानिक देय राशियों के विलंबित भुगतान पर ब्याज	9.63	46.98
अन्य ब्याज लागतें	166.57	34.78
कुल	**184.60**	**81.76**

25. मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

विवरण	अवधि समाप्त 31 मार्च, 2025	अवधि समाप्त 31 मार्च, 2024
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास	311.11	288.96
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों पर मूल्यह्रास	45.94	-
अमूर्त संपत्तियों पर परिशोधन	0.31	0.04
कुल	**357.36**	**289.00**

26. अन्य व्यय

विवरण	अवधि समाप्त 31 मार्च, 2025	अवधि समाप्त 31 मार्च, 2024
हैंडलिंग शुल्क	238.54	309.53
बीमा	61.00	54.74
मरम्मत और रखरखाव - अन्य	149.53	111.83
बिजली, हीटिंग और ईंधन	363.55	313.01

जल शुल्क	7.43	5.02
एसईएसएफ हैंडलिंग शुल्क	89.61	87.92
भंडार और स्पेयर खपत	165.64	131.08
परिवहन और उपकरणों का किराया	80.33	87.21
एसईआईएस के तहत शुल्क क्रेडिट पात्रता की बिक्री पर हानि	-	4.18
संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	8.04	10.00
इन्वेंटरी के लिए भत्ता	0.08	-
मुद्रण और स्टेशनरी	16.51	13.18
सामान्य कार्यालय व्यय	23.66	22.35
अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता/(रिवर्सल)	44.78	(527.40)
किराया व्यय	411.27	240.48
दरें और कर	0.12	25.45
यात्रा और परिवहन व्यय	87.48	74.92
विलंब शुल्क और जुर्माना	18.05	581.34
कानूनी एवं पेशेवर व्यय	5.72	10.22
विदेशी मुद्रा हानि (शुद्ध)	-	24.39
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	10.97	-
वैधानिक लेखा परीक्षक को पारिश्रमिक		
लेखापरीक्षा शुल्क	0.75	0.75
व्यक्तिगत व्यय	0.08	0.08
विविध व्यय	58.36	79.58
कुल	**1,841.51**	**1,659.86**

27. प्रति इक्विटी शेयर आय/(हानि):

विवरण	**अवधि समाप्त 31 मार्च, 2025**	**अवधि समाप्त 31 मार्च, 2024**
मूल/अनुमानित प्रति शेयर आय		
इक्विटी शेयरधारकों को देय लाभ/(हानि) (लाखों रुपये में)	**29.38**	**404.26**
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (लाखों रुपये में)	138.42	138.42
मूल और अनुमानित प्रति शेयर आय (राशि में)	0.21	2.92
प्रति शेयर अंकित मूल्य (राशि में)	10	10

28. आकस्मिक देनदारियां, परिसंपत्तियां और प्रतिबद्धताएं

a) आकस्मिक देनदारियां

विवरण	अवधि समाप्त 31 मार्च, 2025	अवधि समाप्त 31 मार्च, 2024
कंपनी के विरुद्ध वे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:		
आयकर संबंधी मांगें जिनके विरुद्ध कंपनी अपील कर रही	312.64	318.48
जीएसटी संबंधी मांगें और जीएसटी संबंधी मांगों पर	557.09	637.30
अन्य	13.31	14.91
कुल	**883.04**	**970.68**

#कंपनी को प्राप्त आयकर मांग नोटिस जिन पर अपील की गई है

विवरण	आकलन वर्ष (AY)	अपील की स्थिति	राशि
आयकर बकाया मांग आदेश दिनांक 4 मार्च, 2016 को धारा 143(3) के तहत उठाया गया।	2013-14	सीआईटी(ए) द्वारा 7 अप्रैल, 2016 को	13.34
आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत 27 दिसंबर, 2019 को जारी बकाया मांग आदेश	2017-18	सीआईटी(ए) द्वारा 21 अगस्त, 2023 को	6.29
आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत 27 दिसंबर, 2019 को उठाया गया बकाया मांग आदेश	2017-18	सीआईटी(ए) द्वारा 21 जनवरी, 2020 को	6.60
आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के अंतर्गत 25 मई, 2021 को उठाया गया बकाया मांग आदेश	2017-18	आईटी विभाग को 9 जून, 2022 को दिया गया जवाब	5.40
आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के अंतर्गत 21 मई, 2021 को उठाया गया बकाया मांग आदेश	2018-19	सीआईटी(ए) द्वारा 4 अक्टूबर, 2021 को	80.76
आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के अंतर्गत 23 दिसंबर, 2021 को उठाया गया बकाया मांग आदेश। इसमें से ₹ 82.65 मिलियन की कर राशि 16 अक्टूबर, 2021 को पहले ही जमा की जा चुकी है।	2020-21	सीआईटी(ए) द्वारा 29 अक्टूबर, 2022 को	200.25
कुल			**312.64**

कंपनी द्वारा प्राप्त नोटिसों के विरुद्ध ब्याज सहित जीएसटी संबंधी मांगें

विवरण	वित्तीय वर्ष	सूचना स्थिति	राशि
पंजाब	2020-2021	जीएसटी नोटिस	31.37
तमिलनाडु	2020-2021	जीएसटी नोटिस	0.10
उतार प्रदेश।	2019-2020 and 2024-25	जीएसटी नोटिस	55.30

दिल्ली	2017-2021	जीएसटी नोटिस	3.66
छत्तीसगढ	2020-2021	जीएसटी नोटिस	0.30
मध्य प्रदेश	2018-2023	जीएसटी नोटिस	0.01
महाराष्ट्र	2020-2021	जीएसटी नोटिस	15.01
कुल			**105.75**

कंपनी द्वारा दायर की गई जीएसटी मांगों पर ब्याज (कर के लिए प्रावधान किया गया था)

विवरण	वित्तीय वर्ष	सूचना स्थिति	राशि
महाराष्ट्र	2017-2020	अपील दायर की गई	244.26
राजस्थान	2017-2020	अपील दायर की गई	0.80
बिहार	2017-2020	अपील दायर की गई	11.32
ओडिशा	2019-2020	जीएसटी नोटिस	3.62
केरल	2018-2019	अपील दायर की गई	65.95
तमिलनाडु	2018-2021	आदेश में संशोधन हेतु आवेदन दाखिल किया गया/ अपील दाखिल की गई	107.29
	2018-2021	अपील दायर की गई	6.32
असम	2018-2020	अपील दायर की गई	8.17
चंडीगढ़	2018-2020	अपील दायर की गई	0.01
उत्तर प्रदेश	2018-2021	अपील दायर की गई	3.60
कुल			**451.34**

टिप्पणी: जीएसटी मांगों पर ब्याज की गणना 31 मार्च, 2025 तक की गई है तथा आयकर मांगों पर ब्याज को आयकर पोर्टल के अनुसार माना गया है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी आदेश/नोटिस के अनुसार दंड को भी शामिल किया गया है।

अन्य आकस्मिक देनदारियों के संबंध में स्पष्टीकरणात्मक विवरण:

अदालतों में लंबित कर्मचारी/नागरिक/मध्यस्थता मामलों के कारण अन्य दावे

विवरण	पार्टियों का नाम	केस नं.	राशि
यह कंपनी को व्यवसायिक हानि से संबंधित कदाचार के कारण सेवा से हटाए जाने की सजा के विरुद्ध है। संबंधित पक्ष ने सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि, अर्थात् 31 दिसंबर, 2016 तक सेवा में पुनःस्थापन के साथ बकाया वेतन की मांग की है।	एम एल शेट्टी	सीजीआईटी 2/12-2016 सुनवाई के लिए लंबित	0.21

कर्मचारी 01 मार्च, 2016 दिनांकित उस आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके तहत AIATSL के अधिकारियों की मानहानि से संबंधित कदाचार के कारण उसे सेवा से हटाया गया था। वह सेवा में निरंतरता के साथ पूर्ण बकाया वेतन की मांग कर रहा है।	एसटी काटकर	सीजीआईटी 2/13 वर्ष 2016 सुनवाई के लिए लंबित	1.50
यह अपने वरिष्ठ के किसी विधिसम्मत एवं उचित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा या अनादर तथा कार्य में लापरवाही से संबंधित कारणों पर सेवा से हटाए जाने की सजा के विरुद्ध है। संबंधित पक्ष सेवा में पुनःस्थापन के साथ पूर्ण बकाया वेतन एवं अन्य लाभों की मांग कर रहा है।	पीएन पोवार	सीजीआईटी 2/3 वर्ष 2017 सुनवाई के लिए लंबित	1.50
यह संदर्भ कदाचार के आधार पर अनुबंध की समाप्ति के विरुद्ध है। संबंधित पक्ष ने 17 अक्टूबर, 2017 से, अर्थात् अनुबंध समाप्ति की तिथि से, पूर्ण बकाया वेतन सहित पुनःस्थापन का दावा किया है।	एसबी अधव	सीजीआईटी 2/15 वर्ष 2017 सुनवाई के लिए लंबित	0.20
"संबंधित पक्ष ने जयपुर हवाई अड्डे पर बैगेज, कार्गो हैंडलिंग तथा विविध सेवाएँ प्रदान करने के लिए ₹ 9.90 मिलियन (जिसमें दंडात्मक ब्याज तथा उस पर जीएसटी शामिल है) की मांग उठाई थी। कंपनी ने उनके सभी बकाया बिलों की समीक्षा की है और पाया है कि विक्रेता द्वारा उठाए गए बिल सही नहीं थे तथा एक ही सेवा के लिए भी दोहरी सेवाओं का बिल लगाया गया है। अतः इस दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और इसे आकस्मिक दायित्व के रूप में दर्शाया गया है।	नेहा एविएशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	NA	9.90
कुल			**13.31**

b. पूंजी और अन्य दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएं:

31 मार्च, 2025 को पूंजीगत अनुबंध प्रतिबद्धताएँ एवं दीर्घकालीन प्रतिबद्धताएँ ₹ 502.75 मिलियन हैं (पूर्व वर्ष ₹ 529.60 मिलियन)। पूंजीगत प्रतिबद्धताओं का सारांश निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
अमूर्त संपत्तियां	32.40	54.08
रैंप उपकरण*	23.86	21.86
कंप्यूटर*	-	7.86
कार्यालय उपकरण	0.69	-
यूनिटी कॉम्प्लेक्स	445.80	445.80
कुल	**502.75**	**529.60**

* 31 मार्च, 2025 तक दर्शाई गई पूंजी प्रतिबद्धताएं वित्तीय वर्ष 24-25 से संबंधित हैं।

29. विनिवेश की स्थिति:

एयर इंडिया लिमिटेड का विनिवेश 27 जनवरी 2022 को किया गया। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के शेयर 13 जनवरी 2022 को एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिए गए। इसके फलस्वरूप, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज 13 जनवरी 2022 से एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

एआईएएचएल, एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी), का गठन उन संचित कार्यशील पूंजी ऋणों को रखने (वेयरहाउस करने) के लिए किया गया था, जो किसी भी परिसंपत्ति द्वारा समर्थित नहीं थे। इसके साथ ही, एयर इंडिया की चार सहायक कंपनियाँ—एएएएल, एआईएएसएल, एआईईएसएल और एचसीआई—के गैर-कोर परिसंपत्तियाँ जैसे पेंटिंग्स एवं कलाकृतियाँ तथा अन्य गैर-संचालनात्मक परिसंपत्तियाँ भी इसमें शामिल की गईं।

इसके अतिरिक्त, इस संदर्भ में एआईएएसएल के विनिवेश हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए निविदाएँ आमंत्रित करने हेतु प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। एआईएएचएल ने एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रस्तावित रणनीतिक विक्रय के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने हेतु 12 फरवरी, 2019 को पीआईएम जारी किया था, जिसके पश्चात 12 शुद्धिपत्र जारी कर तिथियों को बढ़ाया गया, जिसमें अंतिम तिथि 27 दिसंबर, 2019 थी। तथापि, यह सूचित किया गया कि एआईएएसएल का रणनीतिक विक्रय रद्द कर दिया गया है तथा एआईएएचएल द्वारा एआईएएसएल के प्रस्तावित रणनीतिक विक्रय की प्रक्रिया को यथासमय पुनः प्रारंभ किया जाएगा।

30. संयुक्त कार्य समूह के संबंध में प्रकटीकरण

एचएएल बेंगलुरु हवाई अड्डा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का है। तत्कालीन एयर इंडिया और एचएएल के बीच 24.03.1999 से एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया था, जो 31.03.2014 तक प्रभावी रहा। 1 अप्रैल, 2014 से, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के संचालन में आने के पश्चात, एआईएएसएल ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु कंपनी की विशेषज्ञता उपलब्ध कराने के लिए एचएएल के साथ एचएएल&एआईएएसएल जेडब्ल्यूजी नामक एक संयुक्त कार्य समूह समझौता किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत, कंपनी एचएएल के समस्त अवसंरचना का उपयोग करेगी तथा एआईएएसएल की विशेषज्ञता के माध्यम से उक्त हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान की जाएँगी। इस व्यवस्था के अनुसार, एआईएएसएल-एचएएल जेडब्ल्यूजी के शुद्ध लाभ को एचएएल और कंपनी के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा। तदनुसार, चालू वर्ष के लिए एआईएएसएल-एचएएल जेडब्ल्यूजी के शुद्ध लाभ में कंपनी का 50% हिस्सा, जिसकी राशि ₹ 15.85 मिलियन है, को अन्य आय के रूप में लेखांकित किया गया है।

संयुक्त कार्य समूह का नाम	एआईएएसएल संयुक्त कार्य समूह	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
कंपनी की हिस्सेदारी / स्वामित्व हित	50%	50%
आय - कंपनी का हिस्सा	76.80	78.60
व्यय - कंपनी का हिस्सा	45.10	43.80
लाभ - कंपनी का हिस्सा	31.70	34.80
एचएएल के साथ कंपनी के संयुक्त कार्य समूहों की आय में हिस्सेदारी	15.85	17.40
आकस्मिक दायित्व	-	-

31. सामंजस्य / पुष्टि

(a) कंपनी ने प्रमुख व्यापार देयकों से प्राप्तियों के शेष की पुष्टि प्राप्त करने हेतु प्रयास किए हैं। कंपनी को होल्डिंग कंपनी तथा होल्डिंग कंपनी की सहायक इकाई से प्राप्तियों के शेष की पुष्टि प्राप्त हो गई है तथा कुछ अन्य पक्षों से शेष की पुष्टि अभी प्राप्त होनी शेष है। व्यापार देयकों के संबंध में कुछ पक्षों से उत्तर प्राप्त हुए हैं और जहाँ-जहाँ पक्षों द्वारा बताए गए शेष कंपनी की

पुस्तकों से मेल नहीं खाते हैं, वहाँ अंतर के सामंजस्य की प्रक्रिया प्रगति पर है। सामंजस्य से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजनों का प्रभाव, यदि कोई हो, सामंजस्य पूर्ण होने के वर्ष में तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात अभिलेखित किया जाएगा।

(b) कर्मचारियों से प्राप्त होने वाली कुछ असंगत प्राप्तियों/वसूली योग्य राशियों और देय राशियों, जिनमें कुछ नियंत्रण बहीखाते भी शामिल हैं, का मिलान और सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। यदि सामंजस्य स्थापित करने के परिणामस्वरूप कोई समायोजन करना पड़े, तो उसका प्रभाव सामंजस्य स्थापित करने के वर्ष में और संबंधित प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही निपटाया जाएगा।

(c) कंपनी द्वारा संधारित वैधानिक अभिलेखों तथा दाखिल की गई विवरणियों के साथ वैधानिक देयताओं का सामंजस्य कर लिया गया है, सिवाय स्रोत पर कर कटौती के, जिसका सामंजस्य अभी प्रगति पर है। वर्ष के लिए वस्तु एवं सेवा कर की वार्षिक विवरणियाँ दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। वार्षिक विवरणियाँ दाखिल करने से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजनों का प्रभाव, यदि कोई हो, संबंधित वर्ष की वार्षिक विवरणी दाखिल किए जाने के वर्ष में तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात निपटाया जाएगा।

32. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

कंपनी की नीति के अनुसार, कंपनी की प्रमुख परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन चक्रीय आधार पर किया जाएगा, जिससे प्रत्येक परिसंपत्ति का सत्यापन प्रत्येक दो वर्ष में एक बार हो सके। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर पहचान चिह्न लगाने की आवश्यकता को चिन्हित किया है तथा इसे पूरा करने हेतु सम्पूर्ण भारत में स्थित सभी स्टेशनों पर सामंजस्य की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इस सामंजस्य से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को उस वर्ष में मान्यता दी जाएगी, जिस वर्ष यह प्रक्रिया पूर्ण होगी।

इसके साथ ही, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है तथा पुस्तकों के साथ सामंजस्य के दौरान पाए गए अंतर को उस वर्ष में विचाराधीन किया जाएगा, जिस वर्ष सामंजस्य की प्रक्रिया पूर्ण होगी। कंपनी ने रिपोर्टिंग तिथि पर भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार परिसंपत्तियों की समीक्षा की है, तथापि परिसंपत्तियों के ह्रास का कोई संकेत नहीं पाया गया है।

33. इन्वेंट्री

भंडारों का भौतिक सत्यापन आंतरिक रूप से उन चार स्थानों पर किया गया है जहाँ भंडार संग्रहित हैं, जिसे कंपनी के अधिकारी द्वारा किया गया तथा विधिवत प्रमाणित किया गया है। भौतिक सत्यापन 31 मार्च, 2025 को किया गया है। उपयोगकर्ता (तकनीकी) विभाग से प्राप्त पुष्टि के आधार पर भंडारों का उपयोग मूल्य कम से कम पुस्तकों में दर्शाए गए वहन मूल्य के बराबर है। भंडारों की खपत की गणना व्युत्पन्न आंकड़ों के आधार पर की गई है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने नीचे उल्लिखित दर के अनुसार इन्वेंट्री की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए प्रावधान किया है:

a) तेजी से बिकने वाला माल - 0%

b) धीरे बिकने वाला माल - 25%

c) न बिकने वाला माल - 50%

d) अप्रचलित माल - 100%

34. नकद और बैंक शेष

वर्षांत पर बैंक शेष की प्रक्रिया का पूर्णतः सामंजस्य कर लिया गया है तथा सभी बैंक खातों के संबंध में बैंकों से पुष्टि प्राप्त कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा नगद का संधारण नहीं किया जाता है, अतः वर्ष के अंत में कोई नगद शेष उपलब्ध नहीं है।

35. समूह कंपनियों के बकाया भुगतानों पर ब्याज

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड तथा अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के संबंध में पूर्व प्रचलन के अनुसार औसत शेष विधि पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज आरोपित किया गया है।

समूह कंपनियों के लिए आरोपित ब्याज का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	राशि
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	1.01
एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	136.34
कुल	**137.35**

36. आंतरिक नियंत्रण

कंपनी ने आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए स्वतंत्र चार्टर्ड लेखाकारों की फर्म नियुक्त की है, ताकि आवश्यकता होने पर प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव प्रदान किए जा सकें। आंतरिक लेखा परीक्षक के कार्यक्षेत्र की प्रबंधन द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है, जिससे स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उपयोगकर्ता विभागों में प्रभावी आंतरिक नियंत्रणों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके तथा लेन-देन की एकरूप और समयबद्ध लेखा प्रविष्टियों के लिए उपयुक्त प्रणाली स्थापित की जा सके।

37. ई-चालान का निर्माण न होना

कंपनी सॉफ़्टवेयर के निलंबन के कारण कुछ ई-चालान उत्पन्न करने में असमर्थ रही (संदर्भ नोट 52)। परिणामस्वरूप, कंपनी ने वस्तु एवं सेवा कर प्रावधानों के अनुपालन में लंबित ई-चालानों के सृजन हेतु ई-चालान पोर्टल को पुनः खोलने के निर्देश प्राप्त करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर विभाग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

38. "भारत से सेवा निर्यात योजना" (एसईआईएस) की पात्रता

कंपनी को सेवाओं के निर्यात के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा के आधार पर "भारत से सेवा निर्यात योजना" के अंतर्गत क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकार है। उक्त लाभ लाइसेंस / स्क्रिप्स के रूप में विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सेवा निर्यात प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के लिए जारी लाइसेंस संख्या 0319271362, जिसकी पात्रता राशि ₹ 22.06 मिलियन थी, 19 जनवरी 2022 को समाप्त हो गया। कंपनी ने उक्त लाइसेंस की वैधता तिथि बढ़ाने के लिए नीति शिथिलीकरण समिति के समक्ष आवेदन किया था और तदनुसार कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लाइसेंस के पूर्ण मूल्य के बराबर प्रावधान का सृजन किया।

39. जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड के दावे।

कंपनी ने मेसर्स जेट एयरवेज़ (इंडिया) लिमिटेड से देय ₹ 250.18 मिलियन (ब्याज सहित) के अपने दावे अंतरिम समाधान पेशेवर / समाधान पेशेवर के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से ₹ 166.10 मिलियन के दावे स्वीकार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड विनियम, 2016 के विनियम 39 (5क) के संदर्भ में, माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा 25 जून 2021 को स्वीकृत समाधान योजना (जेट एयरवेज़ (इंडिया) लिमिटेड) के अंतर्गत, 22 जून 2021 के आदेश के माध्यम से परिचालन लेनदारों (कामगारों, कर्मचारियों तथा टिकट वापसी को छोड़कर) के लिए प्रत्येक प्रासंगिक लेनदार को दावा राशि की परवाह किए बिना ₹ 15,000 की निश्चित राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया था। कंपनी ने यह अवगत कराया है कि ₹ 15,000 की निश्चित राशि का भुगतान उसे स्वीकार्य नहीं है। तथापि, मेसर्स जेट एयरवेज़ (इंडिया) लिमिटेड से प्राप्तियों पर 100 प्रतिशत प्रावधान अपेक्षित ऋण हानि के अंतर्गत माना गया है।

40. गो एयरलाइंस इंडिया लिमिटेड के दावे।

गो एयरलाइंस इंडिया लिमिटेड ने दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे स्वीकार करते हुए अधिकरण ने 10 मई 2023 के आदेश द्वारा दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ की। कंपनी ने पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 220.35 मिलियन (जिसमें ₹ 11.27 मिलियन ब्याज शामिल है) का अपना दावा प्रस्तुत किया था। तदनुसार, कंपनी ने पूर्ववर्ती वर्ष में अपेक्षित ऋण हानि के अंतर्गत, ब्याज को छोड़कर, उक्त प्राप्तियों पर 100 प्रतिशत प्रावधान किया है।

41. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006:

लेखांकन प्रणाली (ओडू) में विक्रेता मास्टर में एक *अल्पसंख्यक संकेतक* का प्रावधान है, जिसे विक्रेता को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के रूप में पहचानने हेतु अद्यतन किया जाता है। प्रणाली को और उन्नत किया जा रहा है, ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विक्रेताओं से संबंधित अधिक विवरण, जैसे प्रमाणपत्र संख्या, जारी करने वाली एजेंसी, वैधता अवधि आदि, दर्ज किए जा सकें।

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025	दिनांक 31 मार्च, 2024
किसी भी आपूर्तिकर्ता को वर्ष के अंत तक शेष बकाया मूल राशि;	51.16	10.56
45 दिनों से अधिक विलंबित मूल राशि;	34.38	10.56
किसी भी आपूर्तिकर्ता को वर्ष के अंत तक बकाया ब्याज की राशि;	2.55	0.50
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के तहत खरीदार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	-	-
भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया जा चुका है लेकिन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के बाद), लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना; उस अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (जहां मूलधन का भुगतान किया जा चुका है लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है);	-	-
लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि; और	2.55	0.50
अगले वर्ष में भी देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता है, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से।	-	-

कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, ऐसे विक्रेताओं के संबंध में जानकारी उस हद तक दी गई है, जहां तक उन्हें सूक्ष्म और लघु उद्यम के रूप में पहचाना जा सकता है।

42. कर्मचारी लाभ योजना

(A) परिभाषित अंशदान योजना

कर्मचारी भविष्य निधि: कंपनी के पास स्थायी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी कर्मचारियों के संविदा आधार पर भविष्य निधि योजनाओं को नियंत्रित करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत ईपीएफओ में योगदान देती है। कंपनी तथा कर्मचारी लागू दरों पर भविष्य निधि में योगदान करते हैं, जिसमें से भविष्य निधि कर्मचारियों को भुगतान की जाती है। लाभ और हानि विवरण में कंपनी का भविष्य निधि में योगदान ₹ 471.46 मिलियन (पिछले वर्ष: ₹ 441.30 मिलियन) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

28 फरवरी, 2019 के दिनांक का सर्वोच्च न्यायालय (SC) का निर्णय है, जो वेतन संरचना के उन घटकों से संबंधित है जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत भविष्य निधि में योगदान की गणना करते समय शामिल किया जाना चाहिए। इस निर्णय से संबंधित व्याख्यात्मक पहलू हैं, जिनमें लागू होने की तिथि भी शामिल है। प्रबंधन के दृष्टिकोण में, भविष्य निधि के लिए योगदान कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार गणना किया जाना चाहिए।

(B) परिभाषित लाभ योजनाएँ:

a) ग्रेच्युटी: ग्रेच्युटी कंपनी के सभी पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, मृत्यु, या स्थायी अक्षमता की स्थिति में भुगतान योग्य होती है, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार। कंपनी के पास भारत में एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना (अनफंडेड) है। ग्रेच्युटी कंपनी द्वारा तब भुगतान की जाती है जब यह देय हो जाती है और कंपनी की ग्रेच्युटी योजना के अनुसार भुगतान की जाती है।

i) ग्रेच्युटी के संबंध में इंडस्ट्रियल एश्योरेंस पॉलिसी के अनुसार प्रकटीकरण विवरण

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
लाभ का प्रकार	ग्रेच्युटी	ग्रेच्युटी
देश	भारत	भारत
रिपोर्टिंग मुद्रा	INR	INR
रिपोर्टिंग मानक	भारतीय लेखा	भारतीय लेखा
	मानक 19 (Ind AS 19)	मानक 19 (Ind AS 19)
वित्तपोषण की स्थिति	अवित्तपोषित	अवित्तपोषित
प्रारंभिक अवधि	01 अप्रैल, 2024	01 अप्रैल, 2024
रिपोर्टिंग की तिथि	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2025
रिपोर्टिंग की अवधि	12 महीने	12 महीने

a) अनुमान (पिछली अवधि)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	N.A.	N.A.
छूट की दर	7.19%	7.41%
वेतन वृद्धि की दर	5.50%	5.50%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	10% और 2% (जैसा लागू हो)	10% और 2% (जैसा लागू हो)
रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर 2012-14 (शहरी)	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर 2012-14 (शहरी)
रोजगार के बाद मृत्यु दर	N.A.	N.A.

b) अनुमान (वर्तमान अवधि)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	N.A.	N.A.
छूट की दर	6.54%	7.19%
वेतन वृद्धि की दर	5.50%	5.50%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	10% और 2% (जैसा लागू हो)	10% और 2% (जैसा लागू हो)

रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर 2012-14 (शहरी)	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर 2012-14 (शहरी)
रोजगार के बाद मृत्यु दर	N.A.	N.A.
अवधि के प्रारंभ में लाभ	811.09	861.16
ब्याज लागत	58.32	63.81
वर्तमान सेवा लागत	91.25	74.35
पूर्व सेवा लागत	-	-
(नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अदा किया गया लाभ)	(147.42)	(125.17)
देयताओं पर एक्चुरियल (लाभ)/हानि & जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण	-	-
देयताओं पर एक्चुरियल (लाभ)/हानि & वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण	26.36	8.32
देयताओं पर एक्चुरियल (लाभ)/हानि & अनुभव के कारण	20.79	(71.38)
अवधि के अंत में लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	**860.39**	**811.09**

c) बैलेंस शीट में दर्ज की गई राशि

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
अवधि के अंत में लाभ	(860.39)	(811.09)
निधिकृत स्थिति (अधिशेष/(घाटा))	860.39	(811.09)
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता/संपत्ति	**(860.39)**	**(811.09)**

d) चालू अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अवधि की शुरुआत में लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	811.09	861.16
अवधि की शुरुआत में शुद्ध देयता/(संपत्ति)	811.09	861.16
ब्याज लागत	58.32	63.81
चालू अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत	**58.32**	**63.81**

e) चालू अवधि के लिए लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वर्तमान सेवा लागत	91.25	74.35
शुद्ध ब्याज लागत	58.32	63.81
पिछली सेवा लागत	-	-

(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित योगदान)	-	-
कटौती एवं निपटान पर (लाभ)/हानि	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
मान्यता प्राप्त व्यय	**149.57**	**138.16**

f) चालू अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त व्यय

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अवधि के लिए दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	47.16	(63.06)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-
परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन	-	-
ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए शुद्ध आय/व्यय	**47.16**	**(63.06)**

g) बैलेंस शीट का सामंजस्यकरण

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
आरंभिक शुद्ध देयता	811.09	861.16
लाभ-हानि विवरण में दर्ज व्यय	149.57	138.16
ओसीआई में दर्ज व्यय	47.16	(63.06)
शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति) हस्तांतरण	-	-
शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति) हस्तांतरण	-	-
(नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ)	(147.42)	(125.17)
(नियोक्ता का अंशदान)		
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध दायित्व / (संपत्ति)	**860.39**	**811.09**

h) लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण

रिपोर्टिंग की तारीख से आगामी वर्षों में देय अनुमानित लाभ

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
पहला अगला वर्ष	140.34	119.53
दूसरा अगला वर्ष	40.74	39.21
तीसरा अगला वर्ष	165.13	131.33
चौथा अगला वर्ष	133.79	152.14
पाँचवाँ अगला वर्ष	119.74	122.16
छठे से दसवें वर्ष तक के वर्षों का योग	677.89	668.70

I) संवेदनशीलता विश्लेषण: वृद्धि/(कमी)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
वर्तमान मान्यताओं पर परिभाषित लाभ दायित्व	**860.39**	**811.09**
+1% और छूट दर में 0.5% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	20.43	(18.65)
-1% और छूट दर में 0.5% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	21.54	19.58
वेतन वृद्धि दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	41.88	38.57
वेतन वृद्धि दर में -1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(38.81)	(36.15)
कर्मचारी टर्नओवर दर में +1% और 5% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	0.09	8.44
कर्मचारी टर्नओवर दर में -1% और 5% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(2.91)	(11.70)

संवेदनशीलता विश्लेषण को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संबंधित अनुमानों में संभावित और यथासंभव परिवर्तन के आधार पर तैयार किया गया है, जबकि अन्य सभी अनुमानों को स्थिर माना गया है। ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, क्योंकि यह संभावना कम है कि सभी अनुमानों में परिवर्तन अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से हों, चूंकि कुछ अनुमानों में आपसी संबंध भी हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करते समय परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि द्वारा गणना किया गया है, जो वही विधि है जिसका उपयोग बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व की गणना में किया गया है।

संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने के लिए प्रयुक्त विधियों और अनुमानों में पिछले वर्षों की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

टिप्पणियाँ:

ग्रेच्युटी का भुगतान कंपनी की योजना के अनुसार देय है, जैसा कि इस रिपोर्ट में विस्तार से वर्णित किया गया है। गणनात्मक लाभ अथवा हानि को जिस अवधि में वे उत्पन्न होते हैं, उसी अवधि में अन्य समग्र आय के अंतर्गत मान्यता दी जाती है, और प्रस्तुत सभी आंकड़े कर लगाए जाने से पूर्व के हैं। वेतन वृद्धि की दर और त्याग दर संस्था द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार मानी गई हैं, जो उद्योग की सामान्य परंपराओं के अनुरूप प्रतीत होती हैं, जहाँ पदोन्नति की संभावना तथा कर्मचारियों की मांग और आपूर्ति जैसे तत्वों को ध्यान में रखा गया है। लाभ भुगतान का परिपक्वता विश्लेषण बिना छूट के नकद प्रवाहों पर आधारित है, जिसमें सदस्यों के लिए भविष्य के वेतन, त्याग और मृत्यु की संभावना को ध्यान में रखते हुए आगामी दस वर्षों की अनुमानित अवधि को शामिल किया गया है। औसत अपेक्षित भविष्य सेवा उस अनुमानित अवधि को दर्शाती है, जिसके लिए सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ देय रहने की संभावना होती है, जबकि परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि नकद प्रवाहों के समय का ऐसा औसत है, जिसमें प्रत्येक प्रवाह का भार उसके वर्तमान मूल्य से लिया गया है और यह कुल वर्तमान मूल्य के अनुपात में निर्धारित किया गया है। किसी भी लाभ भुगतान तथा योजना निधियों में अंशदान को वर्ष के अंत में घटित होने वाला माना गया है, ताकि प्रकटीकरण में दायित्व और निधि के परिवर्तनों को यथासंभव वास्तविक रूप में दर्शाया जा सके।

ii) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ: कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना है जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को चिकित्सा लाभ प्रदान किए जाते हैं।

सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले चिकित्सा लाभों के संबंध में इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के अनुसार प्रकटीकरण विवरण (हिंदी में अनुवाद करें)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
लाभ का प्रकार	चिकित्सा	चिकित्सा
देश	भारत	भारत
रिपोर्टिंग मुद्रा	भारतीय मुद्रा	भारतीय मुद्रा

रिपोर्टिंग मानक	भारतीय लेखा मानक 19 (इंड एएस 19)	भारतीय लेखा मानक 19 (इंड एएस 19)
वित्तपोषण की स्थिति	अवित्तपोषित	अवित्तपोषित
प्रारंभिक अवधि	01 अप्रैल, 2023	01 अप्रैल, 2023
रिपोर्टिंग की तिथि	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2024
रिपोर्टिंग की अवधि	12 महीने	12 महीने

a) अनुमान (पिछला वर्ष)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	N.A.	N.A.
छूट की दर	7.19%	7.40%
चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति	4.00%	4.00%
कर्मचारी टर्नओवर दर	2.00%	2.00%
रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006-08) अल्टीमेट	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006-08) अल्टीमेट
रोजगार के बाद मृत्यु दर	भारतीय व्यक्तिगत एएमटी (2012-15)	भारतीय व्यक्तिगत एएमटी (2012-15)

b) अनुमान (चालू वर्ष)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	N.A.	N.A.
छूट की दर	7.19%	7.19%
चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति	5.50%	5.50%
कर्मचारी टर्नओवर दर	10% और 2% (जैसा लागू हो)	10% और 2% (जैसा लागू हो)
रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर 2012-14 (शहरी)	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर 2012-14 (शहरी)
रोजगार के बाद मृत्यु दर	भारतीय व्यक्तिगत एएमटी (2012-15)	भारतीय व्यक्तिगत एएमटी (2012-15)

c) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
अवधि के प्रारंभ में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,411.45	1,411.45
ब्याज लागत	-	-
वर्तमान सेवा लागत	-	-
पूर्व सेवा लागत	-	-

हस्तांतरित दायित्व/अधिग्रहण	-	-
(हस्तांतरित दायित्व/विनिवेश)	-	-
(लाभ) / कटौती पर हानि	-	-
(निपटान पर समाप्त दायित्व)	-	-
(नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ)	-	-
(निधि से भुगतान किया गया लाभ)	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर एक्चुअरियल लाभ/हानि	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर एक्चुअरियल लाभ/हानि	-	-
अनुभव के कारण दायित्वों पर एक्चुअरियल लाभ/हानि	-	-
अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1,411.45**	**1,411.45**

d) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
अवधि के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
ब्याज आय	-	-
नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	-	-
हस्तांतरित परिसंपत्तियाँ	-	-
(हस्तांतरित/विनिवेशित परिसंपत्तियाँ)	-	-
(निधि से भुगतान किया गया लाभ)	-	-
(निपटान पर वितरित परिसंपत्तियाँ)	-	-
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, को छोड़कर	-	-

e) बैलेंस शीट में दर्ज की गई राशि

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
अवधि के प्रारंभ में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(1,411.45)	(1,411.45)
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
संतुलन पत्रक में दर्ज शुद्ध (देयता) / परिसंपत्ति	(1,411.45)	(1,411.45)

f) चालू वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
अवधि के प्रारंभ में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,411.45	1,411.45
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
प्रारंभ में शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति)	1,411.45	1,411.45
ब्याज लागत	-	-
(ब्याज आय)	-	-
वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत	-	-

(g) चालू वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वर्तमान सेवा लागत	-	-
शुद्ध ब्याज लागत	-	-
पिछली सेवा लागत	-	-
(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान)	-	-
कटौती और निपटान पर (लाभ) / हानि	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
मान्यता प्राप्त व्यय	**-**	**-**

h) वर्तमान के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त व्यय

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अवधि के लिए दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, ब्याज आय को छोड़कर	-	-
परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन	-	-
ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए शुद्ध आय/व्यय	-	-

i) बैलेंस शीट का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
आरंभिक शुद्ध देयता	1,411.45	1,411.45
लाभ-हानि विवरण में दर्ज व्यय	-	-
ओसीआई में दर्ज व्यय	-	-
शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति) हस्तांतरण	-	-

शुद्ध (देयता) / परिसंपत्ति हस्तांतरण	-	-
(नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ)	-	-
(नियोक्ता का अंशदान)	-	-
बैलेंस शीट में दर्ज शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	**1411.45**	**1411.45**

j) अन्य विवरण

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
सक्रिय सदस्यों की संख्या	-	-
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	-	-
अनुमानित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	-	-
औसत भविष्य अवधि	-	-
अनुमानित लाभ दायित्व	1411.45	1411.45
अगले वर्ष (12 महीने) के लिए निर्धारित अंशदान	-	-

k) नियोक्ता द्वारा किए गए लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
रिपोर्टिंग तिथि से आगामी वर्षों में देय अनुमानित लाभ		
पहला अगला वर्ष	-	-
दूसरा अगला वर्ष	-	-
तीसरा अगला वर्ष	-	-
चौथा अगला वर्ष	-	-
पाँचवाँ अगला वर्ष	-	-
6 से 10 वर्षों का योग	-	-

संवेदनशीलता विश्लेषण: वृद्धि / (कमी)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
वर्तमान अनुमानों के आधार पर अनुमानित लाभ दायित्व	1,411.45	1,411.45
डिस्काउंट दर में 1% वृद्धि के प्रभाव (डेल्टा प्रभाव)	-	-
डिस्काउंट दर में 1% कमी के प्रभाव (डेल्टा प्रभाव)	-	-
चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति में 1% वृद्धि के प्रभाव (डेल्टा प्रभाव)	-	-
चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति में 1% कमी के प्रभाव (डेल्टा प्रभाव)	-	-

संवेदनशीलता विश्लेषण उन प्रासंगिक अनुमानों में रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संभावित रूप से होने वाले यथोचित परिवर्तन के आधार पर निर्धारित किया गया है, जबकि अन्य सभी अनुमानों को स्थिर रखा गया है। ऊपर प्रस्तुत किया गया संवेदनशीलता विश्लेषण वास्तविक अनुमानित लाभ दायित्व में परिवर्तन का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, क्योंकि यह संभावना कम है कि सभी अनुमानों में परिवर्तन अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से होगा — कुछ अनुमान आपस में सहसंबंधित भी हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण में, अनुमानित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके गणना किया गया है, जो कि वही विधि है जिसका उपयोग बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त अनुमानित लाभ दायित्व की गणना में किया गया था। पिछले वर्षों की तुलना में इस संवेदनशीलता विश्लेषण को तैयार करने में प्रयुक्त विधियों और अनुमानों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

टिप्पणियाँ

कंपनी एयर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय चिकित्सीय व्ययों का प्रावधान एक्चुरियल मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर करती थी। हालांकि, एयर इंडिया के विनिवेश के पश्चात, एआईएएचएल (जो कि एआईएएसएल की होल्डिंग कंपनी है) द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना में निर्धारित राशि का योगदान करेंगे और तदनुसार वे सीधे केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से चिकित्सीय लाभ प्राप्त करेंगे। अतः कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान एक्चुरियल मूल्यांकन नहीं किया गया है।

एक्चुरियल लाभ/हानि को घटित होने की अवधि में अन्य समग्र आय के अंतर्गत मान्यता दी जाती है। उपरोक्त सभी अन्य समग्र आय में दर्शाए गए आंकड़े कर से पूर्व (सकल) आधार पर हैं।

वेतन वृद्धि एवं सेवा समाप्ति की दरें इकाई द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार ली गई हैं; पदोन्नति तथा कर्मचारियों की मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए ये उद्योग प्रथा के अनुरूप प्रतीत होती हैं।

लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण बिना छूटित नकदी प्रवाह के आधार पर किया जाता है, जिसमें अगले 10 वर्षों की पूर्वानुमेय भविष्य अवधि के लिए सदस्यों के संबंध में भविष्य के वेतन, सेवा समाप्ति एवं मृत्यु को संबंधित वर्ष में ध्यान में रखा जाता है।

औसत भविष्य अवधि, रोजगार के बाद मिलने वाले लाभ दायित्व की अनुमानित अवधि को दर्शाती है।

परिभाषित लाभ देयता की भारित औसत अवधि नकदी प्रवाह के समय की भारित औसत होती है, जिसमें भार प्रत्येक नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य को कुल वर्तमान मूल्य के सापेक्ष लेकर निर्धारित किए जाते हैं।

देयता और निधि में होने वाली गतिविधियों को प्रकटीकरण में दर्शाने के उद्देश्य से, किसी भी लाभ के भुगतान तथा योजना परिसंपत्तियों में किए गए किसी भी योगदान को वर्ष के अंत में हुआ माना जाता है।

योजना में कटौती हुई, जिसके अंतर्गत अधिकांश कर्मचारियों की देयताओं को सरकार द्वारा अपने ऊपर ले लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप योजना में कटौती हुई।

वर्ष की शुरुआत में मूल्यांकित योजना की तुलना में किए गए भुगतान अनुरूप नहीं हैं।

(C) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

i. क्षतिपूर्ति अवकाश

कंपनी के पास सवैतनिक अवकाश नीति है जिसमें कर्मचारियों द्वारा रोजगार के दौरान या मृत्यु, सेवानिवृत्ति या इस्तीफे के कारण कंपनी से अलग होने पर सवैतनिक अवकाश संचय और नकदीकरण का प्रावधान है। सवैतनिक अवकाश की अपेक्षित लागत का निर्धारण बैलेंस शीट की तिथि पर एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके किए गए बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है।

ii. बोनस

सभी कर्मचारियों को बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार बोनस देय है और चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए प्रावधान किया गया है।

43. आयकर

(a) लाभ और हानि विवरण में दर्ज आयकर

विवरण	वर्ष का समापन 31 मार्च, 2025	वर्ष का समापन 31 मार्च, 2024
चालू कर व्यय (A)		
चालू वर्ष	19.64	187.09
पूर्वोत्तर वर्षों का अल्प/(अतिरिक्त) प्रावधान (B)		
पूर्वोत्तर वर्षों के लिए कर का अल्प प्रावधान	-	-
स्थगित कर व्यय (C)		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और उलटफेर	(8.09)	179.70
आय विवरण में मान्यता प्राप्त कर व्यय (A+B+C)	**11.55**	**366.79**

(b) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर

विवरण	वर्ष का समापन 31 मार्च, 2025			वर्ष का समापन 31 मार्च, 2024		
	टैक्स से पहले	कर (व्यय)/ लाभ	कर पश्चात (शुद्ध)	टैक्स से पहले	कर (व्यय)/ लाभ	कर पश्चात (शुद्ध)
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा						
कर्मचारी लाभ दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन	(6.23)	-	(6.23)	126.55	-	126.55
	(6.23)	**-**	**(6.23)**	**126.55**	**-**	**126.55**

(c) लेखा पूर्व कर लाभ पर लागू वैधानिक आय कर दर के अनुसार आय कर व्यय का उस वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त आय कर व्यय से सामंजस्य निम्नानुसार है:

विवरण	वर्ष का समापन 31 मार्च, 2025	वर्ष का समापन 31 मार्च, 2024
कर पूर्व लाभ	40.93	771.05
भारत में लागू कर दर	25.168%	25.168%
वैधानिक दर पर अपेक्षित आयकर व्यय (ए)	19.64	187.09
कर का प्रभाव		
कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य नहीं व्यय	-	-
पूर्व वर्षों के लिए कर का अतिरिक्त प्रावधान	-	-
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर	19.64	187.09

स्थगित कर का प्रभाव	(8.09)	179.70
लाभ और हानि विवरण में दर्ज आयकर (स्थगित कर सहित)	**11.55**	**366.79**

(d) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/(देनदारियाँ)

बैलेंस शीट में प्रस्तुत आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देनदारियों) के शेष का विश्लेषण निम्नलिखित है:

विवरण	वर्ष का समापन 31 मार्च, 2025	वर्ष का समापन 31 मार्च, 2024
आस्थगित कर देनदारियां	(231.12)	(210.99)
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	1,030.00	1,001.78
कुल	**798.88**	**790.79**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देनदारियों) के महत्वपूर्ण घटक और वर्ष के दौरान होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		दिनांक 31 मार्च, 2025
		लाभ और हानि के माध्यम से मान्यता प्राप्त	ओसीआई के माध्यम से मान्यता प्राप्त	
पिछले वर्षों की आस्थगित कर संपत्तियाँ				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(210.99)	(20.13)	-	(231.12)
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	679.05	14.91	-	693.96
इन्वेंटरी के लिए प्रावधान	0.74	0.02	-	0.76
अपेक्षित ऋण हानियाँ	321.99	13.29	-	335.28
कुल	**790.79**	**8.09**	**-**	**798.88**

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		दिनांक 31 मार्च, 2024
		लाभ और हानि के माध्यम से मान्यता प्राप्त	ओसीआई के माध्यम से मान्यता प्राप्त	
निम्नलिखित से संबंधित आस्थगित कर शेष:				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(189.84)	(21.15)	-	(210.99)
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	699.77	(20.72)	-	679.05
इन्वेंटरी के लिए प्रावधान	8.34	(7.60)	-	0.74
अपेक्षित ऋण हानि	452.21	(130.22)	-	321.99

कुल	**970.48**	**(179.70)**	**-**	**790.79**

कंपनी स्थगित कर संपत्ति का सृजन इस आधार पर कर रही है कि कंपनी को भविष्य में प्रदर्शन में सुधार की आशा है और तदनुसार, उसे इस बात की उचित सुनिश्चितता है कि मान्यता प्राप्त स्थगित कर संपत्ति को भविष्य के कर योग्य लाभ के विरुद्ध प्राप्त कर लिया जाएगा।

44. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

वर्ष 2024-25 के दौरान, भारतीय लेखा मानक 24 ""संबद्ध पक्षों के प्रकटीकरण"" की आवश्यकता के अनुसार संबंधित पक्षों के नाम और पदनाम का प्रकटीकरण:

A. संबंधित पक्षों की सूची:

i. भारतीय लेखा मानक 24 के अंतर्गत, निम्नलिखित पक्ष सरकार से संबंधित पक्ष हैं, अर्थात् ऐसे इकाइयाँ जो भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित या प्रभावित हैं:

क्रमांक	कंपनी का नाम	संबंध
1	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (दिनांक 13 जनवरी, 2022 से प्रभावी)	होल्डिंग कंपनी

ii. सहयोगी सहायक कंपनियों की सूची

क्रमांक	कंपनी का नाम	संबंध
1	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (HCI)	सहयोगी सहायक कंपनी
2	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (AIESL)	सहयोगी सहायक कंपनी
3	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (AAAL)	सहयोगी सहायक कंपनी

B. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क्रमांक	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का नाम	पदनाम
1	श्री. अमित कुमार	अध्यक्ष एवं नामित निदेशक (13 मार्च 2025 से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त)
2	श्री. असंगबा चुबा आओ	अध्यक्ष (1 जनवरी 2024 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त, तथा 11 मार्च 2025 को पद मुक्त)
3	श्री. सत्येन्द्र कुमार मिश्र	अध्यक्ष (1 मार्च 2023 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त, तथा 31 दिसंबर 2023 को पद मुक्त)
4	श्री. रामबाबू सीएच	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
5	विंग कमांडर. संदीप मल्होत्रा (सेवानिवृत्त)	मुख्य वित्तीय अधिकारी
6	श्रीमती शशि भदूला	कंपनी सचिव

C. वर्ष के दौरान हुए लेन-देन और संबंधित पक्षों के साथ बकाया राशि का विवरण इस प्रकार है -

i. वर्ष के अंत में कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई ऋण या क्रेडिट लेनदेन बकाया नहीं था।

ii. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार, निम्नलिखित प्रकटीकरण आवश्यकताएँ उन लेन-देन से संबंधित हैं जो कुछ सरकार से संबंधित पक्षों (अर्थात् भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित या प्रभावित इकाइयाँ) और अन्य गैर-सरकारी संबंधित पक्षों के साथ किए गए हैं:

(i) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के संबंध में प्रकटीकरण:

विवरण	लेनदेन का प्रकार	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2025	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2024
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	**परिचालन से राजस्व**		
	श्रम सेवाएँ/ केबिन सफाई	58.43	139.00
	बकाया वसूली योग्य ब्याज	1.01	2.02
	व्यय		
	हेडसेट सेवाएँ	35.69	34.53
एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	**परिचालन से राजस्व**		
	ग्राउंड हैंडलिंग राजस्व	321.37	269.97
	मानव संसाधन सेवाओं की आपूर्ति	-	0.25
	बकाया वसूली योग्य ब्याज	136.34	114.95
	व्यय		
	ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों का व्यय और अन्य व्यय	2.17	4.42
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचसीआईएल-सेंटॉर)	**व्यय**		
	कर्मचारी होटल व्यय	22.69	5.68
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल)	**परिचालन से प्राप्त राजस्व**		
	जनशक्ति सेवाएँ	3.63	1.02
	व्यय		
	लागत / किराया की प्रतिपूर्ति	119.85	5.63
	बकाया देय राशि पर ब्याज	47.35	39.07

(ii) बकाया शेष राशि

पार्टी का नाम	प्राप्य/देय	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	देय	(627.18)	(472.44)

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	प्राप्य	(14.65)	68.61
एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	प्राप्य	1,787.16	1,378.91
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचसीआईएल-सेंटॉर)	देय	(4.61)	(4.30)

D. प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को मुआवजा:

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2025	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2024
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	8.24	8.10
सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ	-	-
अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-
सेवा समाप्ति लाभ	-	-
प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को कुल मुआवजा	**8.24**	**8.10**

चूंकि सेवानिवृत्ति के बाद, अन्य दीर्घकालिक और समाप्ति लाभों के लिए भविष्य की देनदारी कंपनी के लिए समग्र रूप से बीमांकिक आधार पर प्रदान की जाती है, इसलिए व्यक्तिगत राशि का पता नहीं लगाया जा सकता ह इसलिए इसे ऊपर शामिल नहीं किया गया है।

45. वित्तीय उपकरण & उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधन

A. लेखांकन वर्गीकरण और उचित मूल्य

निम्न तालिका में वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय दायित्वों की वहन राशि तथा उचित मूल्य दर्शाया गया है, जिसमें उचित मूल्य अनुक्रम में उनके स्तर भी शामिल हैं। इसमें उन वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय दायित्वों की उचित मूल्य की जानकारी शामिल नहीं है जिन्हें उचित मूल्य पर मापा नहीं गया है, यदि उनकी वहन राशि उचित मूल्य का यथोचित अनुमान प्रदान करती है।

31 मार्च, 2025 तक की वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ	नोट संख्या	गैर-चालू	चालू	कुल	लाभ और हानि के माध्यम से निर्देशित				OCI के माध्यम से रूट किया गया				परिशोधित लागत पर दर्ज किया गया	कुल राशि
					स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ														
व्यापार प्राप्य	8	-	6,247.20	**6,247.20**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6,247.20**	**6,247.20**
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3 & 11	120.46	6.04	**126.50**	-	-	-	-	-	-	-	-	**126.50**	**126.50**
नकद और नकद समतुल्य	9	-	378.70	**378.70**	-	-	-	-	-	-	-	-	**378.70**	**378.70**
नकद और नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष	10	-	10.00	**10.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.00**	**10.00**
कुल वित्तीय संपत्ति		**120.46**	**6,641.94**	**6,762.40**									**6,762.40**	**6,762.40**
वित्तीय देनदारियां														
पट्टे की देनदारियां	51	103.23	105.34	**208.57**	-	-	-	-	-	-	-	-	**208.57**	**208.57**

व्यापारिक देय राशियां	17	-	2,904.19	**2,904.19**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,904.19**	**2,904.19**
अन्य वित्तीय देनदारियां	15 & 18	104.84	735.59	**840.43**	-	-	-	-	-	-	-	-	**840.43**	**840.43**
कुल वित्तीय देनदारियां		**208.07**	**3,745.13**	**3,953.19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,953.19**	**3,953.19**

31 मार्च, 2024 तक की वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ	**नोट संख्या**	**गैर-चालू**	**चालू**	**कुल**	**लाभ और हानि के माध्यम से निर्देशित**				**OCI के माध्यम से रूट किया गया**				**परिशोधित लागत पर दर्ज किया गया**	**कुल राशि**
					स्तर 1	**स्तर 2**	**स्तर 3**	**कुल**	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**	**कुल**		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ														
व्यापार प्राप्य	8	-	5,437.94	**5,437.94**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5,437.94**	**5,437.94**
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3 & 11	1,065.47	48.73	**1,114.20**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,114.20**	**1,114.20**
नकद और नकद समतुल्य	9	-	71.81	**71.81**	-	-	-	-	-	-	-	-	**71.81**	**71.81**
नकद और नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष	10	-	10.00	**10.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.00**	**10.00**
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ		**1,065.47**	**5,568.47**	**6,633.94**									**6,633.94**	**6,633.94**
वित्तीय देनदारियां														
व्यापारिक भुगतान	17	-	2,338.84	**2,338.84**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,338.84**	**2,338.84**
अन्य वित्तीय देनदारियां	15 & 18	47.78	710.29	**758.07**	-	-	-	-	-	-	-	-	**758.07**	**758.07**
कुल वित्तीय देनदारियां		**47.78**	**3,049.13**	**3,096.91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,096.91**	**3,096.91**

उचित मूल्य पदानुक्रम

उचित मूल्य अनुक्रम उन प्रविष्टियों पर आधारित होता है जो मूल्यांकन विधियों में उपयोग की जाती हैं, और जो या तो प्रेक्षणीय होती हैं या अप्रेक्षणीय। यह अनुक्रम निम्न तीन स्तरों में वर्गीकृत होता है:

स्तर 1: प्रविष्टियाँ वे उद्धृत मूल्य (बिना समायोजन के) हैं जो सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों और दायित्वों के लिए उपलब्ध हैं।

स्तर 2: प्रविष्टियाँ वे हैं जो स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अतिरिक्त होती हैं, परंतु परिसंपत्ति या दायित्व के लिए प्रत्यक्ष रूप से (जैसे मूल्य) या परोक्ष रूप से (जैसे मूल्यों से व्युत्पन्न) प्रेक्षणीय होती हैं।

स्तर 3: प्रविष्टियाँ ऐसी होती हैं जो प्रेक्षणीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं होतीं। इन प्रविष्टियों में पूर्णतः या आंशिक रूप से मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है, जो ऐसे आकलनों पर आधारित होता है जिन्हें समान साधनों के लिए उपलब्ध वर्तमान बाजार लेन-देन से समर्थन नहीं मिलता या जो उपलब्ध बाजार डेटा पर आधारित नहीं होते।

B. वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां:

कंपनी को वित्तीय साधनों से उत्पन्न निम्नलिखित जोखिमों का सामना करना पड़ता है:

i. क्रेडिट जोखिम

ii. तरलता जोखिम

iii. बाजार जोखिम - a. विदेशी मुद्रा और b. ब्याज दर

कंपनी के मुख्य वित्तीय दायित्वों में व्यापार देयताएँ और अन्य देयताएँ शामिल हैं। इन वित्तीय दायित्वों का मुख्य उद्देश्य प्राप्तियों, नकद और नकद समकक्षों के वित्तपोषण हेतु है, जो प्रत्यक्ष रूप से कंपनी की संचालन गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं।

कंपनी ऋण जोखिम, तरलता जोखिम और बाजार जोखिम के प्रति संवेदनशील है। इन जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन करता है। निदेशक मंडल प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियों की समीक्षा करता है और उन्हें अनुमोदित करता है,

जिनका सारांश नीचे प्रस्तुत है:

(i) ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसमें यदि कोई ग्राहक या किसी वित्तीय उपकरण से संबंधित पक्ष अपने अनुबंधीय दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो कंपनी को वित्तीय हानि हो सकती है। ग्राहक ऋण जोखिम का प्रबंधन कंपनी द्वारा केंद्रीय रूप से किया जाता है और यह पूर्व निर्धारित नीति, प्रक्रिया एवं नियंत्रणों के अधीन होता है, जो ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित होते हैं। किसी ग्राहक की ऋण गुणवत्ता का आकलन पूर्व निर्धारित व्यक्तिगत ऋण सीमा के आधार पर किया जाता है, जो मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित की जाती है।

रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण जोखिम के प्रति अधिकतम संवेदनशीलता मुख्य रूप से व्यापारिक देयों से संबंधित है। व्यापारिक देय आमतौर पर बिना किसी सुरक्षा के होते हैं और ग्राहकों से प्राप्त राजस्व से उत्पन्न होते हैं। कंपनी उस आर्थिक वातावरण की निगरानी करती है जिसमें वह कार्य कर रही है। कंपनी अपने ऋण जोखिम का प्रबंधन ऋण स्वीकृति, ऋण सीमा निर्धारित करने तथा उन ग्राहकों की ऋण क्षमता की निरंतर निगरानी के माध्यम से करती है, जिन्हें कंपनी सामान्य व्यापार प्रक्रिया के अंतर्गत ऋण शर्तों पर माल या सेवा प्रदान करती है।

व्यापारिक देयताओं में एक ही विमानन उद्योग से संबंधित कई ग्राहकों की राशि शामिल है। कुल बकाया राशि का एक महत्वपूर्ण भाग (लगभग 60 प्रतिशत) समूह कंपनियों से संबंधित है, जिसके लिए प्रबंधन को किसी प्रकार के ऋण जोखिम की आशंका नहीं है। अतः, समूह कंपनियों से प्राप्तियों पर किसी अपेक्षित ऋण हानि को मान्यता नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कंपनियों से प्राप्तियों को भी पूर्ण रूप से वसूल योग्य माना गया है, और इस कारण ऐसे प्राप्तियों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

समूह कंपनियों और सरकारी प्राप्तियों के अतिरिक्त अन्य पक्षों के संबंध में ऋण जोखिम का कोई महत्वपूर्ण एकत्रीकरण नहीं है। किसी भी एकल ग्राहक की हिस्सेदारी किसी भी दर्शाए गए वर्ष में कुल राजस्व का 10 प्रतिशत या उससे अधिक नहीं रही है। बकाया व्यापारिक देयताओं की नियमित रूप से निगरानी की जाती है, और लंबित प्राप्तियों की वसूली हेतु उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

सरलीकृत पद्धति के अनुसार, कंपनी व्यापारिक देयताओं पर अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान एक प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करके करती है, ताकि भुगतान न होने के जोखिम को कम किया जा सके और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, जहाँ बकाया राशि अधिक समय से लंबित हो तथा अधिक जोखिम से जुड़ी हो, वहां उपयुक्त प्रावधान किया जा सके। हमारी प्राप्तियों की वसूली से संबंधित ऐतिहासिक अनुभव कम ऋण जोखिम को दर्शाता है। अतः, व्यापारिक देयताओं को एकल वर्ग की वित्तीय संपत्ति माना गया है।

नीति के अनुसार, प्राप्तियों को उनके बकाया अवधि के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें छह महीने से एक वर्ष, एक वर्ष से अधिक तथा एक से दो वर्ष तक की अवधि शामिल है।

जिस व्यावसायिक वातावरण में कंपनी कार्य करती है, उसके आधार पर प्रबंधन यह मानता है कि यदि भुगतान नियत तिथि से लंबित है, तो ऐसी व्यापारिक प्राप्तियाँ चूक की स्थिति (ऋण हानि की स्थिति) में मानी जाती हैं। प्रावधान की गणना उन मानकों के आधार पर की जाती है, जो 36 महीनों से अधिक समय से लंबित प्राप्तियों के अनुपात के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तदनुसार, अपेक्षित ऋण हानि निम्नलिखित दरों के अनुसार प्रदान की जाती है:

विशिष्ट श्रेणियाँ (बकेट)	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
सभी पक्षों सहित, जिनमें सरकारी कंपनियाँ और समूह कंपनियाँ भी शामिल हैं:		
(a) बकाया, जो 6 माह से अधिक नहीं है	2.15%	1.64%
(b) बकाया, जो 6 माह से अधिक किंतु 1 वर्ष से अधिक नहीं है	4.31%	3.27%

(c) बकाया, जो 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अधिक नहीं है	8.61%	9.82%
(d) बकाया, जो 3 वर्ष से अधिक है	100%	100%
व्यक्तिगत आधार पर विशिष्ट क्रेडिट जोखिम हानि	100%	100%

अपेक्षित ऋण हानि भत्ते में परिवर्तन निम्न प्रकार है:

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	1,232.02	1,759.43
जोड़ें: व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता जिसमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	44.78	(527.40)
घटाएँ: व्यक्तिगत आधार पर विशिष्ट क्रेडिट जोखिम हानि		
वर्ष के अंत में शेष राशि##	**1,276.80**	**1,232.02**

कंपनी ने इंड एएस - 109 "वित्तीय उपकरण" की आवश्यकताओं के अनुसार प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करके वित्तीय परिसंपत्तियों (व्यापार और अन्य संविदात्मक प्राप्य) के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान नहीं किया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 तक अपेक्षित ऋण हानि के संचयी प्रभाव की गणना की है, जिसमें पक्षों से प्राप्त व्यापार और अन्य संविदात्मक प्राप्य के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण लागू किया गया है, जो ₹ 1,276.80 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 1,232.02 मिलियन) है।

(ii) तरलता जोखिम प्रबंधन

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी वित्तीय देनदारियों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, जिनका निपटान नकद या किसी अन्य वित्तीय संपत्ति के माध्यम से किया जाता है।

कंपनी की तरलता प्रबंधन की नीति यह सुनिश्चित करना है कि सामान्य तथा प्रतिकूल परिस्थितियों दोनों में, जब देनदारियाँ देय हों तब उन्हें समय पर चुकाने के लिए पर्याप्त तरलता उपलब्ध हो, बिना किसी अस्वीकार्य हानि के या कंपनी की साख को नुकसान पहुँचाए।

कंपनी का मानना है कि उसकी तरलता स्थिति — जिसमें कुल नकद राशि (जिसमें प्रतिज्ञात बैंक जमाएं शामिल हैं, परंतु संचित परंतु अवैयक्त ब्याज को छोड़कर), संचालन से उत्पन्न होने वाली अनुमानित आंतरिक निधियाँ, तथा उसकी पूर्ण रूप से उपलब्ध, घूमती हुई बिना उपयोग की गई ऋण सुविधा ₹ शून्य (1 अप्रैल 2024 को भी ₹ शून्य) शामिल हैं — उसे सामान्य व्यापारिक गतिविधियों के अंतर्गत भविष्य की ज्ञात देनदारियों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। हालांकि, यदि भविष्य में तरलता की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो कंपनी का मानना है कि उसके पास ऐसी वित्तीय व्यवस्थाओं तक पहुँच है तथा उसके पास ऐसी संपत्तियाँ हैं जिन पर कोई भार नहीं है, जिनके आधार पर वह अपनी चालू पूंजीगत, संचालनात्मक और तरलता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।

कंपनी की तरलता प्रबंधन प्रक्रिया, जिसकी निगरानी प्रबंधन द्वारा की जाती है, में निम्नलिखित शामिल हैं:

धन व्यवस्था, जिसमें भविष्य के नकद प्रवाहों की निगरानी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवश्यकताओं को समय पर पूरा किया जा सके।

अपेक्षित नकद प्रवाहों के आधार पर कंपनी की तरलता स्थिति का क्रमिक पूर्वानुमान बनाए रखना।

विविध ऋण सीमाओं को बनाए रखना।

रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार वित्तीय देनदारियों की शेष संविदात्मक परिपक्वता तिथियां निम्नलिखित हैं। संविदात्मक परिपक्वता उस सबसे प्रारंभिक तिथि पर आधारित है जिस पर कंपनी को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है:

तरलता जोखिम के प्रति संवेदनशीलता

31 मार्च, 2025 तक

विवरण	वहन राशि	अनुबंधित नकद प्रवाह			
		1 वर्ष तक	1-5 वर्ष	5 साल से अधिक	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
गैर-चालू					
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	120.46	120.46	-	-	120.46
चालू					
व्यापार प्राप्य	6,247.20	6,247.20	-	-	6,247.20
नकद और नकद समतुल्य तथा अन्य बैंक शेष	478.70	478.70	-	-	478.70
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	6.04	6.04	-	-	6.04

31 मार्च, 2024 तक

विवरण	वहन राशि	अनुबंधित नकद प्रवाह			
		1 वर्ष तक	1-5 वर्ष	5 साल से अधिक	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
गैर-चालू					
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1,065.47	1,065.47	-	-	1,065.47
चालू					
व्यापार प्राप्य	5,437.94	5,437.94	-	-	5,437.94
नकद और नकद समतुल्य तथा अन्य बैंक शेष	81.81	81.81	-	-	81.81
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	48.73	48.73	-	-	48.73

(iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह स्थिति है जिसमें वित्तीय साधनों का उचित मूल्य और भविष्य का नकदी प्रवाह बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण घटता-बढ़ता रहता है। बाजार जोखिम में दो प्रकार के जोखिम शामिल हैं: मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाजार जोखिम के प्रभाव को प्रबंधित और नियंत्रित करना है, साथ ही प्रतिफल को अधिकतम करना है।

(a) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार ब्याज दरों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव हो सकता है। कंपनी पर किसी प्रकार का ऋण नहीं है।

(b) मुद्रा जोखिम

मुद्रा विनिमय दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय उपकरण के भविष्य के नकद प्रवाह विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तनों के कारण परिवर्तित हो सकते हैं। कंपनी की वित्तीय स्थिति और नकद प्रवाह पर प्रचलित विदेशी मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव पड़ता है। यह जोखिम मुख्य रूप से कंपनी की संचालन, निवेश और वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों के दौरान कार्यात्मक मुद्रा और अन्य मुद्राओं के बीच विनिमय दर में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है।

विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति संवेदनशीलता

कंपनी की मुद्रा विनिमय दर जोखिम के प्रति संवेदनशीलता से संबंधित मात्रात्मक जानकारी का सारांश, भारतीय रुपये में व्यक्त किया गया, 31 मार्च 2025 तथा 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित है:

विवरण	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	अमेरिकी डॉलर	भारतीय रुपया	अमेरिकी डॉलर	भारतीय रुपया
वित्तीय संपत्तियाँ				
चालू				
व्यापारिक देयताएँ	5.33	455.17	5.31	442.73
नकद एवं नकद समकक्ष तथा बैंक शेष राशि	-	0.02	0.01	1.17
कुल वित्तीय संपत्तियाँ	**5.33**	**455.19**	**5.32**	**443.90**
वित्तीय दायित्व				
चालू				
व्यापारिक देयताएँ	0.03	2.64	0.01	1.16
अन्य वित्तीय दायित्व	-	-	-	-
कुल वित्तीय दायित्व	**0.03**	**2.64**	**0.01**	**1.16**

संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्न तालिका कंपनी की उस संवेदनशीलता को दर्शाती है जो संबंधित विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये (आईएनआर) में 5% वृद्धि या कमी होने पर उत्पन्न हो सकती है। 5% की संवेदनशीलता दर का उपयोग विदेशी मुद्रा जोखिम की आंतरिक रिपोर्टिंग के समय प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को सूचित करने हेतु किया जाता है, और यह प्रबंधन द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में संभावित परिवर्तन का यथोचित आकलन दर्शाती है। यह संवेदनशीलता विश्लेषण केवल वर्ष के अंत में बकाया विदेशी मुद्रा में नामित मौद्रिक मदों को शामिल करता है और विदेशी मुद्रा दरों में 5% परिवर्तन की स्थिति में उनके अनुवाद को समायोजित करता है, जबकि अन्य सभी चरों को अपरिवर्तित माना गया है।नीचे दी गई कोई भी धनात्मक राशि उस स्थिति को दर्शाती है जब भारतीय रुपये का 5% अवमूल्यन संबंधित मुद्रा के मुकाबले कंपनी के लाभ या निवल संपत्ति में वृद्धि करता है। यदि भारतीय रुपये में 5% की कमी (कमज़ोरी) होती है, तो लाभ या निवल संपत्ति पर तुलनात्मक विपरीत प्रभाव पड़ेगा और नीचे दिए गए शेष आंकड़े ऋणात्मक होंगे।

विवरण	बढ़ोतरी		(घटाव)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
प्राप्य				
USD/INR	22.76	22.20	(22.76)	(22.20)
देय				
USD/INR	(0.13)	(0.06)	0.13	0.06

46. अनुपात

वर्तमान अनुपात

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
कुल चालू परिसंपत्तियाँ	6,922.91	5,769.97
कुल चालू देनदारियाँ	4,867.16	4,362.22
अनुपात	1.42	1.32
% परिवर्तन	**7.53%**	**9.44%**
कारण	**पिछले वर्ष की तुलना में चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण**	

ऋण इक्विटी अनुपात

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
कुल ऋण	-	-
शेयरधारकों की इक्विटी	4,624.79	4,601.64
अनुपात	-	-
% परिवर्तन	**-**	**-**

ऋण सेवा कवरेज अनुपात

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
ईबीआईटी	-	-
कुल ऋण	-	-
अनुपात	-	-
% परिवर्तन	**-**	**-**

इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
वर्ष का शुद्ध लाभ	29.38	404.26
औसत शेयरधारकों की इक्विटी	4,624.79	4,601.64
अनुपात	0.64%	8.79%
% परिवर्तन	**-92.77%**	**-42.62%**
कारण	**व्यय में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान लाभ में कमी आई।**	

आवर्तन अनुपात

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक

बेचे गए माल की लागत	166.37	134.49
औसत इन्वेंट्री	19.19	21.26
अनुपात	867.09	632.49
% परिवर्तन	**37.09%**	**50.71%**
कारण	**वर्ष के दौरान इन्वेंट्री में कमी के कारण**	

व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
परिचालन से राजस्व	9,682.46	8,426.17
औसत व्यापार प्राप्य	5,842.57	4,754.69
अनुपात	1.66	1.77
% परिवर्तन	**-6.49%**	**-25.00%**

व्यापार देय टर्नओवर अनुपात

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
अन्य व्यय	1,841.51	1,659.86
औसत व्यापार देय	1,310.76	990.12
अनुपात	1.40	1.68
% परिवर्तन	**-16.20%**	**-37.53%**

शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
परिचालन से राजस्व	9,682.46	8,426.17
कार्यशील पूंजी	2,055.74	1,407.75
अनुपात	4.71	5.99
% परिवर्तन	**-21.31%**	**-43.85%**

शुद्ध लाभ अनुपात

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 तक	दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
वर्ष का लाभ	29.38	404.26
परिचालन से राजस्व	9,682.46	8,426.17

अनुपात	0.30%	4.80%
% परिवर्तन	**-93.68%**	**-31.15%**
कारण	**वर्ष के दौरान अर्जित लाभ में कमी के कारण**	

नियोजित पूंजी पर रिटर्न

विवरण	**दिनांक 31 मार्च, 2025 तक**	**दिनांक 31 मार्च, 2024 तक**
असाधारण मद, वित्त लागत और कर से पहले का लाभ	225.52	852.82
लगाई गई पूंजी	7,251.94	7,033.85
अनुपात	3.11%	12.12%
% परिवर्तन	**-74.35%**	**-29.16%**
कारण	**वित्त लागत और कर से पहले लाभ में कमी के कारण**	

निवेश पर प्रतिफल

विवरण	**दिनांक 31 मार्च, 2025 तक**	**दिनांक 31 मार्च, 2024 तक**
निवेश से आय	शून्य	शून्य
निवेश का अंतिम शेष	शून्य	शून्य
अनुपात	शून्य	शून्य
% परिवर्तन	**शून्य**	**शून्य**

1. कुल ऋण = गैर-चालू उधार + चालू उधार
2. ब्याज और कर से पूर्व आय (ईबीआईटी) = असाधारण मद और कर से पूर्व लाभ + वित्त लागत
3. बेचे गए माल की लागत = उपभोग की गई सामग्री की लागत + व्यापारिक स्टॉक की खरीद + तैयार माल और निर्माणाधीन माल के इन्वेंट्री में परिवर्तन
4. कार्यशील पूंजी = कुल चालू परिसंपत्तियां - कुल चालू देनदारियां
5. नियोजित पूंजी = कुल इक्विटी + कुल गैर-चालू देनदारियां
6. कुल इक्विटी = गैर-नियंत्रणकारी हित को छोड़कर कुल इक्विटी (घटाएं) / आस्थगित कर परिसंपत्तियां / आस्थगित कर देयता (शुद्ध)

47. वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित और खर्च की गई विदेशी मुद्रा का विवरण निम्नलिखित है।

विवरण	**वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025**	**वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024**
विदेशी मुद्रा से प्राप्त आय	1,963.36	2,174.56
आयात भुगतान के लिए खर्च की गई विदेशी मुद्रा	(14.99)	(150.97)
शुद्ध विदेशी मुद्रा आय	**1,948.37**	**2,023.59**

48. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 135 की आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन किया गया है। सीएसआर समिति का प्रमुख कार्य निदेशक मंडल की सहायता करना है, ताकि एक सीएसआर नीति तैयार की जा सके तथा समय-समय पर उसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया एवं प्रगति की समीक्षा की जा सके। सीएसआर नीति का उद्देश्य समाज में सकारात्मक योगदान देना है, जो प्रभावी एवं सतत कार्यक्रमों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली राशि	10.97	-
कंपनी द्वारा की गई वास्तविक व्यय राशि	10.97	-
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति		
a) किसी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-
b) उपरोक्त 1 के अलावा अन्य उद्देश्य	-	-
वर्ष/अवधि के अंत में कमी	-	-
पिछले वर्षों की कुल कमी	-	-
कमी का कारण	-	-
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति : प्रधानमंत्री केयर्स फंड में योगदान	10.97	

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के वे प्रावधान जो सीएसआर गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय से संबंधित हैं, चालू और पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

49. कंपनी ने 31 मार्च 2025 की स्थिति में कर्मचारियों के लिए पीएलआई (प्रदर्शन से जुड़ा प्रोत्साहन) के मद में ₹137.80 मिलियन देयदिखाया है, जिसमें से ₹66.73 मिलियन सक्रिय एवं निष्क्रिय कर्मचारियों को देय है। यह राशि विशेष रूप से उन कर्मचारियों से संबंधित है जिन्होंने आवासीय कॉलोनियों को खाली नहीं किया है अथवा जिनके बैंक विवरण उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त ₹71.08 मिलियन देय दर्शाया गया है, जिसका भुगतान एयर इंडिया या एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड से निधियों की प्राप्ति के बाद किया जाएगा, जिसके लिए एआईएएसएल द्वारा दोनों कंपनियों के साथ लगातार पत्राचार किया जा रहा है।**

एयर इंडिया भविष्य निधि ट्रस्ट ने राशि कंपनी के खाते में जमा की थी, जिसे संबंधित कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि, कुछ मामलों में ₹41.19 मिलियन की राशि उन कर्मचारियों से संबंधित है जो लंबे समय से अनुपस्थित हैं और जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन मामलों में उनका यूएएन (सार्वभौमिक खाता संख्या) नहीं बनाया जा सका, जिस कारण उनकी भविष्य निधि की राशि संबंधित पीएफ खातों में स्थानांतरित नहीं की जा सकी। यदि वे कर्मचारी उपलब्ध होते तो उनके यूएएन बनाए जा सकते थे और राशि भविष्य निधि ट्रस्ट से ईपीएफओ को स्थानांतरित कर दी जाती, परंतु वर्तमान में चूंकि ऐसे कर्मचारी न तो संपर्क में हैं और न ही खोजे जा सके हैं, अतः उपलब्ध राशि को हमारे पास सुरक्षित रूप से रखा गया है।

50. खंड रिपोर्टिंग

कंपनी के अध्यक्ष को भारतीय लेखा मानक 108 **"परिचालन खंड"** के अनुसार **मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता** के रूप में पहचाना गया है। मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है तथा संसाधनों का आवंटन करता है। हालांकि, कंपनी मुख्य रूप से केवल एक ही परिचालन खंड में संलग्न है, अर्थात् "ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ", तथा इसकी सभी परिचालन गतिविधियाँ भारत में ही की जाती हैं। अतः भारतीय लेखा मानक 108 **"परिचालन खंड"** के अनुसार कंपनी के कोई भी रिपोर्ट योग्य खंड नहीं हैं।

राजस्व के 10% से अधिक हिस्से वाले ग्राहक का खुलासा:

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024
एयर इंडिया लिमिटेड	3,271.38	2,786.79

51. भारतीय लेखा मानक 116- पट्टा दायित्व और हवाईअड्डे के स्थानों को पट्टा दायित्व के दायरे में न लेने संबंधी स्पष्टीकरण

भारतीय लेखा मानक 116 के अंतर्गत उपलब्ध मान्यता से छूट का पालन करते हुए—जिसमें अल्पकालिक पट्टे, कम मूल्य की परिसंपत्तियाँ, तथा वे परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जो पूर्ववर्ती भारतीय लेखा मानक 17 के अंतर्गत शामिल नहीं थीं—कंपनी ने नए भारतीय लेखा मानक 116 के कार्यान्वयन हेतु वही छूटें अपनाई हैं।

विभिन्न वाणिज्यिक परिसरों से संबंधित अन्य पट्टों के संबंध में (जिनमें क्रय/नवीनीकरण का विकल्प उपलब्ध है, परंतु जिनका स्वामित्व अंततः स्थानांतरित हो भी सकता है या नहीं भी), जो विभिन्न स्थानों/स्टेशनों/क्षेत्रों में फैले हुए हैं, अनुबंध में एक अग्रसमापन उपबंध शामिल है, जिसके अंतर्गत किसी भी पक्ष द्वारा 90 दिनों की पूर्व सूचना देकर उक्त पट्टों को रद्द किया जा सकता है।

मूल्यांकन लंबित होने के कारण कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 116 के अंतर्गत उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति के रूप में इन्हें मान्यता नहीं दी है। तथापि, अल्पकालिक पट्टों, कम मूल्य की परिसंपत्तियों तथा वे परिसंपत्तियाँ जो पूर्ववर्ती भारतीय लेखा मानक 17 के अंतर्गत शामिल नहीं थीं, के संबंध में कंपनी ने नए भारतीय लेखा मानक 116 के कार्यान्वयन हेतु वही छूटें अपनाई हैं, सिवाय निम्नलिखित के:

जिन पट्टों में कंपनी पट्टेदार है, उनसे संबंधित जानकारी नीचे प्रस्तुत की गई है:

(i) उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियाँ

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024
1 अप्रैल, 2023 को शेष राशि	-
वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	-
वर्ष के दौरान लगाया गया परिशोधन	-
31 मार्च, 2024 को शेष राशि	-
वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	251.35
वर्ष के दौरान लगाया गया परिशोधन	45.94
31 मार्च, 2025 को शेष राशि	**205.42**

(ii) लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024
पट्टे की देनदारियों पर ब्याज व्यय	8.40	-
वर्ष के दौरान प्रभारित परिशोधन	45.94	-
अल्पकालिक और कम मूल्य वाले पट्टों से संबंधित व्यय	-	

(iii) नकदी प्रवाह विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024
पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह	51.18	-

(iv) पट्टे की देनदारियों में बदलाव

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024
1 अप्रैल, 2024 को शेष राशि	-	-
जोड़	251.35	-
वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज लागत	8.40	-

वर्ष के दौरान पट्टे की देनदारियों और वित्त लागत का भुगतान	51.18	-
वर्ष के दौरान पट्टे की समाप्ति	-	-
31 मार्च, 2025 को शेष राशि	208.57	-

(v) पट्टा देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण

गैर-रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों के संबंध में न्यूनतम गैर-छूट वाले पट्टा भुगतानों के लिए प्रतिबद्धताएँ निम्नानुसार देय हैं:

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024
एक वर्ष के भीतर	118.54	-
एक वर्ष के बाद लेकिन पाँच वर्ष से अधिक नहीं	108.43	-
पाँच वर्ष के बाद	-	-

(vi) चालू और गैर-चालू पट्टा देनदारियों का विवरण

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024
वर्तमान पट्टा देनदारियां	105.34	-
गैर-वर्तमान पट्टा देनदारियां	103.23	-

52. सॉफ्टवेयर कार्यान्वयनकर्ता द्वारा लेखांकन ईआरपी सॉफ्टवेयर का निलंबन

मेसर्स यूनिक डेटा सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (यूडीएसपीएल) जो कि लेखांकन ईआरपी सॉफ्टवेयर (Odoo) का कार्यान्वयनकर्ता है, ने दिनांक 15 जून 2024 को एकतरफा रूप से उक्त सॉफ्टवेयर को निलंबित कर दिया है, जो कि अनुबंध की शर्तों का पूर्णतः उल्लंघन है। इसके विरुद्ध कंपनी ने यूडीएसपीएल के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार न्यायालय में वाद दायर किया है (प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है)।

53. अनुसूची III द्वारा आवश्यक अतिरिक्त विनियामक जानकारी

(i) बेनामी संपत्ति का विवरण

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (45 ऑफ 1988) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और न ही लंबित है।

(ii) जानबूझकर चूक करने वाला

कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान, सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूक करने वाला (विलफुल डिफाल्टर) घोषित नहीं किया गया है।

(iii) कंपनियों के स्तरों की संख्या का अनुपालन

कंपनी कई स्तरों की कंपनियों के अनुरूप काम कर रही है।

(iv) अनुमोदित योजनाओं/व्यवस्थाओं का अनुपालन

कंपनी ने किसी भी ऐसी व्यवस्था योजना में प्रवेश नहीं किया है जिसका चालू या पिछले वित्तीय वर्ष पर लेखांकन पर कोई प्रभाव पड़ता हो।

(v) उधार ली गई निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोग

(1) कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या इकाई, जिसमें विदेशी इकाइयाँ (मध्यस्थ) भी शामिल हैं, को ऐसी कोई राशि अग्रिम, ऋण या निवेश के रूप में नहीं दी है जिसके अंतर्गत यह समझ बनी हो कि उक्त मध्यस्थ:

(a) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या इकाई (अंतिम लाभार्थी), जिसे किसी भी प्रकार से कंपनी या कंपनी की ओर से पहचाना गया हो, में ऋण देगा या निवेश करेगा; या

(b) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी प्रकार की कोई सुविधा प्रदान करेगा।

(2) कंपनी को किसी भी व्यक्ति या इकाई, जिसमें विदेशी इकाइयाँ (निधि प्रदाता) भी शामिल हैं, से ऐसी कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है जिसके अंतर्गत (चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या नहीं) यह समझ बनी हो कि कंपनी:

(a) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या इकाई (अंतिम लाभार्थी), जिसे किसी भी प्रकार से निधि प्रदाता या उसकी ओर से पहचाना गया हो, में ऋण देगी या निवेश करेगी; या

(b) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी प्रकार की कोई सुविधा प्रदान करेगी।

(vi) अघोषित आय

वर्तमान या पिछले वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत किए गए कर आकलनों में कोई भी आय समर्पित नहीं की गई है अथवा आय के रूप में प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जो लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं की गई हो।

(vii) क्रिप्टोकरेंसी या आभासी मुद्रा का विवरण

कंपनी ने चालू वर्ष या पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(viii) अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं

कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।

(ix) बंद पड़ी कंपनियों के साथ लेन-देन

बंद पड़ी कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं होता है।

(x) कोई भी शुल्क

कंपनी के पास ऐसा कोई भी प्रभार या तृप्ति नहीं है जिसे वैधानिक अवधि के पश्चात रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के पास पंजीकृत किया जाना शेष हो।

54. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

भारतीय संसद ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को अनुमोदित किया है, जो कंपनी द्वारा भविष्य निधि और ग्रेच्युटी में किए जाने वाले अंशदान को प्रभावित करेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 13 नवम्बर 2020 को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं तथा हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं, जो मंत्रालय द्वारा सक्रिय विचाराधीन हैं। कंपनी इस संहिता के प्रभाव का मूल्यांकन तब करेगी जब संबंधित नियम अधिसूचित किए जाएंगे, और जब संहिता प्रभावी होगी एवं उससे संबंधित वित्तीय प्रभाव को निर्धारित करने वाले नियम प्रकाशित किए जाएंगे, उस अवधि में कंपनी अपने वित्तीय विवरणों में उसका उपयुक्त प्रभाव प्रस्तुत करेगी।

55. पिछले वर्षों के आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ आवश्यक हुआ, पुनर्गठित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है ताकि वर्तमान अवधि की प्रस्तुति के अनुरूप बनाकर तुलनात्मकता सुनिश्चित की जा सके।

हमारी समान तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
बंसल एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 001113N/N500079

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

हस्ता/-
अमित कुमार
अध्यक्ष
डीआईएन: 11001643

हस्ता/-
पदम लाल नेगी
निदेशक
डीआईएन: 10041387

अमित कुमार सिंह
साझेदार
सदस्यता संख्या: 532180
यूडीआईएन: 25532180BMIYZP4535

हस्ता/-
संदीप मल्होत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/-
रामबाबू सीएच
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 01.12.2025

हस्ता/-
शशि भद्वला
कंपनी सचिव

STARair
TLD
1183
TLD
1183
TLD MAINI

AI AIRPORT SERVICES LIMITED
2nd Floor, GSD Building, Air India Complex,
Terminal-2, IGI Airport, New Delhi – 110037
CIN: U63090DL2003PLC120790

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज
AI AIRPORT SERVICES